Wednesday, 16 August, 1961

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १६, अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation
14-5-92
Fumigated
3.12.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६-अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . . . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . . . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश . . . १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बाढ़ की स्थिति . . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . . . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन . . . १६३

दैनिक संक्षेपिका . . . १६४—८०

विषय	पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . . १८१—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . . २०४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३ . . . . . . २३८—३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . . ३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . . ३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३३१—३४

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ३३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३३४—७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८०—९१

अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . . ३९३—४१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . . ४१३—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ . ४७३—५५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५५९—६५

चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . . ५६५

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चासीवां प्रतिवेदन ५६५

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति . ५६६

तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि ५६६

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . ५६६—६७

(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प . ५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . ५६४-६१३
खंड २ से २४ . ६१०-११
पारित करने का प्रस्ताव ६११-१३
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३-१९
दैनिक संक्षेपिका ६२०-३८
अंक ४--गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९-६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३-९८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६६६ ६९८-७५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४-५५
आयकर विधेयक--
प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५
विधेयक पुरःस्थापित--
(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६
(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६-५८
खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८-५९
पारित करने का प्रस्ताव ७५९
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८-६७
खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८-६९
नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ७६९-७७
खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७
पारित करने का प्रस्ताव ७७७
प्रसूति लाभ विधेयक--
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ७७७-८५

विषय सूची

पृष्ठ

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा . ७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका ७९५–८०४

अंक ५——शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१ . ८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर——
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ . ८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ . ८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता . ९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९३[illegible]–४२
प्राक्कलन समिति——
कार्यवाही सारांश . ९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—— ९४२
राय . . . . .
विशेषाधिकार समिति——
तेरहवां प्रतिवेदन . . ९४२–४३
सभा का कार्य ९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य . ९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . . ९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित ९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक——पुरःस्थापित . . ९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——
पच्चासीवां प्रतिवेदन ९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प . ९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति——
पैंसठवां प्रतिवेदन.. . . ९९८
दैनिक संक्षेपिका ९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३—६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१—८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१
अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ से ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . .	१४९५—१५०७
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०७—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६६—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुर:स्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १६ अगस्त, १९६१
२५ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बेरोजगारों की सहायता के लिये निधि

+

†*५१२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री गोरे :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोडियान :
श्री पांगरकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री चुनी लाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १००३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी रोकने के लिए सहायता करने तथा प्रतिष्ठान आदि बंद होने से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक निधि स्थापित करने की योजना सरकार ने अन्तिम रूप से मंजूर कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). प्रस्थापित योजना का व्यौरा तैयार करने के लिये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के श्रम मंत्रियों की एक समिति बनाई गयी है। उस समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर ही इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

1053 (Ai) LSD.—1

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या इस निधि में नियोजकों से भी अंशदान करने को कहा जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** यह भी एक प्रस्ताव था परन्तु जिस समिति का मैंने अभी जिक्र किया वह इसके पक्ष में नहीं है।

†**श्री कोडियान :** यह प्रस्तावित निधि केवल केन्द्र के ही लिये है या सरकार का यह इरादा है कि राज्यों में भी ऐसी निधि बनाने के लिये राज्य सरकारों से कहा जाये ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** इसका प्रथमतः प्रशासन केन्द्र से होगा परन्तु इसका लाभ निश्चय ही सभी व्यक्तियों को मिलेगा, राज्यों में नियोजित विभिन्न व्यक्तियों को भी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस समिति में उन विशेष राज्यों के मंत्रियों को चुनने के कोई विशेष कारण हैं ? यह इसलिये है कि उन राज्यों में बेरोजगारी अधिक है या कोई अन्य कारण हैं ?

†**श्री नन्दा :** जी, नहीं। स्थायी श्रम समिति और मंत्री सम्मेलन में जब यह प्रश्न विचार के लिये आया, तो उन्हें एक प्राथमिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिये चुना गया।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या बेरोजगारी और कम रोजगार की समस्या सुलझाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई निश्चित धनराशि रखी गयी है ?

†**श्री नन्दा :** यह एक भिन्न और व्यापक प्रश्न है और यदि माननीय सदस्य के पास कागजात हों तो वह देखेंगे कि इस बात के अतिरिक्त कि योजना में समूचे विनियोजन से रोजगार बढ़ेगा, इस कार्य के लिये निश्चित उपबन्ध किया गया है।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह समिति उन श्रमिकों के बारे में भी विचार करेगी जो कपड़ा उद्योग में तालाबन्दी के कारण बेकार हो गये हैं अथवा क्या यह अन्य उद्योगों के मामले पर भी विचार करेगी ?

†**श्री नन्दा :** यह किसी विशेष उद्योग के लिये नहीं है।

†**श्री कोडियान :** विशेष व्यक्तियों, विशेषतः बूढ़े लोग जो काम नहीं कर सकते और औरतें और बच्चे, को सहायता देने के लिये एक निधि स्थापित करने का प्रस्ताव था। क्या यह समिति उस प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†**श्री नन्दा :** जी, नहीं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इन संस्थानों के बन्द होने से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और प्रस्तावित निधि की रकम क्या है ?

†**श्री नन्दा :** पहले इस निधि के बारे में २ करोड़ रुपये का विचार था। परन्तु यह उन सब लोगों के लिये नहीं है जो तालाबन्दी के परिणाम स्वरूप बेकार हो रहे हैं। इस निधि से कठिनाई के विशेष मामलों में सहायता दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य के उद्योगों की पूंजी में जनता का सहयोग

+

†*५१३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री कोडियान :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **योजना** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के उद्योगों की पूंजी में जनता के सहयोग के बारे मे योजना इस बीच अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी, नहीं । सरकार ने फैसला किया है कि इस समय इस प्रस्ताव पर जोर न दिया जाये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** मजूमदार समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? क्या सरकार ने इन पर विचार कर लिया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** उस समिति का निष्कर्ष यह निकला कि इसका सीमित परीक्षणात्मक आधार पर प्रयोग किया जाये ।

†**श्री कोडियान :** प्रस्ताव को समाप्त करने के लिये सरकार ने फैसला किस कारण किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** विकास के ऐसे समय पर हम कठिनाइयों से दूर रहना चाहते हैं ।

†**श्री तंगामणि :** क्या हम यह समझें कि सरकार ने मजूमदार समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करने का अन्तिम रूप से फैसला कर लिया है ?

†**श्री नन्दा :** जी, नहीं । यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तंगामणि :** मूल प्रश्न श्री मजूमदार की कुछ सिफारिशों के बारे में है और उन्होंने बताया है कि कुछ सरकारी उद्योगों में जनता को भाग लेने के लिये निमंत्रित किया जायेगा । प्रथम प्रश्न श्री मजूमदार द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह निश्चित रूप से यह बात कह चुके हैं कि इस समय वे उद्योगों में सार्वजनिक अंशदान नहीं कराना चाहते । अन्य ब्यौरे में जाने का क्या लाभ है ? अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बड़े बड़े प्लाटों को छोटे हिस्से में बांटने के लिए समिति

+

†*५१४. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकसित रिहायशी क्षेत्रों में बड़े बड़े प्लाटों को छोटे हिस्सों में बांटने की योजना की छानबीन करने के लिए नियुक्त की गयी सात सदस्यों वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस समिति के निदेश-पद क्या हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह समिति दिल्ली के वर्तमान निर्मित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेगी और उन प्लाटों को, जो १२०० वर्गगज से अधिक नहीं हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** भूमि के लिये निर्धारित स्टैण्डर्ड क्षेत्र क्या है जिसका विकास किया जाना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक सरकारी भूमि अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकार की भूमि का सम्बन्ध है, यह प्रति यूनिट १८०० वर्ग गज से अधिक नहीं होगी।

†**श्री च० द० पांडे :** एक मकान के लिये भूमि का आवंटन और अधिकतम सीमा का पुनर्निर्धारण करने के प्रश्न पर वर्षों से बहस हो रही है और जनता परेशान हो रही है। क्या सरकार यथा सम्भव शीघ्र एक निर्णय करने के औचित्य पर विचार करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी, नहीं। मैं नहीं समझता कि इस पर काफी समय से बहस चल रही है। दिल्ली किराया नियन्त्रण विधेयक पेश करते हुए गृह मन्त्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि दिल्ली में भूमि के इस्तेमाल के बारे में जांच की जायेगी। दिल्ली के मुख्यायुक्त के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गयी थी और उसने सिफारिश की कि दिल्ली में वर्तमान भूमि का और गहन रूप से उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया और वर्तमान विकसित प्लाटों का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करने के लिये हमारे मन्त्रालय से एक समिति नियुक्त करने को कहा।

†**श्री च० द० पांडे :** इस समिति के सम्मुख यह अतिरिक्त मामला होने के कारण वृहत्तर योजना का प्रश्न रुक गया है। अब वृहत्तर योजना का प्रश्न चार या पांच वर्षों के लिये रुक गया है और इसलिये दिल्ली का उस तरह विकास नहीं हो रहा जिस तरह कि होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ०कु० चन्दा** : जी, नहीं । वर्तमान प्लाटों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रश्न किसी प्रकार भी दिल्ली की वृहत्तर योजना की प्रगति में बाधक नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कम से कम कितनी भूमि को बड़ा प्लाट समझा जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक सरकारी भूमि का सम्बन्ध है, मैंने बताया कि रिहायश के लिये यह १८०० वर्ग गज से अधिक न होना चाहिये ।

†**श्री कासलीवाल** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि यह समिति केवल उन ही प्लाटों के प्रश्न पर विचार कर रही है जिन पर इमारतें बन चुकी हैं । क्या यह सच नहीं है कि अभी उन प्लाटों की बड़ी संख्या है जिन पर इमारतें नहीं बनी हैं; यदि हां, तो क्या उन प्लाटों के हिस्से करने के बारे में कुछ किया जा रहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैंने कहा था कि समिति ने सिफारिश की है कि कोई रिहायशी यूनिट १८०० वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिये—अर्थात् उस भूमि के बारे में जिन पर अभी इमारतें नहीं बनी है । जहां तक पुराने बंगलों का सम्बन्ध है, विचार यह है कि यह देखने के लिये कि क्या उनके हिस्से किये जा सकते हैं, उन क्षेत्रों का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया जाये ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार के पास ऐसे प्लाट हैं जिनके टुकड़े किये जाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो उन प्लाटों की ठीक संख्या क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, नहीं । हमें ठीक स्थिति का पता नहीं है । लगभग ३४,००० एकड़ भूमि के टुकड़े किये जाने हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या उपसमिति का प्रतिवेदन पेश किये जाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, हां । मूलतः विचार यह था कि समिति जून, १९६१ तक अपना प्रतिवेदन पेश करे । परन्तु यह पता लगा है कि वर्तमान कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और विस्तृत सर्वेक्षण के लिये हमें कुछ अतिरिक्त इंजीनियरों की आवश्यकता है । हमने इन पदों की मंजूरी के लिये गृह मंत्रालय से कहा है ।

†**श्री राधा रमण** : उपमंत्री महोदय ने अभी बताया कि पुराने प्लाटों के बारे में सरकार की नीति पर अभी विचार किया जा रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से पुराने प्लाटों में, जिनमें बंगले बने हुए हैं, उनके साथ दो या तीन एकड़ भूमि है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके टुकड़े किये जाने के बारे में निकट भविष्य में कोई कार्यवाही करने का इरादा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जब यह समिति व्यापक सर्वेक्षण पूरा कर लेगी तब वर्तमान बंगलों के बारे में हिस्से करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री राधा रमण** : यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान कर्मचारियों के लिये मकान

+

†*५१६. { **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कर्मचारियों के लिए एक लाख सस्ते मकान जिन्हें त्रिदलीय औद्योगिक समिति ने मंजूर किया है; बनाने की योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में १३०० रुपये प्रति मकान और २६०० रुपये प्रति बैरक की लागत से दो कमरों वाले मकान बनाने की व्यवस्था है। वर्ष १९६१–६२ में २५,००० मकान और ४१७ बैरक बनाने के बारे में ३०–५–१९६१ को मंजूरी दी जा चुकी है। इन मकानों और बैरकों के बनने पर इन में ३०,००० श्रमिक रह सकेंगे।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां विशेषत: १९६१–६२ में ये मकान बनाये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सभी राज्यों में सभी कोयला खान क्षेत्रों में।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस योजना में कोयला खान कल्याण निधि की नव-आवास योजना शामिल है या नहीं है जिसके अधीन १० करोड़ रुपये की लागत से ३०,००० मकान बनाये जाने थे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** वह इस लक्ष्य से पृथक है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या झरिया कोयला-क्षेत्र में भी मकान बनाये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी, हां।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** वहां पर बनाये जाने वाले मकानों की क्या संख्या है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह मैं नहीं बता सकता। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

समाचार-पत्र उद्योग

+

†*५१७. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सै० अ० मेहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र उद्योग के ढांचे के बारे में छानबीन करने के लिये एक उच्च सत्ता

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्त आयोग बनाने तथा सरकार द्वारा उस पर आगे कार्यवाही के लिये उपयुक्त सिफारिशें करने के सम्बन्ध में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के नौवें वार्षिक सम्मेलन की मांग पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हा, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या उसने भारत के समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार की प्रवृत्तियों के बारे में छान-बीन करने की भी मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (घ). सरकार को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फैडरेशन द्वारा पारित संकल्प की प्रतिलिपि मिली है । सरकार समाचार-पत्र उद्योग में स्वामित्व और एकाधिकार की प्रवृत्तियों के बारे में ध्यानपूर्वक निगाह रख रही है और समस्या का अध्ययन कर रही है। वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि प्रवृत्ति ऐसी है कि कोई तत्काल कार्यवाही की जाये ।

†**श्री प्र० गं० देव** : इस देश में समाचार-पत्रों के किस दल का सर्वाधिक परिचालन होता है ?

†**डा० केसकर** : मेरे पास सूची है । यदि यह प्रश्न समाचार-पत्रों की संख्या के बारे में है, तो रजिस्ट्रार के अनुसार, जिसका प्रतिवेदन मैं आज सभा पटल पर रख रहा हूं, सबसे अधिक समाचार-पत्र भारत के साम्यवादी दल के हैं। परन्तु यदि यह परिचालित का प्रश्न है तो 'एक्सप्रेस' दल का सर्वाधिक परिचालन है ।

सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए होस्टल

+

†*५१८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नयी दिल्ली में अकेली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रस्तावित होस्टल के और नक्शे तथा अनुमान प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) होस्टल के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रस्तावित होस्टल बनाने के लिये स्थान चुन लिया गया है और इसको खरीदने के लिये वार्ता जारी है । नक्शे और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस वर्ष इसका निर्माण किये जाने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक सम्भव है, हम इस मामले को शीघ्र निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि यह कई वर्षों से हमारे सामने है । मुझे आशा है कि हम इस वर्ष निर्माण-कार्य आरम्भ कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें कई बार ऐसा उत्तर दिया गया है, क्या मैं जान सकती हूं कि इस होस्टल का निर्माण आरम्भ करने में किस कारण बाधा पड़ रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** प्राक्कलन और नक्शे बनाये गये हैं परन्तु हमने देखा कि किराया बहुत अधिक होगा। हम, जहां तक संभव है, किराया कम करना चाहते हैं। अतः हमने अपने आर्कीटेक्टों को संशोधित रूप में नक्शे बनाने को कहा। जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, हम सिरमूर प्लाट खरीदने के लिये अभी बातचीत कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** संसद सदस्यों के लिये भी मकानों के निर्माण में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की प्रगति की दर के बारे में अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि मंजूरशुदा इमारत अथवा नक्शे के निर्माण में शीघ्रता करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जैसा मैंने बताया, हम इसमें शीघ्रता करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक पुरुषों के होस्टल का सम्बन्ध है, उस प्लाट पर होस्टल के निर्माण के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने आपत्ति की है। जहां तक महिलाओं के होस्टल का सम्बन्ध है, हम सिरमूर प्लाट, जिसे हम उपयुक्त समझते हैं, की खरीद के लिये सम्बन्धित सरकार से बातचीत कर रहे हैं। यह कर्जन रोड में है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम :** उस होस्टल में कितने कमरे होंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे संख्या का ठीक पता नहीं है। इसमें लगभग २५० से ३०० तक कमरे होंगे। जहां तक महिलाओं के होस्टल का सम्बन्ध है, हम चाहेंगे कि उसमें लगभग ८० प्रतिशत कमरे इकहरे हों और बाकी दो सीटों वाले हों।

राज्य व्यापार निगम

†*५१९. { +**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुरारका : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को सौंपे जाने वाले कार्यों की रूप रेखा और निगम के संचालक मण्डल के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से सम्बन्धित एक संकल्प जारी करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) व्यापारियों के प्रतिनिधियों की और उपसमितियां बनाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है और उन वस्तुओं के नाम क्या है तथा इस समय उन का कितना व्यापार होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). ये प्रश्न अभी विचाराधीन हैं।

(ग) कोई और उप-समिति नहीं बनाई गयी है परन्तु सामान्य व्यापारिक मामलों पर सलाह प्राप्त करने के लिये कुछ मन्त्रणा समितियां, जैसे सोडा समिति, कार्क निर्माण और नमक निर्यात समिति, बनाई गयी हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या उप-समितियां बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो वे किन नई चीज़ों के लिये बनायी जायेंगी ?

†**श्री कानूनगो**: यह राज्य व्यापार निगम की सीमाओं का विस्तार करने के बारे में है। वह विचाराधीन है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या निर्यात के लिये चीनी खरीदने के बारे में कोई उप-समिति है ? क्या यह सच है कि निर्यात की जाने वाली चीनी चीनी मिल संघ द्वारा राज्य व्यापार निगम को बेची जाती है और फिर वह राज्य व्यापार निगम द्वारा संघ को बेची जाती है और हानि राज्य व्यापार निगम सहता है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां। चीनी के सौदे के बारे में अभी व्यौरा नहीं निकाला गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मंत्री महोदय समय के बारे में कुछ बता सकते हैं कि सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय पर कब तक पहुंच जावेगी ?

†**श्री कानूनगो** : हम स्वयं कोई फैसला नहीं करना चाहते। हमारा विचार यह है कि हम सदन के अनुमोदन के लिये एक प्रारूप तैयार करेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाये गये लाभ, विशेषत: उपभोग्य वस्तुओं पर, की दर पर नियंत्रण करने के लिये इस सभा के सम्मुख कोई उपाय रखने का विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : राज्य व्यापार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर पिछली बार की चर्चा और सभा में पेश की गयी नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि लाभ वास्तव में बहुत कम है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सच नहीं है कि चीनी का समूचा निर्यात भारतीय चीनी मिल संघ द्वारा किया जा रहा है और राज्य व्यापार निगम का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा मैंने अभी बताया, अभी इस सौदे पर अन्तिम रूप से विचार नहीं किया गया है। विचार यह है कि यह व्यापार राज्य व्यापार निगम से कराया जाये, यह नहीं कि राज्य व्यापार निगम प्रत्यक्ष निर्यातक होगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि चीनी का निर्यात राज्य व्यापार निगम से कराया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चीनी के निर्यात पर होने वाली हानि को राज्य व्यापार निगम सहन करेगा अथवा भारतीय चीनी मिल संघ सहन करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : वह प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें रेट आफ प्राफिट जो है उसको सरकार तै करती है या उसके वास्ते कोई संस्था है ?

श्री कानूनगो : बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन-पाकिस्तान सीमा करार

†*५२०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या प्रधान मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा के बारे में चीन के साथ बातचीत करने की पाकिस्तानी चाल का मामला सुरक्षा परिषद् में उठाने के सुझाव पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). सुरक्षा परिषद् में इस मामले को उठाने का इस समय कोई इरादा नहीं है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि हमने पाकिस्तान सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और हमारे उच्च आयुक्त उन के अधिकारियों से मिले हैं । क्या अब तक उन से स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है ?

†श्री सादत अली खां : जी हां । उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान सरकार की नीति हमें अच्छी तरह मालूम है अतः उन्होंने खेद प्रकट किया है कि वे स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं कर सकते ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बातें चल रही हैं वे किस एरिया के सम्बन्ध में चल रही हैं, और उसमें हिन्दुस्तान का कितना एरिया इनवाल्व्ड है ?

श्री सादत अली खां : उनका जो जम्मू और काश्मीर का इल्लीगली आकुपाइड एरिया है उसी पर वह बातचीत करना चाहते हैं । मगर चाइना और पाकिस्तान का कोई कामन बार्डर तो है नहीं ।

†श्री हेम बरुआ : इस दृष्टि से कि चीन के साथ विवादास्पद सीमा भारतीय दावे के पक्ष में शासकीय दलों द्वारा अन्तिम रूप में सिद्ध हो चुकी है, क्या चीन यथार्थता का असंगत तर्क देने के अतिरिक्त अपने पक्ष में कोई दूसरा तर्क देने में समर्थ हुआ है ? यदि नहीं, क्या हमने इस मामले पर चीन से सीधे तौर पर विरोध किया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनको समझना सरल नहीं होता । स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । माननीय सदस्य का जो मत है वह चीनी या पाकिस्तानी सरकार का नहीं है । उनका मत पूर्णतया उचित हो सकता है, परन्तु उन दोनों सरकारों का यह मत नहीं । हम यह मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की कोई साझी सीमा नहीं । उनका साझापन केवल इस कारण बनता है कि पाकिस्तान वालों ने जम्मू और काश्मीर राज्य के कुछ भाग पर कब्जा किया हुआ है । उस क्षेत्र की सीमा चीन के साथ मिलती है इस कारण यह प्रश्न उठता है । करा कोरम दर्रे के पश्चिम में कुछ क्षेत्र हैं । दूसरी ओर चीन है, तिब्बत नहीं । वहां चीन का सिनक्यांग क्षेत्र है । चीन के मानचित्रों और हमारे मानचित्रों में इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

बारे में कुछ तर्क वितर्क और मतभेद रहा है कि यह स्थान कहां है। इस में कुछ थोड़ा मतभेद है। जब हम पाकिस्तान सरकार से यह कहते हैं तो वे कहते हैं कि उनको हमें किसी बात का स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उनके मतानुसार यह उनका क्षेत्र है, अतः उन्होंने इसके बारे में चीन सरकार के साथ पुनर्सीमा करने आदि का विचार किया है। जहां तक हमें पता है, पाकिस्तान सरकार के वक्तव्य के अतिरिक्त इस मामले में और कुछ नहीं हुआ है। हमें इसका पक्का निश्चय नहीं है और इसमें स्थिति भेद संभव हो सकता है। इस मामले के बारे में चीन की ओर से कोई बड़ा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रधान मंत्री ने दूसरे अवसर पर बताया था कि जब शासकीय दलों की बैठक हुई थी और इस मामले पर चर्चा की गई थी, हमने सीमा के बारे में अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया था, इस दृष्टि से क्या उस स्पष्टीकरण में इस विशिष्ट भाग का भी उल्लेख था जो इस समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** स्पष्टीकरण निष्कर्षतः स्पष्टतः इस बारे में नहीं था। जहां तक मुझे स्मरण है इसके बारे में चीन सरकार से सीधे तौर पर उल्लेख किया गया था, परन्तु यदि हमारे द्वारा पेश किया गया सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है तो वह वहां पर भी लागू होगा।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने हमारी बात का स्पष्टीकरण नहीं किया है और जैसा कि वह कहते हैं कि यह उन का क्षेत्र है, यदि पाकिस्तान ने चीन के साथ सीमा निर्धारित करने के बारे में कोई समझौता कर लिया तो युद्धविराम रेखा के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस का युद्ध विराम रेखा से कोई सम्बन्ध नहीं है। पाकिस्तान के लिये सीमा के बारे में कोई समझौता करना अनुचित होगा। परन्तु यह क्षेत्र युद्धविराम रेखा से बहुत दूर है और उसके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पहले तो पाकिस्तान ने यह नहीं किया और मैं नहीं जानता कि आया वे यह करेगा या आया दोनों सहमत होंगे; दूसरे यदि वे सीमा के उस विशिष्ट भाग में कर लेते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, कि क्या उन को भेजे गये हमारे विरोध के बावजूद और हो सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, हम इस मामले में और बहुत कुछ कर सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात की दृष्टि से कि प्रधान मंत्री ने दूसरे अवसर पर कहा था कि हम ने इस आशय के पाकिस्तान प्रधान एवं वैदेशिक-कार्य मंत्री के वक्तव्य के पश्चात, पाकिस्तान को विरोध पत्र दिया है, क्या हम ने चीन को इस के बारे में विरोध पत्र भेजा है या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां। हम ने भेजा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी सहयोग

+
†*५२१. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वि० दासगुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों के आवेदनपत्र निबटाने के लिये कोई नये आदेश जारी किये गये हैं;

(ख) क्या ये आदेश १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प के विपरीत हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन मामलों में ये अपवाद या छूट मंजूर की जायगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : : (क) नहीं, श्रीमान् । विदेशी सहयोग के प्रार्थना पत्रों के निपटारे के लिये कोई नये अनुदेश जारी नहीं किये गये । तथापि सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये उस पर हाल ही में पुनर्विचार किया था । ८ मई, १९६१ के प्रेस टिप्पणी की एक प्रति इस सिलसिले में सरकार ने जारी की थी जो सभा पटल पर रखी जाती है।[**देखिये परिशिष्ट** २, **अनुबन्ध संख्या** २७]

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रेस टिप्पणी से यह प्रतीत होता है कि १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'क' में शामिल बहुत से मुख्य एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग और जिनका हमारे प्रतिरक्षा उद्योगों से भी कुछ सम्बन्ध था, उनकी विदेश से गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन के लिए खोलने की संभाव्यता का विचार है । इस प्रेस टिप्पणी में यह भी कहा गया है कि विदेशी एवं भारतीय पूंजी का अनुपात निर्धारित नहीं है । क्या ये १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प का महत्वपूर्ण अपवाद नहीं है ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य का अनुमान सर्वथा गलत है । अनुसूची 'क' में कोई अन्तर नहीं । ये वर्ग 'ख' और 'ग' में आने वाले उद्योगों का वर्णन है । जहां तक अधिक भागिता का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारतीय अधिकता का स्वागत होगा । पुरानी नीति के समान यह जारी है । प्रत्येक मामले के गुण अवगुण के आधार पर फैसला किया जायेगा और कंडिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि असाधारण मामलों में आधिक्य की अनुमति दी जायेगी। अनुसूची 'क' की कुछ इकाइयां, यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को देनी स्वीकार की गईं; समय समय पर मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होंगी ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि औद्योगिक नीति संकल्प १९५६ में स्पष्टतः कहा गया था कि इन विशिष्ट उद्योगों में विदेशी पूंजी विनियोजन की यह पहले शर्त होगी कि उस की अधिक पूंजी भारतीयों के पास होगी और यह उस का अपवाद है ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य उसे पढ़ें तो उस में ऐसा कोई उपबंध नहीं है ।

†श्री वि० दासगुप्त : मेरा प्रश्न इस में पूरा हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस वक्तव्य में कहा है कि जबकि भारतीय पूंजी धारिता की अधिकता का सामान्यतया स्वागत होगा, किसी मामले में विदेशी अंशधारिता की मात्रा उस के गुण दोषों के आधार पर अनुमोदित की जायेगी। कितने मामलों में ५० प्रतिशत से अधिक आधार पर विदेशी पूंजी को भारत में आने दिया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : ये व्यौरे मेरे पास यहां नहीं हैं। यदि माननीय सदस्या पृथक प्रश्न की सूचना दें तो उनको उत्तर दिया जा सकता है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह भी कहा गया है कि यद्यपि जमा लाभ और आस्तियों की बढ़ी हुई कीमत को विदेश भेजने दिया गया है, ये भारत में फिर जमा हो गई हैं। ऐसे कितने लाभ को विदेश भेजने दिया गया है जो दूसरी योजना अवधि में फिर भारत लौट आया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं ने अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांग सम्बन्धी चर्चा में बोलते समय कहा था, देश में लगी विदेशी सम्पत्ति के ब्याज, लाभांशों और लाभों के कारण औसतन २३ करोड़ से २४ करोड़ रुपये तक विदेश भेजी जा सकने योग्य वार्षिक राशि बनती है और इन में से ८० प्रतिशत से अधिक राशि रक्षित या लाभांशों या लाभ के रूप में भी उन को मिलते हैं, पुनः नियोजन के लिये भारत में आ गई है।

†श्री ब्रजराज सिंह : प्रेस टिप्पणी में कहा है .

> "तथापि विशेष हालात में, पूरे विचार के उपरांत, जहां ऐसा करना लोकहित में समझा जाता है, अपवाद किये जा सकते हैं।"

क्या अब तक किसी मामले में यह अपवाद किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : बहुतेरे मामलों में।

†श्री ब्रजराज सिंह : कितने मामलों में ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि पृथक प्रश्न पूछा जाय तो उत्तर दिया जा सकता है।

†श्री ब्रजराज सिंह : मेरा प्रश्न अनुसूची में के उद्योगों के बारे में है। प्रेस टिप्पणी में कहा है कि अनुसूची 'क' के उद्योगों में धन-विनियोजन के बारे में विशेष हालात में अपवाद किया जायेगा। अनुसूची 'क' के उद्योगों के बारे में कितने मामलों में अपवाद किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक मुझे मालूम है, अनुसूची 'क' के उद्योगों में केवल कुछ अपवाद किये गये हैं अर्थात् तेल शोधन कारखाने का विस्तार और संभवतः एक इस्पात कारखाना तथा विशेष इस्पात और अलौह धातुओं के निर्माण उद्योग के बारे में अपवाद किये गये हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बताया गया है कि अनुसूची 'क' के किसी भी उद्योग को अब उन उद्योगों की सूची में नहीं रखा गया है, जिन्हें अब विदेशी गैर सरकारी सहयोग लाने की अनुमति दी जायेगी। किन्तु मैं देखती हूं कि विशेष इस्पात का यहां उल्लेख किया गया है। मूल और भारी उद्योग तथा इस्पात का अनुसूची 'क' में उल्लेख किया गया है। यही हालत मशीनी औजारों, रसायनों और मूल बीच के उद्योग।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : उन में से कोई भी अनुसूची 'क' में नहीं है । अनुसूची 'क' में मिश्र धातु और विशेष इस्पात शामिल किये गये हैं, किन्तु हाल ही में सरकार ने १००,००० टन तक कच्चे लोहे के बारे में तथा अनधिक क्षमता के विशेषतया मिश्र इस्पातों के मामले में छूट दे दी हैं क्योंकि उन की इतनी किस्में हैं कि सब सरकारी क्षेत्र के लिये रक्षित नहीं रखी जा रही हैं ।

†श्री तंगामणि : क्या लोहा और इस्पात ढलाई और गढ़ाई उद्योगों में विदेशी सहयोग की इजाजत है या क्या ये पहले की तरह सरकारी क्षेत्र में रखे जायेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : ये अनुसूची 'क' में रक्षित नहीं हैं । इस देश में हजारों फैक्टरियां इस्पात और दूसरी चीजों की ढलाई और गढ़ाई का काम करती हैं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पिछली ८ मई को जारी की गई इस प्रेस टिप्पणी का उद्देश्य यह था कि एड इन्डिया क्लब राष्ट्रों पर कुछ अच्छा प्रभाव पैदा किया जाये और यदि हां तो इस टिप्पणी के परिणामस्वरूप कितनी नई विदेशी पूंजी को आने का प्रोत्साहन मिला है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रेस टिप्पणी उन विभिन्न प्रक्रियाओं का सामान्य पुनरीक्षण है जिनकी पिछले वर्षों में काफी चर्चा रही है । हम ने पहली बार यह जारी नहीं किया है । प्रति दो या तीन वर्षों में हम पुनरीक्षण करते हैं । इस से विदेशी पूंजी नियोजकों के मन को स्पष्टीकरण करने के लिये निश्चय ही सहायता मिली है । अब अधिक पूंजी आ रही है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : ८ मई के पश्चात् कितनी पूंजी आई है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह कारण का प्रभाव नहीं है या प्रभाव का कारण नहीं है । सरकार की उचित नीति के फलस्वरूप, जिस की संसार भर में सराहना की गई है । विदेशी पूंजी एवं सहयोग अधिकाधिक देश में आ रहा है ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से यहां गैर सरकारी क्षेत्र को आने वाली विदेशी पूंजी तथा गैर सरकारी औद्योगिक उपक्रमों या व्यापारियों को प्राप्त होने वाले विदेशी सहयोग के बारे में आंकड़े दे सकता है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं ने और वित्त मंत्री ने बहुत बार सभा में इन सब प्रश्नों के उत्तर दिये हैं । रिज़र्व बैंक भी प्रति वर्ष उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में लगी विदेशी पूंजी का व्यापक बुलेटिन प्रकाशित करता है । माननीय सदस्य कृपया उन प्रकाशनों को पढ़ लें ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन अस्पतालों का निर्माण

†*५२२. †श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में खास कर अस्पतालों के निर्माण के विषय में श्री ए० एल० मुदालियर की रिपोर्ट की छानबीन पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) बम्बई में महात्मा गांधी मैमोरियल अस्पताल में प्रवेश संभवतः कब शुरू होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) और (ख). निगम सामान्य हस्पतालों के साथ संलग्न क्षय रोग खण्डों की बजाये बड़े क्षय रोग हस्पतालों से संलग्न क्षय रोग खण्डों के निर्माण और हस्पतालों के निर्माण के लिये एक संयुक्त अभिकरण के मामले को छोड़ कर हस्पताल बनाने के बारे में डा० मुदालियर की सिफारिशों से सामान्यतः सहमत हो गई है ।

(ख) जनवरी १९६२ के अन्त तक ।

†**श्री कुन्हन :** बम्बई हस्पताल का निर्माण चार वर्ष पहले आरम्भ हो गया था । विलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** हस्पताल बन रहा है और मैं समझता हूं कि जनवरी १९६२ तक, अर्थात् तीन या चार महीनों के समय में उपयोग के लिये तैयार हो जाएगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हास्पिटल के लिये सरकार ने कितने रुपये का अनुदान मंजूर किया है ।

श्री ल० ना० मिश्र : एम्पलाईज़ स्टेट इन्शोरेंस कार्पोरेशन का बजट हर साल संसद् के समक्ष रखा जाता है । इसका खर्चा मैं इस समय नहीं बता सकता हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : बम्बई में जो गांधी हास्पिटल बन रहा है, उस पर कितना रुपया लगेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री तंगामणि :** १६–३–६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर में यह बताया गया था कि तीन अस्पतालों के लिये, बंगलौर के १७२ पलंगों के अस्पताल, कानपुर के ११२ पलंगों के अस्पताल और मद्रास के १७५ पलंगों के अस्पताल तथा बम्बई के ३०० एवं ५०० पलंगों के अस्पतालों का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और काम प्रगति पर है । क्या इन चारों में से कोई हस्पताल पूरा हो चुका है और यदि ये पूरे नहीं बने हैं तो कब तक इनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** कानपुर का हस्पताल इस वर्ष दिसम्बर तक तैयार हो जाएगा, और बंगलौर का हस्पताल भी इस वर्ष में दिसम्बर तक तथा मद्रास का हस्पताल भी इस वर्ष दिसम्बर तक और बम्बई के हस्पताल जनवरी १९६२ तक तैयार हो जाएंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन राज्यों में इस प्रकार के हास्पिटल बनाने की योजना है ।

श्री ल० ना० मिश्र : करीब करीब सभी राज्यों में । एम्पलाईज़ स्टेट इन्शोरेंस स्कीम जहां जहां है, वहां हास्पिटल हैं भी और नये भी बनाये जा रहे हैं । मैंने बड़े बड़े हास्पिटल्ज की चर्चा की है ।

†**श्री कुन्हन :** इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि अब तक रखी गई है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं सही आंकड़े बताने में असमर्थ हूं । कुछ महीने पहले हम ने कर्मचारी राजकीय बीमा निगम का वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा था । मा० सदस्य उसे देख सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दमुआ कोयला खान जांच

†*५२३. { श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमुआ कोयला खान के प्रबन्धक जिसे जनवरी, १९६० की दुर्घटना के लिये जिम्मेदार ठहराया गया था, के आचारण की छानबीन करने के लिए कोयला खान विनियमन, १९५७ के अधीन नियुक्त, जांच अदालत ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन पर किस प्रकार की कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). न्यायालय ने प्रबन्धक को दुर्घटना के लिये जिम्मेदार माना है और तीन वर्षों के लिये उसकी प्रथम श्रेणी के मैनेजर की क्षमता का प्रमाण पत्र रद्द करने की सिफारिश की है। तदनुसार प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।

पाकिस्तान में कर्नल भट्टाचार्य का मुकदमा

*५२६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नल भट्टाचार्य अब भी पाकिस्तानी हिरासत में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना न्यायाधिकरण के समक्ष उनका मुकदमा हुआ ;

(ग) उन पर क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) क्या हमारे विरोध के बारे में पाकिस्तान से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) अनुमान है कि उल्लेख लेफ्टीनेंट कर्नल भट्टाचार्य का है। वह अभी पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(ख) नहीं श्रीमान्, अभी तक नहीं, यद्यपि कि कराची स्थित भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को ५ जुलाई, १९६१ को पाकिस्तान के विदेश कार्य मंत्री से एक पत्र आया था, जिसमें यह बताया गया था कि भट्टाचार्य पर उन दोषों के लिये, जिनका उन पर आरोप लगाया गया है, मुकद्दमा चलाया जाएगा।

(ग) पाकिस्तान सरकार उन पर जासूसी का आरोप लगा रही है। हमें विशिष्ट आरोपों का ज्ञान भी नहीं है जिन के लिये उन पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है।

(घ) जी हां, जैसा कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राम कृष्ण गुप्त : अभी बताया गया था कि पाकिस्तान सरकार ने हमें कहा है कि उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया है क्या सरकार के पास कोई दोषारोपण पत्र आया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार के पास नहीं आया। तथापि मुझे पता नहीं कि आया कोई दोषारोपण किया गया है। यदि कोई दोषारोपण पत्र होगा तो लेफ्टीनेंट कर्नल भट्टाचार्य को दिया जाएगा जो उनकी हिरासत में हैं। हमें दोषारोपण पत्र के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं, बल्कि हमें यह भी पता नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार का ध्यान भट्टाचार्य के साथ एक मुलाकात के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि उससे पूछा गया है कि क्या उसे दोषारोपण पत्र दिया गया है, जिसका उत्तर उसने दिया है, नहीं। उससे पूछा गया कि क्या उसने अपनी रक्षा की व्यवस्था कर ली है। उसने उत्तर दिया है कि उसके पास रक्षा के लिये वकील करने को धन नहीं है । क्या हम यह समझें कि उच्च आयुक्त के साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, क्या उसमें उच्चायुक्त ने वास्तविक स्थिति जानने का प्रयत्न नहीं किया।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुलाकात संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि उस अवसर पर पाकिस्तान के अनेक वरिष्ठ अफसर विद्यमान थे। अतः भट्टाचार्य उस प्रकार बात नहीं कर सके, जिस प्रकार वह अन्यथा बोल सकते थे। हम उस पर जोर दे रहे हैं। जहां तक रक्षा का सवाल है, यह पेचीदा मामला है कि आया ऐसे मामले में रक्षा करना या न करना, क्या वांछनीय है।

†कुछ माननीय सदस्य : क्यों ? वह हमारा अफसर है ।

†श्री जावहरलाल नेहरू : वह हमारा अफसर है। हमें दोषारोपण का पता नहीं । पाकिस्तान सरकार कहती है कि उसने कुछ मान लिया है। यह कुछ कठिन है। जहां तक मुझे मालूम है वह उस समय ड्यूटी पर नहीं था। जब तक कि पाकिस्तान सरकार हमें सरकारी तौर पर सूचना न दे और उसके लिये सुविधायें न दे, हमारे द्वारा रक्षा दिये जाने का यह अर्थ होगा कि हम इन कार्यवाहियों को करने में पाकिस्तान का अधिकार स्वीकार करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते।

†श्री हेम बरुआ : एक औचित्य प्रश्न है। पिछली बार जब इस मामले पर इस सभा में चर्चा की गई, सरकार की ओर से यह बताया गया था कि भट्टाचार्य को पाकिस्तानी पुलिस या सैनिक अधिकारियों ने हमारे राज्य-क्षेत्र के अन्दर से पकड़ा था। हमारा यही दावा है कि उसे हमारे राज्य क्षेत्र के अन्दर से पकड़ा गया और पाकिस्तान ले जाकर उसके विरुद्ध सही या गलत दोषारोपण किये गये हैं। जब वह वक्तव्य दिया गया था, तो क्या बात है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें इसका पक्का पता नहीं है कि आया हम उसको बचायें या न बचायें ? उस वक्तव्य की दृष्टि से, हमें भट्टाचार्य का बचाव अवश्य करना चाहिये क्योंकि हमें बताया गया है कि उनको हमारे राज्य क्षेत्र के अन्दर से पकड़ा गया था।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वह वक्तव्य रक्षा के प्रश्न से अलग है। निश्चय श्री भट्टाचार्य रक्षा करेंगे। बात यह थी कि क्या भारत सरकार न्यूनाधिक सरकारी तौर पर उसका बचाव कर सकता है, ऐसे मआमले में जहां हमें कुछ पता नहीं है और हम कुछ जानने के लिये उससे एकान्त में नहीं मिल सकते कि उसने क्या कहा है या क्या नहीं कहा है या उसे क्या कहना चाहिये था अथवा उसका क्या मामला है। इसमें हमारी दिलचस्पी के बारे में मा० सदस्य ने जो कुछ कहा है, निश्चय

---

†मूल अंग्रेजी में

हीं, हम उसे मिले बिना, जांच करके हम ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जो उसने ठीक कहे हैं। और अधिक जाने बिना सरकारी तौर पर रक्षा करना कुछ संदेहास्पद मामला है। हमें अवश्य पता लगना चाहिये कि इस मामले में भट्टाचार्य स्वयं क्या चाहते हैं ।

श्री हेम बरुआ उठे--

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । यदि पहले यह कहा गया है कि उनको हमारे राज्य-क्षेत्र के अन्दर से पकड़ा गया है और मा० मंत्री ने ऐसा बताया है तो निस्संदेह उनको यह पता करना है कि अब उस स्थिति में क्यों परिवर्तन किया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उस में कोई परिवर्तन नहीं है। हम अब भी यह दावा करते हैं कि उनको हमारे राज्य-क्षेत्र से पकड़ा गया है यह निष्कर्ष प्राप्त होने वाली आंशिक सूचना के आधार पर किया गया है। परन्तु पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है, पूरी सूचना भट्टाचार्य ही दे सकता है और हम उससे मुलाकात नहीं कर सके हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या हम यह मान लें कि जब भट्टाचार्य हमारे उच्च आयुक्त से मिला तब उसने किसी रक्षा वकील की मांग नहीं की, जब कि खुली अदालत में उसने कहा है "मैंने जी० ओ० सी० को एक वकील देने के लिये कहा है, क्योंकि मेरे पास वकील करने के लिये धन नहीं है ।" जब वह खुली अदालत में यह कह सकते हैं तो क्या हमारे उच्च आयुक्त को नहीं कह सकते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** खुली अदालत में उसने यह बात कही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस का समाचारपत्रों में पूरा ब्यौरा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पाकिस्तान सरकार ने यह अनुमान लगाया जब हमारा उच्च आयुक्त वहां गया कि हम केवल उसके स्वास्थ्य के बारे में उससे बात कर सकते थे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** इन तथ्यों की दृष्टि से, अब सरकार क्या कर रही है, प्रश्न तो यह है ? समाचारपत्रों में ये बातें आ चुकी हैं और सरकार ने भी देखा होगा कि ये बातें अखबारों में प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे औचित्य प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है और प्रधान मंत्री ने अभी जो बात कही है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि मेरी बात ठीक है कि उसे हमारे राज्य क्षेत्र के अन्दर से ले लिया गया है। जब हमारा यह दावा है जैसा कि प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है--तो क्या उसे बचाव की सुविधायें देना सरकार के लिये उचित नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं है जिसका मैं फैसला कर सकूं। यह फैसला करना सरकार का काम है कि किन परिस्थितियों में क्या कार्रवाई की जानी चाहिये क्योंकि सरकार का यह अभी तक मत है कि भट्टाचार्य हमारे इलाके से पकड़े गये हैं, प्रशासन का जब तक भार उन के ऊपर है यह फैसला उन को करना कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिये। सभा का दूसरा मत हो सकता है परन्तु मैं इस औचित्य प्रश्न का फैसला नहीं कर सकता । वास्तव में यह औचित्य प्रश्न ही नहीं है। यदि पहले एक वक्तव्य दिया गया था और इस अवसर पर भिन्न वक्तव्य दिया जाता है, तो मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करवा सकता हूं, जब मुझे इस की सूचना मिले, ताकि मंत्री को स्थिति का स्पष्टीकरण करने या सही स्थिति बताने का अवसर दिया जाए। परन्तु माननीय सदस्य चाहते हैं कि कर्नल भट्टाचार्य को

---

†मूल अंग्रेजी में

अपनी रक्षा करने के लिये पर्याप्त धन दिये जाने के हेतु पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं की जाती । मैं ऐसा अनुदेश नहीं दे सकता और यह औचित्य प्रश्न का विषय नहीं बन सकता । समूची सभा सरकार को अनुदेश दे सकती है और सरकार को उसे स्वीकार करना होगा यदि माननीय सदस्य ऐसा अनुदेश देना चाहते हैं तो उसके लिये दूसरे उपाय हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन उच्च आयुक्त ने भट्टाचार्य से जो मुलाकात की थी उस समय पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे । क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि उनके उच्च आयुक्त या उप उच्चआयुक्त को भट्टाचार्य से अकेले में मिलने दिया जाये और पिछले सत्र में सरकार ने बताया था कि वह अपने राज्य क्षेत्र के अन्दर पकड़ा गया था इस दृष्टि से भी, क्या सरकार यह विचार करती है कि हमारे राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने बारंबार जोर डाला है कि हमारे उच्च आयुक्त या उप उच्च-आयुक्त को अकेले में उन से मुलाकात करने का अवसर दिया जाये । मुलाकात का यही उद्देश्य है । अन्यथा कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं बता सकता । हमारी सूचना के अनुसार स्थिति यह है जो हमने पास्कितान सरकार को बताई है कि कर्नल भट्टाचार्य जी पर जहां तक हमें पता है, गोली चलाई गई, दो व्यक्तियों भट्टाचार्य तथा एक और व्यक्ति पर धावा किया गया । कर्नल भट्टाचार्य को गोली लगी और वह गिर गये ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वह डयूटी पर थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं समझता कि वह प्रत्यक्षत: वहां किसी प्रकार की ड्यूटी पर था, केवल अस्पष्ट अर्थ में वह इस ड्यूटी पर था कि उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सीमा की निगरानी रखेगा । वह गिर गया और हमें प्राप्त सूचना के अनुसार उसे घसीटा गया, निस्संदेह यह सीमा के बिल्कुल समीप था, उसे घसीट कर पाकिस्तान की सीमा में ले जाया गया जब कि दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ था, इस धावे से भाग कर बच गया ।

पाकिस्तान का यह दावा है कि यह तब हुआ जब कर्नल भट्टाचार्य उन के राज्य क्षेत्र में घुस गये थे, यह सच है कि उनके ऊपर गोली चलाई गई क्योंकि उसके गोली लगी और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, वह उनके राज्य क्षेत्र में गिरा था ।

ये दो भिन्न २ मत हैं । हमने अपने मत पर जोर दिया है और पाकिस्तान सरकार को अपना पता बताया है जिस की हमें जानकारी है ।

भविष्य में क्या कार्रवाई की जा सकती है यह इस मामले की अन्य बाकी बातों पर निर्भर होगा । हम इस समय फैसला नहीं कर सकते कि हम रक्षा या अन्य मामलों में क्या कार्रवाई करेंगे क्योंकि हम और सूचना प्राप्त करना चाहते हैं ।

†**श्री नाथपाई** : वह जिस रक्षा को प्राप्त करने का हकदार है उसे वह देने का अन्तिम फैसला करने से पहले सरकार किस प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहती है ? क्या कर्नल भट्टाचार्य द्वारा की गई स्वीकृति उसे यातना एवं कष्ट पहुंचा कर करवाई गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह मैं कैसे कह सकता हूं कि भट्टाचार्य को पाकिस्तानी हिरासत में क्या कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ी हैं या नहीं । कर्नल भट्टाचार्य की अब हमारे उप उच्च आयुक्त से मुलाकात हुई तब उसने कहा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है । आया उसने यह बात भ्रम के अन्दर कही यह मैं नहीं कह सकता, उसने हमारे व्यक्ति से यह कहा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : पुनः औचित्य प्रश्न पूछता हूं । क्या यह सच नहीं है कि हमारे विदेश कार्य दफ्तर ने पाकिस्तान से इस बात का विरोध प्रदर्शित किया है कि कर्नल भट्टाचार्य को वक्तव्य देने या मामले के लिये याचना दी गई है ? यदि हां, तो प्रधान मंत्री का अभी दिया गया वक्तव्य इससे मेल नहीं खाता । इन दोनों में अन्तर है । ऐसा क्यों है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं क्या अन्तर है । हमने यह कहा है कि पाकिस्तान सरकार के सामने जो कोई आरोपित स्वीकृत उसने की होगी, वह संभवतः यातना भय के कारण की होगी ये अनुमान है, हमने यह नहीं कहा कि उसने वक्तव्य दिया है या उसने याचना के कारण ऐसा किया है; हमने तो केवल यह कहा है कि उसे अवश्य याचना दी गई होगी और इस लिये हम इसे ही स्वीकार नहीं कर सकते ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या शासकीय कार्रवाई के अतिरिक्त, हम भारतीय रेडक्रास को नहीं कह सकते कि वह मानवता के दृष्टि कोण से कर्नल भट्टाचार्य को बचाये ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वह लोगों को नहीं बचाता, वह घावों आदि के इलाज में सहायता देता है ।

†श्री अ० चं० गुह : यदि यह संभव नहीं है कि कुछ प्रविधिक कारणों से सरकार व शासकीय बचाव की व्यवस्था नहीं कर सकती, तो क्या यह संभव नहीं हो सकता कि कम से कम कर्नल भट्टाचार्य जी को अपना निजी बचाव करने दिया जाए और सरकार उस का खर्च दे ? सरकार यह भी व्यवस्था कर सकती है कि उसे निजी तौर पर किसी पाकिस्तानी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में विधि संबंधी परामर्श का हक मिले । यह अपराध न्यायालय में प्रत्येक अभियुक्त का अधिकार होता है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह देश अर्थात् पूर्वी पाकिस्तान सैनिक विधि के अन्तर्गत है । यदि उन पर अभियोग चलाया जाता है तो वह सैनिक विधि के अन्तर्गत होगा, विधि न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार के अन्दर नहीं । सैनिक विधि विदेशियों को बहुत सीमित विशेषाधिकार देता है ।

उन पर अभियोग चलाये जाने की संभावना है और ३१ अगस्त की तिथि नियत की गई है आया उस पर तब अभियोग चलाया जाएगा या बाद में, यह मुझे मालूम नहीं ; हम यह जानने को उत्सुक हैं कि हमारे अन्तिम तिथि से पूर्व इस मामले पर कर्नल भट्टाचार्य का अपना क्या मत है । निस्संदेह यदि उनके वचनों और हमारे ब्यान में कुछ अन्तर हुआ तो बहुत बुरा होगा ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : हम उसकी रक्षा के लिये कितनी भी राशि दे सकते हैं । यह सभा प्रसन्नता से १०,००० रुपये की मंजूरी दे देगी । आप इस पर मत ले सकते हैं ।

†श्री जयपाल सिंह : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो प्रश्न पूछा है मुझे उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहिये । मैं इससे यह समझता हूं कि सरकार जी. ओ. सी. से मांगी गई रक्षा की प्रार्थना पर विचार कर रही है । क्या हम यह मानें कि वह प्रार्थना अस्वीकार नहीं की गई है ? प्रार्थना की गई है, प्रकाशित हो चुकी है कि उसे रक्षा सुविधाएं चाहियें और उसने जी० ओ० सी० से प्रार्थना की है । चाहे कुछ भी पेचीदगियां हों, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रार्थना रद्द नहीं की गई है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या पाकिस्तान के जी० ओ० सी० से या भारत के जी०ओ०सी० से ?

†श्री नाथ पाई : पाकिस्तान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कर्नल भट्टाचार्य की सेवा निवृत्त अफसर हैं और अब सेना में काम नहीं करता। मैं नहीं समझता कि किसी भी सेना के जी०ओ०सी० का इससे संबंध हो सकता है। पाकिस्तान सरकार का संबंध है और हम उनसे कह रहे हैं।

†**श्री त्यागी :** सरकार की एक प्रथा है कि ड्यूटी के समय किये गये भी कार्य के संबंध में कर्मचारी द्वारा मुकद्दमेबाजी पर जो व्यय होता है वह सरकार द्वारा दिया जाता है। क्या कर्नल भट्टाचार्य सीमा पर सरकारी ड्यूटी दे रहा था? यदि हैं तो मुझे आशा है कि वह प्रथा अभी जीवित है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस काम के लिये धन की कमी का सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि कौनसा उपाय अपनाना ठीक होगा।

†**श्री अ० च० गुह :** यदि उसे निजी बचाव करना पड़ा तो क्या सरकार बचाव का व्यय देगी?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि धनाभाव का प्रश्न नहीं है। वह जानना चाहते हैं कि कर्नल भट्टाचार्य क्या चाहते हैं और वे उससे मिल नहीं सकते हैं।

कार्बनिक रसायन

†*५२६. { **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री नेक राम नेगी :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा कार्बनिक रसायनिक तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजना के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है; और

(ग) क्या कार्बनिक रसायनिक तैयार करने की आवश्यकता के बारे में इस समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कुछ समय पूर्व, हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स समिति के प्रबंधाधीन दिल्ली और अल्वाये की डी० डी० टी० फैक्टरियों में कार्बनिक रसायनों के निर्माण की संभाव्यता की जांच करने के लिये एक प्रविधिक समिति बनाई गई थी जो एक स्थायी अध्ययन दल के रूप में है। समिति में नैशनल कैमीकल्स लैबारेटरी के विकास कक्ष तथा हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स समिति के प्रतिनिधि हैं।

२. डी०डी०टी० निर्माण के लिये अपनी क्षमता में अन्तर डाले बिना डी०डी०टी० फैक्टरी जिन उपयोगी उप उत्पादों का निर्माण कर सकती है उसे ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की है कि क्लोरल हाइड्रेट क्लोरोफार्म आदि अनेक कार्बनिक रसायनों का निर्माण किया जाना चाहिये। हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड कम्पनी के प्रबंधक इन सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से मैं समझता हूं कि प्रविधिक समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया जा चुका है। क्या इन्सैक्टीसाइड फैक्टरियों में इन रसायनों के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, परन्तु हमें आशा है कि इन सब रसायनों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने यह फैसला किया है कि दिल्ली और अल्वाये की डी०डी०टी० फैक्टरियों की निर्माण क्षमता में अन्तर किये बिना इन रसायनों के निर्माण के लिये पृथक संयंत्र लगा दिया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह**: दिल्ली और अल्वाये दोनों वर्तमान फैक्टरियों की क्षमता का विस्तार किया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : प्रविधिक समिति ने जो एक प्रकार का एक स्थायी अध्ययन दल है, सिफारिशें की हैं । हमें बताया गया है कि सिफारिशों का परीक्षण हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड कम्पनी के प्रबंधकों के द्वारा किया जा रहा है । इन दोनों केन्द्रों अर्थात् दिल्ली और अल्वाये में ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित कर दी जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान अनुमान ये हैं कि इसके लिये लगभग १ करोड़ रुपये की आवश्कता होगी जिसका आधा भाग विदेशी मुद्रा में होना चाहिये । जब हम विदेशी मुद्रा आदि की आवश्यकता की छानबीन कर लेंगे तो संभवतः हम दो तीन महीनों में निर्णय कर लेंगे ।

काजू उद्योग

†*५३०. { **श्री जीनचन्द्रन** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उद्योग के बारे में जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी के० पी० के० मेनन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं और क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी नहीं श्रीमान् ।

†**श्री जीनचन्द्रन** : क्या देश की सब काजू फैक्टरियों को साल भर के उपयोग के लिये कच्चा माल मिलता है और क्या तैयार माल का लगातार बाजार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : देश में और विदेश में तैयार माल के लिये नियमित बाजार हैं । परन्तु मैं यह बात कच्चे माल के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि इन में से अधिकांश का आयात होता है ।

†**श्री आचार** : काजू और मसालों के लिये एक साझा पदार्थ समिति बनाने का प्रस्ताव था । उसकी क्या प्रगति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह अभी विचाराधीन है । उनकी एक ही समिति नहीं हो सकती या कोई भी समिति नहीं हो सकती ।

†**श्री मणियंगाडन** : क्या रिपोर्ट देने के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इस महीने के अन्दर रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । सभी को याद होगा कि समिति ने ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग के लिये ६ महीनों से अधिक नहीं लिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जीनवन्द्रन : क्या तीसरी योजना में काजू के उत्पादन को बढ़ाने और अपना आयात घटाने के लिये कोई विशेष उपबंध किया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां। हमने ऐसा किया है। परन्तु मांग इतनी बढ़ गई है घरेलू उपयोग और निर्यात के लिये कि मुझे डर है कि हमें बहुत देर तक आयात जारी रखने होंगे।

योजना की परियोजनाओं का निर्माण कार्य

+

†*५३३. { श्री आचार :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना की परियोजनाओं की निर्माण कार्य की लागत कम करने के लिए अन्तर्विभागीय समितियां बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि वे निर्यात व्यय में कमी करने के बारे में प्रगति की देखभाल करने के लिये अन्तर्विभागीय समितियां स्थापित कर सकते हैं। बहुतेरे राज्यों ने ये समितियां बना ली हैं। इस प्रकार समितियों की स्थापना केन्द्र के विचाराधीन है। इन समितियों की स्थापना के द्वारा प्रत्येक विकास कार्यक्रम के निर्माण पहलू पर पूर्णरूपेण विचार करना संभव होगा और यह संभव होगा कि किन स्थानों पर और किन उपायों से कमी की जा सकती है।

†श्री आचार : क्या इनमें से कोई समिति वास्तविक में स्थापित हो चुकी है ? यदि नहीं तो वे किस स्तर की है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : मैं ने बताया है कि कुछ राज्यों ने ये समितियां बना ली हैं। इस समय उनकी संख्या सात है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किये गये प्रशासनिक सुधारों के लिये इस परियोजना पर अकेले विचार किया गया था या परियोजना के साथ मिला कर विचार किया गया था, जब इसने पूर्ण चित्र पर विचार किया, क्या उस के बारे में कोई कदम उठाये गये हैं ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : उनका उल्लेख सब संगत मामलों में है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम इस के बारे में अत्यंत गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : गृह-कार्य मंत्रालय ने हाल ही में वे सब प्रशासनिक सुधार घोषित किये हैं जिन्हें यह योजना को अच्छी तरह चलाने के लिये लागू करने का विचार करता है। परन्तु यह विशिष्ट परियोजना शामिल नहीं की गई है जैसा कि माननीय मंत्री स्वयं कहते हैं कि यह विचाराधीन है। मामला किस स्थिति में है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : जहां तक इसे एक खास पत्र में शामिल करने का सवाल है, हो सकता है कि यह उसमें न हो, परन्तु यदि माननीय सदस्य योजना, को विशेषकर पृष्ठ २८५—२८७ को पढ़ने का कष्ट करेंगे, तो उनको इस बारे में स्पष्ट सुझाव मिल जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगो समस्या का हल

†*५३५. श्री कालिका सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगो समस्या के हल के बारे में भारत सरकार के मूल प्रस्ताव क्या हैं;

(ख) कौन से प्रस्ताव धीरे धीरे मंजूर कर लिये गये हैं और कौन से कार्यान्वित किये गये हैं या किये जा रहे हैं;

(ग) भारत सरकार की राय के अनुसार कांगो के बारे में अभी क्या किया जाना बाकी है; और

(घ) कांगो समस्या का अन्तिम हल निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार के मतानुसार कांगो समस्या का हल इस प्रकार है :

(१) कांगो संसद् को पुनः समवेत करना ।

(२) सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई ।

(३) कांगो से सभी बिल्जियम वाले सैनिकों और सैनिकवत लोगों को जिन में राजनीतिक सलाहकार एवं स्वार्थी लोगों को कांगो से हटा दिया जाये ।

(४) कांगो को सब शस्त्रास्त्र संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भेजा जाये ।

(५) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कांगो में सभी गैर-सरकारी सेनाओं का निशस्त्रीकरण हो और ऐसा न होने पर, कांगो में झगड़े वाले सब पक्षों से जोरदार अपील की जाये कि वे अपने अपने दलों को तटस्थ बनाये रखें ।

२१ फरवरी, १९६१ को सुरक्षा परिषद् द्वारा एक संकल्प स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बैल्जियम की सरकार ने अपने सैनिकों और राजनीतिक सलाहकारों को, जो उनके नियंत्रणाधीन थे, हटाना स्वीकार कर लिया, परन्तु उन बैल्जियमों को हटाने में अपनी असमर्थता प्रकट की जिन पर विचित्र कांगोली सरकारों के प्रति राजभक्ति है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कांगो में काम करने के लिये भारतीय सेना के एक पूरे ब्रिगेड का भेजा जाना भारत सरकार का एक काम था, जिससे कांगो समस्या के अन्तिमरूपेण हल किये जाने में सहायता मिले । कांगो में संयुक्त राष्ट्र के भारतीय और अन्य दलों के विद्यमान होने से वहां की अन्यथा बिगड़ी हुई हालत सुधरी और इस से संसद् को पुनः समवेत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगोली संसद् की बैठक बुलाने का हमारा प्रस्ताव अन्ततोगत्वा सुरक्षा परिषद् द्वारा २१ फरवरी, १९६१ के उसके संकल्प ारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप कांगोली संसद् बैठक जुलाई में हुई और करीब करीब एक मत से एक नई सरकार बन गई, यह एक ऐसी बात है जिसका भविष्य के लिये अच्छा प्रभाव होगा ।

†**श्री कालिका सिंह** : विवरण में मैं देखता हूं कि भारत से एक ब्रिगेड कांगो भेजा गया है । उसके कब लौटने की आशा है ? और वहां स्थित भारतीय सेना के बारे में कांगो की नई सरकार का क्या रवैया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम नहीं कह सकते कि वे वब लौटेंगे । परन्तु कांगो में हालत सुधर रही है इस दृष्टि से हमें आशा है कि यदि पूरी नहीं तो कुछ सेना निकट भविष्य में वापिस लौट आएगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : बयान में लिखा है : "संकल्प स्वीकार किये जाने के परिणाम-स्वरूप बिल्जियम की सरकार ने उनके अधीन काम आने वाले बिल्जियम के सैनिक कर्मचारियों एवं राजनीतिक सलाहकारों को हटाना स्वीकार कर लिया ।" मैं जानना चाहता हूं कि उस के बाद से बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने मिलिटरी ऐडवाइजर्स को वापस बुला लिया है या नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अपने मिलिटरी ऐडवाइजर्स वगैराह को तो वापस बुला लिया था लेकिन वहां सिविल बेल्जियन्स काफी रहते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं मिलिटरी की बात कहता हूं । बयान में लिखा है : "बिल्जियम सरकार ने उनके अधीन काम करने वाले अपने सैनिक कर्मचारियों और राजनीतिक सलाहकारों को हटाना स्वीकार कर लिया ।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद से बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने मिलिटरी परसोनेल और ऐडवाइजर्स को वापस ले लिया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : फौरन बाद उन्होंने ले लिया था । मैं यकायक नहीं कह सकता कि कोई बच नहीं गया । लेकिन बहुत सारे वापस गये थे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण में बताया गया है कि हम जिन समस्याओं का हाल चाहते थे उन में से एक समस्या कांगो में सभी गैर-सरका ी सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निशस्त्री-करण करने के बारे में था । उसके बारे में इस समय क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मैं जानता हूं, उनका निशस्त्रीकरण नहीं किया गया । यह एक बात है जो वहां करनी होगी ।

---

†मल अंग्रजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी

†*५१५. {श्री दी० चं० शर्मा :
{श्री ग्रासर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार के एक भूमापन अधिकारी और उसके पांच सहायकों को जलपाईगुडी में सदर थाना क्षेत्र में हरिबोलापाड़ा में सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी, हां। उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे भारतीय सीमा के अन्दर घूमते हुये पाये गये थे। उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं थे जिनमें उनको भारत आने की अनुमति दी गई हो।

(ख) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें बताया है कि उसने पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत उन पर अभियोग चलाया है। इस मामले में अग्रेतर जांच पड़ताल जारी है।

पीतल के बर्तनों का निर्यात

†*५२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतल के बर्तनों का निर्यात इस वर्ष मार्च से काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च से आगे प्रत्येक महीने में पीतल के बर्तनों के निर्यात के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) निर्यात में इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इस समय केवल अप्रैल, १६६१ तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन से पता चलता है कि बाद के महीनों में औसत मासिक निर्यात में कमी हुई है।

(ख)	मार्च, १६६१	१२.२२ लाख रुपये।
	अप्रैल, १६६१	८.४३ लाख रुपये।

(ग) कमी अधिकांशतः आर्टपेपर के बारे में प्रतीत होती है। इस समय कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उद्योगों का संवर्धन

†*५२५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इटली के एक सबसे बड़े औद्योगिक समूह मौंटेकैटिनी के प्रमुख को भारत में उद्योगों के संवर्धन पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट उद्योगों के संवर्धन पर चर्चा की जाने वाली थी और इन उद्योगों के विकास के किस पहलू पर चर्चा होनी थी; और

(ग) क्या उन्होंने निमंत्रण का उत्तर दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). वाणिज्य मंत्री श्री नित्यानंद कानूनगो के सभापतित्व में एक भारतीय आर्थिक शिष्ट मंडल इस वर्ष अप्रैल में इटली गया था। अपने दौरे के बीच शिष्ट मंडल ने चर्चा के लिये मौंटेकेटिनी के प्रमुख से मुलाकात की। इस अवसर पर शिष्ट मंडल के नेता ने यह सुझाव दिया कि सामान्यतया भारत में औद्योगिक उन्नति को देखने और सहयोग की संभावना को जांचने के लिये भारत आने का सुझाव दिया।

पंजाब में लिनन का उत्पादन

†*५२७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में लिनन तैयार करने वालों को नकली रूई से सूत (स्टेपल फाइबर यार्न) की अपर्याप्त सप्लाई के कारण लिनेन के, जो विदेशों को निर्यात किया जाता है, उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या टेकस्टाइल मैनूफैक्चर्स असोसियेशन, अमृतसर के सचिव के समान वितरण के लिये ४००० गांठें ले लेने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ; और

(ग) उचित दाम पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह सूचना मिली है कि अमृतसर और लुधियाना के कुछ विद्युत् चालित करघों को लंबे रेशे वाला सूत उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल सका, अतः उनके उत्पादन कार्यक्रम में बाधा पहुंची है अमृतसर की कपड़ा निर्यात संस्था में भारतीय सूती कपड़ा मिल संघान के सचिव को लिखा है कि वे प्रति मास अपने सदस्यों को बांटने के लिये संघ को ३००० से ४००० गांठ लंबे रेशे का सूत देने का प्रबन्ध करें। इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन और मद्रास इंडिया मिल ओनर्स फेडरेशन ने अपने सदस्य-मिलों से संभव मात्रा में लंबे रेशे का सूत वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे देने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है और इस से उन को माल मिलता रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैमरे और दर्शन यंत्रों का निर्माण

†*५२८. { **श्री पांगरकर :**
{ **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के सरकारी नैशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड ने सिंगल लेन्स रिफ्लेक्स कैमरे और अन्य दर्शन यंत्रों के निर्माण के लिये एक जापानी फर्म के साथ प्रविधिक सहयोग करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नैशनल इन्स्ट्रूमेंट्स सीमित कलकत्ता द्वारा मैसर्स निपन कोगाकू, जापान के साथ कैमरों और दूसरे दर्शन यंत्रों के निर्माण के लिये किये गये प्रविधिक सहयोग करार की मोटी रूपरेखा नीचे दी जाती है :

(१) करार में कैमरों और दूसरे दर्शन यंत्रों के निर्माण के लिये जापानी कंपनी के साथ उनके एकस्वों के उपयोग के लिये एक प्रविधिक प्रतिबद्धता की व्यवस्था है ।

(२) इस समय, मैसर्स निपन कोगाकू के आधुनिकतम नमूने के 'निक्कौरेक्स' कैमरे के मध्यम मूल्य कैमरे के निर्माण का विचार है ।

(३) इस में जापान में विदेशी कंपनी की फैक्टरी में भारतीय शिल्पिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

(४) ३५ मिलीमीटर कैमरों का अनुसूचित उत्पादन एक हज़ार मासिक होगा ।

(५) १२००० पौण्ड का विधिक शुल्क चार किश्तों में जापानी कंपनी को दिया जायेगा ।

(६) कैमरों की फैक्टरी से निकलने के बाद दाम पर २ प्रतिशत स्वामित्व, भारतीय करों से मुक्त, जापानी कंपनी को दिया जाएगा ; और

(७) करार की अवधि १० वर्ष की है ।

उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में पदाधिकारी

†*५३१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के सरकारी पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से कहा है ; और

(ख). यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) प्रधान मंत्री विधि तथा व्यवस्था अधिक बिगड़ने पर इस सामान्य नियम के पालन किये जाने पर जोर देते रहे हैं कि मुख्य अधिकारियों को बदल दिया जाये। प्रधान मंत्री ने इस सामान्य नियम की ओर मध्य प्रदेश का ध्यान दिलाया था। किन्हीं विशेष अधिकारियों का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ख) विचार है कि जबलपुर और अन्य स्थानों पर दंगे होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा से कुछ पदाधिकारियों को बदला गया था।

दिल्ली में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

***५३२. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के बादली, बवाना, नरेला, नांगलोई और नजफगढ़ में औद्योगिक बस्तियां बनाने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) वहां कौन कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख). दिल्ली प्रशासन ने पहले नांगलोई, नरेला, नजफगढ़, बादली, बवाना और पालम आदि में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां बसाने का प्रस्ताव किया था। इस योजना में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित योजना के अधीन जमीन लेकर कारखाने की इमारतें बनाने के लिये औद्योगिक सहकारी संस्थाओं तथा निजी उद्यमियों को दी जायेगी।

(ग) इस प्रकार प्राप्त की गई और दी गई जमीन पर किस किस्म के अथवा कौन से उद्योग स्थापित किये जायें इस बारे में कोई खास प्रतिबन्ध नहीं होगा। स्थापित किये जाने वाले उद्योग बिजली, पानी के मिल हैं, बेकार माल की निकासी, कारीगरों और शिल्पकारों के मिलने, कच्चे माल के पाये जाने तथा परिवहन की सुविधाओं आदि विभिन्न कारणों पर निर्भर करेंगे।

दिल्ली नगर निगम के लिये भवन

***५३४. श्री खुशवक्त राय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के भवन निर्माण के लिये किसी भूमि का चयन कर लिया गया है ;

(ख) यह भूमि खाली पड़ी है या उस पर मकान बने हुए हैं; और

(ग) यदि वर्तमान मकान तोड़े जाने वाले हैं, तो उन में बसने वाले व्यक्तियों के लिये जो बेघर हो जायेंगे क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†निर्माण, आवास, और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय भूमि पर सरकारी रहने के मकान, दिल्ली नगर निगम की दूकानें तथा सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं।

(ग) सरकारी कर्मचारियों को बदले में अन्य निवास स्थान दिया जायेगा।

श्रमिकों की मृत्यु

*५३६. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री रामम :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी मुआवजा कानून के अन्तर्गत उन छः श्रमिकों को क्या मुआवजा देने का विचार है जो २६ जून, १९६१ को दिल्ली में नजफगढ़ रोड पर रासायनिक कारखाने की दीवार के गिर जाने से दब कर मर गये थे; और

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों की छानबीन करवाई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस कानून के आधीन मुआवज़ा नियोजक देता है और मुआवज़े की रक़म कानून की चौथी अनुसूचि के अनसार निश्चित की जाती है।

(ख) जी, हां। जांच का काम दिल्ली के चीफ़ कमिश्नर ने मैजिस्ट्रेट को सौंप दिया है।

पटसन मिलों का बन्द होना

†*५३७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन कर्मचारियों ने कलकत्ते की पटसन मिलों के बंद होने का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पटसन मिलें बन्द कर दी गई हैं ;

(ग) उक्त मिलों के बंद होने से कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) वे संभवतः कितने शीघ्र फिर खोली जायेंगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां, मिलों की सामूहिक तालाबन्दी के बारे में।

(ख) तथा (ग). प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं।

(घ) सामूहिक तालाबन्दी एक सप्ताह जून में और दूसरे सप्ताह जुलाई, १९६१ में रही।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के रिहायशी इलाकों में डाक्टर

†*५३८. { श्री आसर :
श्री प्र० गं० देव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि तथा विकास अधिकारियों ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चिकित्सा करने वाले डाक्टरों को बेदखली के नोटिस दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को देहली मैडीकल ऐसोसियेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई हैं ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) नहीं श्रीमान् । पट्टों की शर्तों के विरुद्ध कार्य करना रोकने के लिए नोटिस दिये गये थे ।

(ख) पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत रिहायशी मकानों को किसी व्यापार, कार्य या व्यवसाय के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) सरकार ने पट्टेदार या किरायेदार डाक्टरों को चिकित्सा आदि करने की अनुमति देने का निश्चय कर लिया है । किन्तु इसके लिए तर्क यह है कि इस से इलाके के निवासियों को कोई बाधा या अन्यथा असुविधा न हो और बस्ती का रिहायशी रूप ही न बदलने लगे ।

टेक्सटाइल कमिश्नर का कार्यालय

*५३९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टेक्सटाइल कमिश्नर का कार्यालय बम्बई में है और पंजाब के मौजा, बनियान और कपड़ा उद्योग को बम्बई कार्यालय से व्यवहार करने में काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है;

(ख) क्या टेक्सटाइल कमिश्नर का रीजनल कार्यालय पंजाब के किसी भाग में खोलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). अमृतसर में एक रीजनल कार्यालय खोलने का विचार है ।

हाजियों का स्वदेश प्रत्यावर्तन

†*५४०. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सऊदी अरब में उन हाजियों के जो वहां रुके पड़े हुए हैं, स्वदेश प्रत्यावर्तन के लिए प्रार्थना की है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यात्रा अभिकर्ताओं की दिल्ली स्थित एक कंपनी ने इन हाजियों को भारत वापिस लाने से इन्कार कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). नहीं श्रीमान। उत्तर प्रदेश की राज्य हज समिति ने इस मंत्रालय को दिल्ली की पैरामाउन्ट ट्रेविल एजेंसी द्वारा ले जाये गये ९ तीर्थयात्रियों की कठिनाइयों की सूचना दी थी। जद्दा और बगदाद में भारतीय राजदूतावासों से रिपोर्ट मांगी गई थी जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ट्रेविल एजेन्सी के कारण तीर्थयात्रियों को वास्तव में कछ असुविधायें उठानी पड़ीं।

(ग) और (घ). अन्त में जद्दा और बगदाद में भारत के राजदूतावासों ने ट्रेविल एजेन्ट्स् को हाजियों को भारत वापस लाने पर सहमत कर लिया।

(ङ) सरकार की उचित एजेंसियां तीर्थयात्रियों की उन कठिनाइयों की, जो उन्हें फर्म के साथ हुई, जांच पड़ताल कर रही है।

जोर्डन से रॉक फास्फेट का आयात

†*५४१. श्री रामजी वर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोर्डन से रॉक फास्फेट आयात करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि जोर्डन से मंगाये जाने वाले फास्फेट के लिए अन्यत्र उपलब्ध दर से कुछ अधिक ऊंचे दर पर भुगतान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह ऊंची दर देने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान। सरकार का जोर्डन से रॉक फास्फेट आयात करने का कोई विचार नहीं है। राज्य व्यापार निगम ने जोर्डन रॉक फास्फेट और खान समवाय से एक फास्फेट आयात करने के लिये करार किया है।

(ख) और (ग). हां, परन्तु विभिन्न प्रकार के रॉक फास्फेट की दरें ठीक से तुलानात्मक नहीं हैं क्योंकि उनके प्रकार विवरण विभिन्न हैं।

मेट्टूर में अल्युमिनियम कारखाना

†*५४२. श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में मेट्टूर मैसूर में अल्युमिनियम कारखाने में, जिसका शिलान्यास १० जून, १९६१ को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, चालू वर्ष के अन्त से पहले उत्पादन आरंभ हो जायेगा ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो निर्धारित समय सूची क्या है ; और

(ग) क्या मद्रास अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने निर्माण तथा अन्य संबंधी काम के बारे में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् । उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत दिया गया लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार मेट्टूर (मद्रास) में अल्युमिनियम कारखाना १९६२ के अन्त तक स्थापित होगा ।

(ग) भारत सरकार को निर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों का विस्तृत प्रोग्राम देना आवश्यक नहीं है । फिर भी, सूचना मिली है कि कार्य अनुसूची के अनसार हो रहा है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

†*५४३. **श्री प्रमथनाथ बनर्जी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने यह दावा किया है कि उस के द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमत बाहर से आयात की गयी वस्तुओं की कीमत की अपेक्षा कम है ;

(ख) यदि हां, तो आयात की गयी मशीन और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के द्वारा तैयार की गयी मशीन की कीमत में कितना प्रतिशत अन्तर है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपनी वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो वह कौन कौन सी मशीनें और औजार हैं, और उनका कहां निर्यात करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). हां, श्रीमान् । प्रतिशत अन्तर विभिन्न मशीनों का अलग अलग है ।

(ग) और (घ). हां, श्रीमान । कम्पनी योरोप के बाजारों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों का संभरण करने के लिए अपने योरोपीय टेक्निकल सहयोगियों से वार्ता कर रही है ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†*५४४. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० गं० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सभी प्रशिक्षार्थियों ने हड़ताल की थी जिससे वहां का काम पूरी तरह बंद पड़ गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) हड़ताल में कितने प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया ;

(घ) हड़ताल के कारण इस फैक्टरी को कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा ;

(ङ) हड़ताल कितने दिनों तक चली ; और

(च) हड़ताल समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

कार्मिक संघों को सुविधाएं

†*५४५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों को कुछ सुविधाएं देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन कौन सी सुविधाएं हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों को दी गई सुविधायें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐनकों आदि के शीशे का कारखाना

†*५४६. श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के सहयोग से ऐनकों आदि के शीशे का कारखाना (आप्थालमिक ग्लास प्लान्ट) खोलने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस कारखाने में उत्पादन कब शुरू होगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट २४ जुलाई, १९६१ को प्राप्त हुई है और उस पर विचार हो रहा है ।

(ख) आशा है कि कारखाने में १९६३ में उत्पादन आरम्भ होगा ।

हैदराबाद में शीशे की चादरों का संयंत्र

†*५४७. श्री पांगरकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद में एक शीशे की चादरों का संयंत्र स्थापित करने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से शोधित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). आन्ध्र सरकार परियोजना पर कुछ विदेशी और भारतीय विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है और तैयार होने पर अपने प्रस्ताव हमें भेजेगी ।

बोनस आयोग

†*५४८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है ; और

(ख) प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) आयोग की रचना और निर्देश पद निश्चित किये जा रहे हैं ।

(ख) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पटसन मजूरी बोर्ड में अन्तरिम पंचाट का लागू किया जाना

†*५४९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी पटसन कारखानों द्वारा पटसन उद्योग के मजूरी बोर्ड के अन्तरिम पंचाट को कार्यान्वित किया जाए, इस दिशा में तब से क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये यदि कोई और कार्यवाही की जाएगी, तो क्या ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस बीच से और मिलों ने सिफारिशें लागू की हैं ।

(ख) राज्य सरकारें इस बारे में आगे कार्यवाही कर रही हैं।

अणु शक्ति केन्द्र

†*५५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की सहायता से एक अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है और कितनी ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्य किया गया है और प्रस्तावित संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की सहायता से अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । अनेक संभावनाओं पर निरन्तर विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होत ।

सिलाई की मशीनें

†*५५१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में बनाई जाने वाली सिलाई की मशीनों के आयात किये जाने वाले पुर्जों में कमी कर दी गई है ;

(ख) क्या इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) क्या ऐसे पुर्जे भारत में बनाये जाने शुरू हो गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उन्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम का पूरी दिल्ली में विस्तार

†*५५२. {
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री तंगामणि :
}

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली श्रम सलाहकार बोर्ड ने अभी हाल ही में यह मांग की है कि दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४ को दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले समूचे दिल्ली क्षेत्र तक विस्तार किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो अब किन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां ।

(ख) दिल्ली नगरनिगम के पश्चिम और दक्षिण खण्ड, नरेला और नजफगढ़ उपनगर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन क्षेत्रों का विकास हो रहा था, और यह आवश्यक समझा गया कि नया एक्ट उन क्षेत्रों में लागू करने के पहिले, उसकी कार्यान्विति का कुछ अनुभव प्राप्त किया जाये ।

(घ) दिल्ली प्रशासन इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा धावा

†*५५३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्रीमती इला पालचोधरा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग ५० पाकिस्तानी पुलिस कास्टेबल जिनका नेतृत्व एक हवलदार कर रहा था, हाल ही में रायगंज थाना, जिला जलपाईगुरी (पश्चिम बंगाल) के अन्तर्गत भारतीय क्षेत्र में घुस आये और उन्होंने एक गांव पर धावा बोल दिया तथा गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । विवरण निम्न है :—

२८ मई, १९६१ को लगभग ५० पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के साथ पूर्वी पाकिस्तान राइफल फोर्स के एक हवलदार और एक सिपाही ने जिला जलपाईगुरी के थाना रायगंज में गोसाई आखड़ा स्थान पर भारतीय क्षेत्र में घुस आये और बैलों की एक जोड़ी चुरा ले गये । भारतीय ग्रामवासियों के विरोध करने पर पाकिस्तानी सिपाही ने तीन गोली चलाई और पाकिस्तानी भाग गये । कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ ।

(ग) ढोरों को लौटाने और पूर्वी पाकिस्तान राइफलमैन को अपराधी व्यक्तियों तथा पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा है ।

इस क्षेत्र में सीमा पर गश्त लगाने का प्रबन्ध बढ़ा दिया गया है और अन्य स्वावधानी उपाय भी किये गये हैं ।

अलौह धातुओं का आयात

†*५५४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि चादर बनाने के उद्योगों के लिये अलौह धातुओं के आयात के लिये वार्षिक लाइसेंस प्रणाली पुनः जारी की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). चादर बनाने के उद्योग के लिए अलौह धातुओं के आयात की वार्षिक लाइसेंस प्रणाली कभी भी प्रचलित न थी । वार्षिक लाइसेंस देने के लिए कुछ निवेदन प्राप्त हुए थे परन्तु उन्हें स्वीकार करना संभव न था क्योंकि विदेशी मुद्रा की स्थिति बड़ी कठिन है ।

दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी

***५५५. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१-६२ में दिल्ली में एक खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी करने का दिल्ली प्रशासन का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक होने की संभावना है ; और

(ग) दिल्ली में कहां होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) अक्तूबर, १९६१ से फरवरी, १९६२ की अवधि में ।

(ग) शाहदरा, नजफगढ़ और करोलबाग में तीन प्रदर्शनियां करने का प्रस्ताव है ।

राजधानी में निवास स्थानों के आवंटन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

†*५५६. { **श्री तंगामणि** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सरकारी कर्मचारियों को निवास स्थान के आवंटन सम्बन्धी नियमों को सुसंगत और सरल बनाने के लिए स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की क्या मुख्य सिफारिशें हैं ; और

(ग) अब तक सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सिफारिशें विचाराधीन हैं । रिपोर्ट की एक कापी और उस पर सरकार के निश्चय यथा समय सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

कपड़े का उत्पादन

†*५५७. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री प्र० गं० देब :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर

†मूल अंग्रेजी में

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण मूल्य गिर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

भारतीय रूई मिल फीड्रेशन ने सितम्बर, १९६० में मूल्य विनियमन की स्वैच्छिक योजना स्वीकार की थी जिसके परिणामस्वरूप मिल के कपड़े के मूल्य १९६० के पूर्वार्ध की अपेक्षा गिर गये थे अन्य। वस्तुओं के संभरण में सुधार होने के कारण भारतीय रूई मिल फीड्रेशन ने मूल्य में और कमी की घोषणा की जो जनवरी, १९६१ से लागू हुई। मूल्यों में निम्न कमी की गई :—

	अगस्त, १९५९ के मूल्यों पर स्वीकृत प्रतिशत वृद्धियां		
श्रेणी	सितम्बर, १९६० योजना	चालू योजना (जनवरी, १९६१ से लागू)	
		लोकप्रिय किस्मों के अतिरिक्त	लोकप्रिय किस्में
मोटा .	२५	२०	१७
औसत ख	२२	१७	१४
औसत क	१८	१३	१०
बढ़िया .	११½	८½	६½
बहुत बढ़िया	९	६	४

सूचना मिली है कि साधारणतया उपभोक्ताओं को कपड़ा उपरोक्त मूल्यों पर मिलता है। १९६० के अधिक उत्पादन से भी मूल्य-स्तर बनाये रखने में सहायता मिली है ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मी मेला

*५५८. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री द्वी० चं० शर्मा : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४

†मूल अंग्रेजी में

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्मी मेला लगाने का कार्यक्रम अन्तिम रूप में तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कौन-कौन से देश इस में भाग लेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत में दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन २७ अक्तूबर, १९६१ को नई दिल्ली में किया जायेगा और यह २ नवम्बर, १९६१ को समाप्त होगा । जो फिल्में पेश किये जाने के लिये चुनी जायेंगी, वे विज्ञान भवन के अतिरिक्त जो प्रधान समारोह केन्द्र होगा, तीन या चार थ्येटरों में दिखाई जायेंगी । प्रदर्शन के लिये चुनी गई फिल्मों को सुवनियर प्रदान किये जायेंगे । समारोह के पश्चात् फिल्मों को कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में क्रमशः पहली से सात तक, छः से बारह तक और ग्यारह से सत्रह नवम्बर, १९६१ तक दिखाया जायेगा ।

समारोह में भाग लेने के अभी तक निम्नलिखित देशों ने अपनी इच्छा सूचित की है :—

१. अरजेनटायना
२. आस्ट्रेलिया
३. वेलजियम
४ ब्रेजिल
५. बलगेरिया
६. कैनेडा
७. जेकोस्लोवेकिया
८. डेनमार्क
९. फ्रांस
१०. जर्मनी (फैडरल रिपब्लिक)
११. जर्मनी (डेमोक्रैटिक रिपब्लिक)
१२. घाना
१३. ग्रीस
१४. हंगरी
१५. जापान
१६. मलाया
१७. मंगोलिया
१८. मोरोको
१९. नीदरलेंड्स
२०. न्यूजीलैंड
२१. पौलेंड
२२. रुमानिया

२३. स्वीडन
२४. संयुक्त अरब गणराज्य
२५. संयुक्त राज्य (यू० के०)
२६. यू० एस० एस० आर०
२७. वीट-नाम (डैमोक्रेटिक रिपब्लिक)
२८. वीट-नाम (रिपब्लिक)
२९. यूगोस्लाविया

इनके अतिरिक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी भी भाग लेंगे ।

गोआ की स्थिति

†*५५९. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गोआ के स्थिति के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य के नई दिल्ली स्थित दूतावास से कोई रिपोर्ट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). नई दिल्ली में संयुक्त अरब गणराज्य के दूतावास के प्रथम सचिव ने, जो हाल में भारत सरकार की प्रार्थना पर गोआ गये थे, एक रिपोर्ट दी है । रिपोर्ट में मरगाव में भारतीय पेंशन पाने वालों, गोआ की जेलों में भारतीय बंदियों तथा अन्य भारतीय हितों का उल्लेख है जिनकी देख भाल संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार यहां अपने राजदूतावास द्वारा कर रही है ।

नुक्स वाले रेलवे लंगर

†*५६०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कुन्हन : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने मैसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स कानपुर द्वारा दिये गये नुक्स वाले रेलवे लंगरों के बारे में जांच पूरी करवा ली है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) और (ख). जांच पड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है । नुक्स वाले सारे रेलवे लंगर फर्म द्वारा बदले जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान में दंगे

†*५६१. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्री आसर :
श्री आचार :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्ता :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री खुशवक्त राय :
श्री कालिका सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री डामर :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :
श्री न० म० देव :
श्री वि० च० सेठ :
पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यक समाज द्वारा अल्प-संख्यक समाज पर किये गये हाल में कथित अत्याचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उनके संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित लोगों की सम्पत्तियों को नियमित करना

†*५६२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री २४ अप्रैल, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों को तब से नियमित किया गया है ;

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के कबजे में कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया ; और

(ग) कब तक ऐसी सब संपत्तियों को नियमित किया जाएगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) २१ ।

(ख) लेख याचिकाओं के अन्तर्गत ६६ मामले उच्च न्यायालय में पड़े हैं ।

(ग) इन मामलों का निश्चय उच्च न्यायालय के निश्चय करने पर होगा ।

पटसन मिलों का एक साथ बन्द किया जाना

†५६३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सब केन्द्रीय कार्मिक संघों ने जून और जुलाई १६६१ में मिलों में एक साथ बन्द किये जाने के बारे में भारतीय पटसन कारखाना संघ के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) केन्द्रीय कार्मिक संघों के विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) पटसन कारखानों में कितने कर्मचारियों को मिल बन्द रहने की अवधि के लिये प्रतिकर मिला है; और

(घ) कितने कर्मचारियों को कोई प्रतिकर नहीं मिला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने त्रिदलीय कान्फ्रेंसों में केन्द्रीय कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के समक्ष सामूहिक तालाबंदी का प्रस्ताव रखा था। कार्मिक संघ सामूहिक तालाबंदी से सहमत नहीं थे। कच्चे पटसन की स्थिति की जांच करने के बाद सरकार ने मजदूरों की और अधिक कठिनाई दूर करने के मात्र उपाय के रूप में सामूहिक बंदी स्वीकार की।

(ग) और (घ). सूचना उपलब्ध नहीं है।

लंका द्वारा आयात निर्बन्धन

†५६४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंका सरकार से प्रार्थना की है कि वह कम मूल्य वाली रेशमी साड़ियों पर लगाये गये आयात प्रतिबंधों को कम कर दे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट प्रतिबंधों में ढील करने के लिये कहा गया है; और

(ग) इसके बारे में लंका सरकार का क्या उत्तर है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंजीनियरी और प्रोद्योगिकीय कर्मचारी

†*५६५. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये इंजिनियरी और प्रौद्योगिकीय कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान योजना आयोग द्वारा लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण के अनुसार ऐसे कर्मचारियों का कितनी कमी है; और

(ग) अपेक्षित संख्या में टेक्निशियनों और इंजिनियरों की सेवाएं प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय स्नातकों का सामान्य अभाव न रहेगा। डिप्लोमा-धारियों के बारे में आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक उत्पन्न सुविधाओं के आधार पर लगभग १८,००० की कमी होगी।

(ग) तीन वर्ष के प्रशिक्षण प्राप्त डिप्लोमा-धारियों की कमी तीसरी योजना के आरम्भिक वर्षों में अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करके पूरी की जायेगी।

साइकिलों का उत्पादन और निर्यात

†*५६६. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दलजीत सिंह :
श्री न० म० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री क्रमशः ८ और १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६६ और १५०१ के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में साइकिलों का उत्पादन और निर्यात के क्या लक्ष है;

(ख) साइकिल बनाने वाली इकाइयों को किस प्रकार से प्रोत्साहन और सुविधायें दी जा रही हैं ताकि वे योजना अवधि में उत्पादन और निर्यात के अपने लक्ष्य पूरे कर सकें; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और निर्यात के वर्षवार आंकड़े क्या रहे हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता

नारियल जटा उद्योग

†**११०८. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल जटा उद्योग के निर्माण विभाग के आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ब्रिटिश मैट्स एण्ड मैटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोशियेसन के साथ मिलकर नारियल जटा बोर्ड ने ब्रिटेन का बाजार सर्वेक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट न मिलने के कारण मामला अभी नारियल जटा बोर्ड के विचाराधीन है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

स्थानीय विषयों के प्रलेख चलचित्र

†**११०९.** { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २४ मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों के लिए स्थानीय विषयों के प्रलेख चलचित्र बनाने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: इस बीच राज्य सरकारों के मत प्राप्त हो गये हैं। उन में से कुछ योजना में सम्मिलित होने से सहमत हो गई हैं। प्रति वर्ष लगभग छः बनाना आरम्भ करने का विचार है। वित्तीय तथा कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सांभर में सोडा ऐश का कारखाना

†**१११०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच सांभर में सोडा ऐश कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार से मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्। राजस्थान सरकार सांभर में या उस के आस पास सोडा ऐश का एक कारखाना खोलने की संभावनाओं के बारे में 'परियोजना की रिपोर्ट' तैयार करा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रेस परिषद्

†१११११. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "भारतीय पत्रकार संस्था" के सुझाव के अनुसार एक प्रेस परिषद् की नियुक्ति के बारे में क्या अन्तिम निश्चय किया गया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): जैसा कि २४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९८ के उत्तर में कहा गया था, सरकार अनुकूल वातावरण होने की बात से सहमत होने पर प्रेस परिषद् स्थापित करने के प्रश्न पर आगे विचार करेगी ।

हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली

†१११२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस खरीदने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से जो वार्ता हो रही थी, उसका क्या नतीजा रहा ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : इस मामले पर अभी आन्ध्र प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है ।

घुड़दौड़ के घोड़ों का आयात

†१११३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दौड़ने वाले सांड घोड़ों और अच्छी नसल की घोड़ियों का आयात करने के लाइसेन्स देने के लिए 'टर्फ क्लबों' की प्रार्थना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

पहाड़गंज, नई दिल्ली में नजूल भूमि पर बने मकान

†१११४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहाड़गंज, नई दिल्ली में निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई नजूल भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बनाये गये मकानों के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) हां ।

(ख) पहाड़गंज में निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई नजूल भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकार को देने का निश्चय किया गया है जो मकानदारों के साथ उन के पट्टों के नवीकरण के मामले पर साधारण रूप में कार्यवाही करेगा । इन भूमियों पर बने निष्क्रमणार्थियों के मकान, आदि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के अनुसार बेचे जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैड़[1] का गिरना

†१११५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में पैड़ के गिरने के कारणों की जांच पड़ताल की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). मामले की जांच पड़ताल की गई है । खड़े नलों, आदि के नीचे लगी लकड़ी के अचानक निकल जाने से पैड़ गिर गई ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं का भंग होना

†१११६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री तंगामणि :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप हुए सेवा-भंग को क्षमा करने के मामलों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). हां । सेवा-भंग क्षमा करने के बारे में आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं ।

लौह अयस्क का निर्यात

†१११७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से १९६१ में अब तक पंजाब के मोहिन्दरगढ़ जिले से लौह अयस्क का कुल कितना निर्यात हुआ है ;

(ख) निक्षेपों की अनुमानित मात्रा और उनकी किस्म क्या है ; और

(ग) यह किस मूल्य पर निर्यात होता है और किन किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) लोह अयस्क के निर्यात के जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) निक्षेपों और किस्म के बारे में कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । १९५८, १९५९ और १९६० में क्रमानुसार १६,९०३, २०,३६७ और १२,२५९ टन उत्पादन हुआ ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Scaffolding

ट्रेक्टरों का निर्माण

†१११८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७३२ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये एक अन्य फर्म को लाइसेन्स देने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) प्रति वर्ष 'रिनाल्ट' नामक ३००० कृषि ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार हो गई है । पूंजीगत वस्तुओं तथा अव्यवों/कच्ची सामग्री के आयात की तथा अन्य शर्तों के सरकारी दृष्टिकोण से सन्तोषजनक रूप में निश्चित होने पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया जायेगा ।

महाराष्ट्र के लिये आवंटन

†१११९. **श्री पांगरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में महारष्ट्र के लिये कितना व्यय निर्धारित किया गया है ; और

(ख) विभिन्न मदों के अधीन कितनी कितनी राशियां निश्चित की गई हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). हाल के एक पत्र में महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि राज्य की योजना के जिस वार्षिक (१९६१–६२) व्यय की योजना आयोग को पहिले सूचना दी गई थी, उसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं । विस्तृत ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय विकास कार्य योजना

†११२०. **श्री पांगरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में भूतपूर्व बम्बई राज्य सरकार को और महाराष्ट्र को १९६०–६१ वर्ष के लिये स्थानीय विकास कार्य योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी; और

(ख) कितनी राशि व्यय हुई ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में भूतपूर्व बम्बई राज्य को कुल २२९.३७ लाख रु० आवंटित किये गये थे; स्थानीय विकास कार्य प्रोग्राम के लिये महाराष्ट्र को १९६०–६१ के लिए १९.८२ लाख रु० आवंटित किये गये थे ।

(ख) प्रथम चार वर्षों में, बम्बई राज्य ने १४०.६० लाख रु० व्यय किये । १९६०–६१ में महाराष्ट्र ने १७.७९ लाख रु० व्यय किये ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली रेसकोर्स क्लब की भूमि

११२१. श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेसकोर्स क्लब की भूमि का किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपथ में बाजार

†११२२. श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ में बाजार के निर्माण से सम्बन्धित ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

कागज की लुग्दी का निर्माण

†११२३. श्री न० म० देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाइन, देवदार तथा पहाड़ियों में उगने वाले ऐसे अन्य वृक्षों से कागज की लुगदी का निर्माण किया जाना संभव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् । चीर, पाइन, फर और स्प्रूस अथवा देवदार, ब्लूपाइन, फर और स्प्रूस की लकड़ियों के मिश्र से, कागज बनाया जा सकता है ।

दुर्गापुर रसायन संयंत्र

†११२४. श्री न० म० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर रसायन संयंत्र की मुख्य विशेषता क्या है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह कब स्थापित किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) दुर्गापुर रसायन संयंत्र एक राज्य सरकार की परियोजना होगी जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की ५१ प्रतिशत अंश पूंजी होगी। राज्य सरकार समन्याय पूंजी में दो भारतीय सार्थों और जनता को संबद्ध करना चाहती है । पूंजी उपकरण और प्रविधिक जानकारी के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा के लिये एक फ्रांसीसी सार्थ के साथ बातचीत करने का विचार है । संयंत्र सिन्थेटिक फेनोल, फिथेलिक एनहाइड्राइड, पेण्टाक्लोर, फेनोल, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन करने के लिये दुर्गापुर कोक-भट्टी और उपोत्पाद संयंत्र के उपोत्पादों का प्रयोग करेगा ।

(ख) कारखाने के १९६३ के अन्त तक स्थापित किये जाने की संभावना है ।

संसद-सदस्यों के बंगलों में मरम्मत का कार्य

†११२५. **श्री कुन्हन :** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिरोजशाह रोड के संसद् सदस्यों के बंगलों के काम को पूरा करने के लिये दैनिक मजूरी पर पर्याप्त मजदूर उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) यदि हां, तो मजदूरों को कितनी मजूरी पर भर्ती किया जाता है ; और

(ग) क्या यह मजूरी ठेकेदारों द्वारा मजूरों की दी जाने वाली मजूरी के बराबर है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) विभाग द्वारा मजूरों को केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग की दरों की अनुसूची पर आधारित दरों पर नियोजित किया जाता है और ये दरें न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत निश्चित की जाती हैं ।

(ग) दोनों दरें प्रायः बराबर हैं ।

संसद-सदस्यों के बंगलों में मरम्मत कार्य

†११२६. **श्री कुन्हन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजशाह रोड और केनिंग लेन पर स्थित संसद्-सदस्यों के बंगलों में पुश्ता लगाने और फर्शों की पच्चीकारी का कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बंगले में किस दिन कार्य प्रारंभ हुआ और किस दिन पूरा हुआ ; और

(ग) पुश्ता लगाने के कार्य का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) और (ख). फिरोजशाह रोड और केनिंग लेन स्थित संसद-सदस्यों के बंगलों में साधारण फर्शों के स्थान पर पच्ची-कारी वाले फर्श बनाने और पुश्ता लगाने, जहां आवश्यक हो, का कार्य पूरा हो गया है । मई / जून, १९६१ में कार्य फीरोजशाह रोड के चार बंगलों में प्रारम्भ किया गया था और वह हाल ही में पूरा

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है। बंगलों के नम्बर और कार्य प्रारंभ होने तथा पूर्ण होने की तारीखें नीचे दी गई हैं :

संख्या	कार्य प्रारम्भ	तारीख	कार्य समाप्ति	तारीख
	पच्चीकारी के फर्श का कार्य	पुश्ता लगाने का कार्य	पच्चीकारी के फर्श का कार्य	पुश्ता लगाने का कार्य
१९	१६–६–१९६१	१८–५–१९६१	२८–७–१९६१	२२–७–१९६१
३३	१६–६–१९६१	१८–५–१९६१	२८–७–१९६१	२२–७–१९६१
३	१६–६–१९६१	२९–५–१९६१	२९–७–१९६१	२२–७–१९६१
१३–डी०	१६–६–१९६१	३–६–१९६१	३१–७–१९६१	२६–७–१९६१

(ग) दीवार में फर्श के स्तर पर छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं और उन में बल्लियां घुसेड़ दी जाती हैं ताकि वे ऊपर की दीवार का भार संभाल सकें। दीवार का बल्लियों के बीच का भाग बाहर निकाल दिया जाता है। दीवार पर फर्श के स्तर पर ऐसा पलस्तर किया जाता है जिस में १ भाग सीमेंट २ भाग रेत और ४ भाग दिल्ली का क्वार्टज़ाइट पत्थर होता है। उसके बैठ जाने पर बिटूमैन का कोट किया जाता है और फिर एक परत टारफेल्ट की चढ़ाई जाती है। गिरी हुई चिनाई को सीमेंट के गारे में पुरानी और नई ईंटें मिलाकर पुनर्निमित किया जाता है। उस के जम जाने पर बल्लियां हटाली जाती हैं और छेद बन्द कर दिया जाता है। ४ से ६ फीट तक की ऊंचाई का सीलन से प्रभावित प्लास्टर गिराकर १:६ के सीमेंट के गारे से फिर किया जाता है और अंत में डिस्टेंम्पर रंगाई अथवा पुताई कर दी जाती है।

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

†११२७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा ने भारत आए तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए कोई राशि भारत सरकार को दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). दलाई लामा द्वारा तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए भारत सरकार को कोई राशि नहीं दी गई है। परन्तु दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों के विभिन्न कल्याण कार्यों पर कुछ लाख रुपए व्यय किए हैं।

क्वार्टर

११२८. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५५–५६ से जून, १९६१ तक विभिन्न श्रेणियों के कितने सरकारी क्वार्टर दिल्ली और नई दिल्ली में बनाये गये ;

(ख) इन में से कितने एलाट हो चुके हैं और कितने खाली पड़े हैं ;

(ग) जो खाली हैं उन के खाली रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) वे कब तक एलाट कर दिये जायेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) इस अवधि में दिल्ली और नई दिल्ली में सामान्य समूह में नीचे लिखे क्वार्टर बनाये गये :

क्वार्टरों की श्रेणी	बनाये गये क्वार्टरों की संख्या
ए और बी	४६
सी १	८६
सी २	२६०
डी १	२२०
डी २	६८८
ई	२,०८४
ऐफ़	१,४७२
जी	६,४५८
ऐच	४,३६०

(ख) जून १९६१ तक बने सब क्वार्टरों का नियतन (अलौटमेंट) किया जा चुका है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी टाइपराइटर

११२९. श्री क० भे० मालवीय : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५५–५६ से १९६१–६२ के जून तक सरकारी कार्यालयों के लिये प्रतिवर्ष कितने हिन्दी टाइपराइटर खरीदे गये; और

(ख) ये कितने-कितने किस-किस कम्पनी के बने हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख) : एक विवरण इस के साथ लगा है, जिस में जानकारी दी गई है।

विवरण

१९५५–५६ से १९६१–६२ (जून तक) तक की अवधि में सरकारी कार्यालयों के लिए खरीदे गये हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या।

वर्ष	कम्पनी का नाम				
	रैमिंगटन	हाल्डा	ओलिवेत्ती	रौयल	योग
१९५५–५६ .	८४	–	१	१	८६
१९५६–५७	१४९	१	३	१	१५४
१९५७–५८	४७	२	३	–	५२
१९५८–५९	९०	२	. .	–	९२
१९५९–६०	१०१	६	–	–	१०७
१९६०–६१	२४७	५	–	–	२५२
१९६१–६२ (जून तक) .	२०	–	–	–	२०
					७६३

गैर-सरकारी मकानों में सरकारी कार्यालय

११३०. श्री क० भे० मालवीय : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६१ को कौन-कौन से सरकारी कार्यालय दिल्ली और नई दिल्ली में गैर-सरकारी मकानों में थे ;

(ख) सरकार उन मकानों का कितना किराया देती है ;

(ग) क्या इन कार्यालयों के लिये अपने भवन बनाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में किन-किन कार्यालयों के भवन तैयार हो जायेंगे ; और

(ङ) शेष कार्यालयों के भवन बनाने की विस्तृत योजना क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण इस के साथ लगा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-३०८९/६१]**

(ग), (घ) और (ङ). राज सम्पति निदेशालय के अधीन स्थान का एक सामान्य समूह (जनरल पूल) है, इसलिए कार्यालय भवन अलग-अलग कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बनाये जाते । अन्वीक्षात्मक (टैंटेटिव) रूप से प्रस्ताव किया गया है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में निम्नलिखित भवन बनाये जाये :

(१) जनपथ पर मिला-जुला भवन [दूसरी मंजिल (फर्स्ट फ्लोर) से ले कर ऊपर सब मंजिलों में कार्यालयों के लिए स्थान] ।

(२) नवम्बर, १, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड ।

(३) नम्बर, २, मौलाना आजाद रोड ।

(४) रिंग रोड के दक्षिण में १२०० एकड़ क्षेत्र में (मुनीरका गांव के पास) ।

(५) साउथ ब्लोक के पास "ई" तथा "ऐफ" ब्लौक ।

(६) इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट में ।

(७) धौलपुर हाउस में अतिरिक्त स्थान ।

१९६१–६२ में किसी भी भवन के पूरा होने की सम्भावना नहीं है ।

हिन्दी में छपाई

११३१. श्री क० भे० मालवीय : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषागत परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर स्थित सरकारी प्रेसों में हिन्दी में छपाई की क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि कोई नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि कोई व्यवस्था की गई है तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ग). भारत सरकार के नई दिल्ली, फरीदाबाद, नासिक, अलीगढ़ और कलकत्ता मुद्रणालयों में संसद के हिन्दी वाद-विवादों और विभिन्न द्विभाषी प्रपत्रों (फोमों) तथा अन्य चुने हुये प्रकाशनों को हिन्दी में छापने का प्रबन्ध विद्यमान है। ज्यों ज्यों मांग बढ़ेगी त्यों त्यों प्रबन्ध बढ़ाया जायेगा।

राष्ट्रीय भवन संगठन

†११३२. **श्री चुनी लाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन संगठन ने इमारतों के लिये कोई सस्ते, मजबूत और अधिक उपयोगी डिजाइन निकाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे जनता को उपलब्ध किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

राष्ट्रीय भवन संगठन

†११३३. **श्री अनिल कु० चन्दा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन संगठन ने कोई ऐसी भवन-निर्माण सामग्री तैयार की है जो अधिक सस्ती, मजबूत और उपयोगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे जनता को उपलब्ध कराई गई हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

†११३४. **श्री कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नियोजकों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की गई है ; और

(ख) वह कार्यवाही किस अवस्था में है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख).

क्रम संख्या	नियोजक का नाम	७-८-१९६१ की स्थिति
१.	बिटू कनफेक्शनरी	वसूली सम्पन्न
२.	नूतन मुद्रणालय	
३.	दि वीनस क्लाथ प्रोसेसिंग वर्क्स	
४.	श्री हर अम्बिका इंजीनियरिंग वर्क्स	
५.	एडलर सुईंग मशीन	
६.	जै श्री ट्रेडर्स (प्र०) लिमिटेड	
७.	जनक इंजीनियरिंग वर्क्स	
८.	गनेश आयल मिल्स	
९.	सरदार स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी	शासकीय परिसमापक से १३७ रुपये २९ नए पैसे की वसूली। शेष राशि बट्टे खाते।
१०.	मेट्रो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग	बकाया ९९ रुपये की वसूली की जानी है।
११.	मिस्त्री मंगलदास आयरन एण्ड ब्रास	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा ७३-डी० के अंतर्गत मामला कलक्टर के विचाराधीन है।
१२.	सैयद मुहम्मद शरीफ हाजीजी फैक्टरी	
१३.	इम्पीरियल ट्रंक फैक्टरी नं० २	
१४.	नूतन बॉबिन वर्क्स	
१५.	मयूर प्रिंटरी	
१६.	अम्बिका टेक्सटाइल वुड वर्क्स	
१७.	अम्बिका मोल्डिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी	
१८.	खादी उद्योग साधन केन्द्र	
१९.	अल्लाबक्श अब्दुलजी बोलवाला	
२०.	दि अहमदाबाद पिकर्स लिमिटेड	
२१.	दि पटेल एण्ड परमार पिकर्स वर्क्स	
२२.	गुजरात काटन कम्पनी लिमिटेड	दावा अभी तक शासकीय परिसमापक के विचाराधीन
२३.	कृष्ण पॉटरी वर्क्स	नियोजक पर जुर्माना किया गया। देय राशि का भुगतान १४-१-६१ को किया गया।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में शिक्षित बेकार

†११३५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में जनवरी से जून, १९६१ तक रजिस्टर्ड बेरोजगार ग्रेजुएटों, इन्टर-मीजिएटों और मैट्रिकुलेटों में से कितने व्यक्तियों को नियोजित किया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिदअली) :**

ग्रैजुएट	९४०
इन्टरमीजिएट	६३१
मैट्रिकुलेट	५,४८७

हस्तिनापुर में शरणार्थियों के लिये मकान

११३६. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हस्तिनापुर में बसे शरणार्थियों को मकान बेच देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). जी हां। इन अधिभोक्ताओं को मकान आरक्षित मूल्य पर दिये जा रहे हैं जिसका २० प्रतिशत पेशगी देना पड़ता है और शेष सात वर्षों में वार्षिक किस्तों द्वारा देना पड़ता है। यही प्रक्रिया चलती आ रही है ।

लौह अयस्क का निर्यात

†११३७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ग) १९६० का कुल अनुमानित उत्पादन कितना है ;

(घ) १९६० में भारतीय फर्मों द्वारा किए गए निर्यात का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि में गैर-भारतीय और भारतीयों द्वारा ब्रिटिश एक्सचेंज बेंकों के माध्यम से किये गये निर्यात प्रतिशत कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). ३३२ लाख टन जिसका अनुमानित मूल्य १६·२७ करोड़ रुपये है।

(ग) १०६ लाख टन ।

(घ) और (ङ) लौह अयस्क के समस्त निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाते हैं और १९६० में भारतीय बैंकों के माध्यम से भेजे गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में बेरोजगार

†११३८. **श्री ओंकारलाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में राजस्थान में कितने व्यक्तियों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम रजिस्टर कराये ;

(ख) उपरोक्त अवधि में बेरोजगार ग्रैजुएटों, इन्टरमीजिएटों और मैट्रिकुलेटों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने रजिस्टर्ड बेरोजगारों को नौकरियां दी गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १,१६,६७४।

(ख)	ग्रैजुएट	३,०५३
	इन्टरमीजिएट	४,२९०
	मैट्रिकुलेट	३५,०६१

(ग) १९,६९३

राजस्थान में कार्य एंव अनुस्थितिज्ञान केन्द्र

†११३९. **श्री ओंकारलाल** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने कार्य एवं अनुस्थितिज्ञान केन्द्र हैं; और

(ख) क्या १९६१–६२ में उन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) एक भी नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

राजस्थान में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†११४०. **श्री ओंकारलाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में राजस्थान में श्रमिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) राजस्थान में कोई भी श्रमिक शिक्षा केन्द्र नहीं खोला गया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान के लिए व्यय

†११४१. **श्री ओंकारलाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य के लिये १९६१–६२ के लिये व्यय निश्चित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कितना आवण्टन किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). १९६१–६२ के लिये विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय, जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है, सभा-पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दिया गया है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३४**]

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा राजस्थान की घट्टा-घट्टी बस्ती का त्याग

†११४२. **श्री ओंकारलाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या राजस्थान के कोटा जिले में किशनगंज की घट्टा-घट्टी बस्ती में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान के कुछ शरणार्थी बस्ती को छोड़ गए हैं ।

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ;

(ग) इस बस्ती को छोड़ने के क्या कारण हैं ;

(घ) अब इस बस्ती में कितने परिवार रह रहे हैं;

(ङ) इस बस्ती में अभी तक कितना सुधार हुआ है; और

(च) सरकार उन परिवारों के लिये क्या कदम उठा रही है जो उस बस्ती को छोड़ गए हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (च). सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही राज्य सरकार से प्राप्त हो जाएगी उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां

†११४३. **श्री ओंकारलाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अभी तक कितनी औद्योगिक बस्तियां जिलेवार स्थापित की गई हैं ;

(ख) क्या १९६१–६२ में कोई नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी बस्तियों के नाम और संख्या क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

शरणार्थियों से ऋण की वसूली

†**११४४. श्री ओंकारलाल :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के माध्यम से दिये गये ऋण में से कितना अभी तक वसूल किया गया है ; और

(ख) कितना ऋण अभी शेष है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) ३१ मार्च, १६६१ तक २२५.६१ लाख रुपये।

(ख) २२७.८० लाख रुपये।

राजस्थान में शरणार्थियों की शिक्षा पर व्यय

†**११४५. श्री ओंकारलाल :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में विस्थापित व्यक्तियों की सब प्रकार की शिक्षा पर १६५६ से १६६० तक वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** सूचना राजस्थान सरकार से मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में अम्बर चर्खे

†**११४६. श्री ओंकारलाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १६६१–६२ में कितने अम्बर चर्खे वितरित किये गये हैं ;

(ख) कितने चर्खे वहां चल रहे हैं ; और

(ग) उनसे कुल कितना सूत पैदा किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

योजना प्रचार

†**११४७. श्री ओंकारलाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा १६६०–६१ और १६६१–६२ में योजना प्रचार पर जिलेवार कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : यह मामला पूर्णतः राज्य सरकार से सम्बन्धित है जो स्वयं अपने योजना प्रचार के लिये जिम्मेदार है। ज्ञात हुआ है कि वर्ष १९६०–६१ की कुल राशि ८.८६ लाख रुपये है। १९६१–६२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

आयात लाइसेंस

†११४८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की कितनी फर्मों को निर्यात और आयात लाइसेंस प्राप्त करने में बुरे साधन अपनाने के कारण १९६१ में अभी तक ब्लैक लिस्ट किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : वर्ष १९६१ में राजस्थान की कोई भी फर्म (११–८–६१ तक) ब्लैकलिस्ट नहीं की गई है।

राजस्थान में बिना बिका हथकरघे का कपड़ा

†११४९. **श्री ओंकारलाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में बिना बिके हथकरघे के कपड़े का वर्तमान स्टाक कितना है ; और

(ख) ऐसे बिना बिके हथकरघे के कपड़े का निपटान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख), सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में छोटे पैमाने के हथकरघे उद्योग

†११५०. **श्री ओंकारलाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने छोटे पैमाने के हथकरघे उद्योग तथा किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं ;

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और प्रत्येक की अलग-अलग राशि कितनी है ; और

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितना व्यय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उदयपुर में यूरेनियम

†११५१. { श्री यादव नारायण जाधव :
श्री न० म० देव :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के उदयपुर जिले में यूरेनियम निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन निक्षेपों का कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राजस्थान में दो यूरेनियम निक्षेप एक उमरा में और दूसरा उदयपुर जिले में उदयसागर में पाये गये हैं। विस्तृत अनुसंधान प्रारम्भ किये जा चुके हैं और इन दोनों निक्षेपों में छिद्रण और खनन कार्य चल रहा है। उनके अनुसंधानों से सम्बन्धित ब्योरा अणुशक्ति विभाग के वर्ष १६५६–६० और १६६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदनों के पृष्ठ ४५–५० और ५३ में दिया हुआ है।

उर्वरकों का उत्पादन

†११५२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उत्पादन के लिये अधिक यूनिट स्थापित करने के प्रश्न को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितनी लागत अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) और कितनी विदेशी मुद्रा अन्तग्रस्त है और इसको किस प्रकार पूरा किया जावेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) वर्तमान मौजूदा और निर्माणाधीन उर्वरक कारखानों के अतिरिक्त, उर्वरकों के निर्माण के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने के लिये कई नई योजनायें मंजूर की गयी हैं। कुछ और योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है और उनके अनुमोदन की संभावना है। जब यह सब कार्य हो जायेगा, तो कुल क्षमता, वर्तमान, स्थापित की जा रही और स्थापना के लिये मंजूर की गई, प्रतिवर्ष १० लाख टन नाइट्रोजन से कुछ अधिक होगी।

(ख) और (ग). तृतीय योजना में स्थापित की जाने वाली नई योजनाओं की लागत अनुमानतः २४० करोड़ रुपये होगी जिसका लगभग आधा विदेशी मुद्रा में होगा। अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा को अंशतः विदेशी विनियोजनाओं और अंशतः विदेशी ऋण से पूरा किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण

†११५३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये कुछ और लघु उद्योग सेवा संस्थायें स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). यद्यपि व्यापार प्रबंध में प्रशिक्षण देने के लिये कोई और लघु उद्योग सेवा संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है, हैदराबाद में एक केन्द्रीय औद्योगिक व्यापार प्रशिक्षण संस्था (सेन्ट्रल इन्डस्ट्रीयल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट) स्थापित की जा रही है जिसका मुख्य कृत्य अधिकांशतः लघु उद्योग संगठन के पदाधिकारियों, राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के पदाधिकारियों और छोटे और बीच के पैमाने के उद्योगों में वरिष्ट अनुभवी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना होगा ।

द्वितीय भारतीय उद्योग मेला

†११५४. **श्री गोरे :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १४ नवम्बर, १९६१ से १ जनवरी, १९६२ तक नई दिल्ली में मथुरा रोड पर प्रदर्शनी स्थल पर होने वाले द्वितीय उद्योग मेले में सहयोग के स्वरुप और विस्तार के बारे में ब्रिटेन, अमरीका और रूस से कोई सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ;

(ग) क्या प्रदर्शनी में सरकार ने कोई सुविधा अथवा सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :** (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरीका और रूस वही स्थान लेंगे जो उनके पास विश्व कृषि मेले में था। अमरीका और रूस द्वारा लिये गये प्लाटों का क्षेत्र क्रमशः लगभग २ लाख वर्ग फुट और १ लाख वर्ग फुट है। ब्रिटेन ने ५०,००० वर्ग फुट का क्षेत्र बुक कराया है। उनके सहयोग के स्वरूप का निश्चित रूप से अभी पता नहीं है।

(ग) और (घ). मथुरा रोड पर प्रदर्शनी स्थल वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मंडल को भारतीय उद्योग मेला, १९६१ लगाने के लिये किराये पर दी जा रही है। स्थान का विकास करने और वहां आस्तियां बनाने का खर्च सरकार और मंडल में २ : १ के अनुपात में विभक्त होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इटारसी में उर्वरक संयंत्र

†११५५. { **श्री गोरे :**
श्री विद्या चरणशुक्ल :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७३ के उत्तर में सम्बंध के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हा, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). मध्य प्रदेश में एक उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये जिस पक्ष को लाइसेंस दिया गया है, उसने इसकी स्थापना के बारे में अभी प्रस्ताव नहीं भेजे हैं ।

दक्षिण भारत में टसर रेशम बुनकर

†११५६. **श्री गोरे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में टसर रेशम बुनकरों का अपने उत्पाद के लिये अमरीकी मार्केट समाप्त हो गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

साबुन निर्माता

†११५७. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-विद्युत साबुन निर्माताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक कच्चे माल की कमी और अनुपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि देशीय कच्चा माल आयातित माल से मंहगा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या छोटे साबुन निर्माताओं को राज्य व्यापार निगम के जरिये वितरण करने के लिये आयातित माल के समान मूल्यों पर आवश्यक कच्चा माल देने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). कच्चे माल की कमी के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। गैर-विद्युत चालित यूनिटों को अपनी पिछले साल की खपत पर निर्भर वार्षिक आवश्यकता के ४० प्रतिशत तक चर्बी, नारियल का तेल और गरी का तेल के आयात की अनुमति दी जाती है। यह सच है कि आयातित नारियल का तेल, गरी का तेल और चर्बी कुछ हद तक देशीय कच्चे माल से सस्ते हैं। तथापि, विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन चीजों की पूरी मात्रा में आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(घ) और (ङ). अखिल भारत गैर-विद्युत् चालित साबुन निर्माता संघ, वैद्यनाथ, बिहार से प्राप्त एक अभ्यावेदन के आधार पर मामला विचाराधीन है।

साबुन निर्माता

†११५८. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साबुन निर्माताओं के गैर-विद्युत चालित एककों को विद्युत् चालित एककों से बड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या शक्ति चालित साबुन कारखानों पर शुल्क लगाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) गैर-विद्युत चालित साबुन कारखानों का माल संगठित विद्युत् चालित कारखानों के माल से स्पर्धा नहीं करता।

(ख) और (ग). अखिल भारत गैर-विद्युत् चालित साबुन निर्माता संघ, वैद्यनाथ, देवगढ़, बिहार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

काफ़ी की फसल

†**११५९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष कॉफ़ी की बहुत बढ़िया फसल हुई है ;

(ख) क्या कॉफी के निर्यात के लिये किसी नयी विदेशी मंडी का पता लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) कॉफ़ी के निर्यात से वर्ष १९६०–६१ में कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अमरीका और तुर्की में भारतीय कॉफी के लिये मंडियों का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हाल के वर्षों में अमरीका को कॉफ़ी की सीमित मात्रा का निर्यात किया

†मूल अंग्रेजी में

गया है। जापान में भी भारतीय कॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों का अभी से कुछ परिणाम नहीं बताया जा सकता।

(घ) ७,२२,४१,५५१ रुपये।

रूसी सहायता से औद्योगिक परियोजनायें

†१११०. { **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने कुछ औद्योगिक परियोजनाओं को, जिनके लिये दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हाल के करारों के अधीन रूसी वित्तीय और प्रविधिक सहयोग का वचन है, पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के क्या नाम हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रभृत पूंजी[1]

†११६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में इस समय प्रभृत पूंजी की कुल राशि क्या है ;

(ख) क्या उस फालतू पूंजी का ब्योरा तैयार कर लिया गया है जिसके तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी भागों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के रक्षित बैंक के बुलेटिनों में दी गयी जानकारी के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में संयुक्त स्कंध समवायों की प्रभृत पूंजी वर्ष १६५६ में १०६० करोड़ रुपये थी। अधिक नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां। तृतीय योजना काल में औद्योगिक और खनिज विकास में विनियोजन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उपलब्ध होने वाली फालतू रकम का अनुमान ६०० करोड़ रुपये है।

(ग) जानकारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Capital at Charge.

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत ग्रामीणों की वापसी

†११६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू में बालाकोट गांव की सीमा के समीप पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण किये गये चार ग्रामीणों की वापसी के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: सरकार स्थानीय अधिकारियों से जानकारी की प्रतीक्षा कर रही है।

आवास कार्यक्रम के लिये राज-सहायता

†११६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में राज्य सरकारों को उनके आवास कार्यक्रम के लिये कुल कितना ऋण और राज-सहायता दी जावेगी और इसमें से कितनी रकम मध्य आय-वर्ग आवास योजना के लिये होगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३६]**

चीनी सम्बन्धी उत्पादिता दल

†११६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'स्विंग क्रेडिट' सीमा

†११६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बर्मा के बारे में स्विंग क्रेडिट सीमा बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कारखाने की इमारत के निर्माण की विधि का अध्ययन

†११६६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रविधिक सहयोग मिशन के अन्तर्गत कारखानों की इमारतों की रूपरेखा और निर्माण की विधि का अध्ययन करने के लिये भेजे गये दिल की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). यह दल राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा, जो स्वायत्त संगठन है, विदेश भेजा गया था। परिषद ने इस दल की इन सिफारिशों को देश में विभिन्न हितों जैसे संस्थायें, फैडरेशन, वाणिज्य मंडल, स्थानीय उत्पादिता परिषदों, विभिन्न राज्यों के कारखानों के मुख्य निरीक्षकों, विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों, दल के सदस्यों और भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों को इनको जहां तक संभव हो क्रियान्वित करने के लिये बताया है। सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सिफारिशों की कार्यान्विति के प्रश्न पर राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा जोर दिया जा रहा है।

हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल

†११६७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स के सुरक्षा कर्मचारियों ने २७ अप्रैल, १९६१ को हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के कारण क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**

अमृतसर में सूती कपड़े का स्टाक

†**११६८. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर की कपड़ा मंडी में सूती कपड़े का बड़ा स्टाक जमा हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसको समाप्त करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार को अमृतसर की मंडी में सूती कपड़े के जमा हो जाने के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्व अफ्रीका को नकली सिल्क रेयन का निर्यात

†११६९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिल्क और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्द्धन द्वारा पश्चिमी एशियाई और पूर्व अफ्रीकी देशों को भेजे गये शिष्टमंडल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं, अथवा उठये जायेंगे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब के लिये आवास बोर्ड

†११७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब सरकार के साथ एक आवास बोर्ड स्थापित करने संबंधी प्रस्थापना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अहमदाबाद में रैन बसेरा

†११७१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद में लोगों के लिये रैन बसेरे की व्यवस्था करने के लिये एक दुमंजिली इमारत बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : गुजरात सरकार, जिन्होंने परियोजना को क्रियान्वित करना है, का कहना है कि अहमदाबाद में रैन-बसेरे के निर्माण का प्रश्न उनके विचाराधीन है और अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी हो जाने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

११७२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या योजना मंत्री २८ फरवरी, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में परामर्श देने के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : समिति के कार्य की रिपोर्ट के बारे में राज्य सरकार को लिखा गया है ? रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कोठागुडियम में रक्षा केन्द्र

†**११७३. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडियम में रक्षा केन्द्र कब स्थापित किया जायेगा ;

(ख) इमारत का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इसके लिये कितनी धन राशि आवंटित की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) कोठागुडियम में २१ जुलाई, १६६१ को एक किराये की इमारत में रक्षा केन्द्र खोल दिया गया है ।

(ख) आवश्यक भूमि मिलने पर जिसके लिये बातचीत की जा रही है ।

(ग) परसिया और कोठागुडियम में रक्षा केन्द्रों के लिये इमारतों के निर्माण के लिये वर्ष १६६१–६२ के आयव्ययक में २,४०,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन मद्रास में अस्पताल

†**११७४.** **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मद्रास में १०० बिस्तरों वाले अस्पताल के लिये इमारत के पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अस्पताल के लिये उपकरणों का आर्डर दे दिया गया है; और

(ग) अस्पताल प्रवेश के लिये कब खुल जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा य उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस्पात और सीमेंट का कम और अनियमित संभरण ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष १९६१ के अन्त तक । इस समय अस्पताल किराये की इमारत में चल रहा है ।

कोयला क्षेत्रों में जल संभरण

†११७५. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों में जल संभरण के प्रश्न की जांच पड़ताल करने के लियें कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करदी है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब रिपोर्ट मिलने की आशा है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सिंगरेनी कोयला खानों में अस्पताल

†११७६. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोयला खानों में गोदावरी खनी में एक क्षेत्रीय अस्पताल बनाने के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) निर्माण-कार्य कब आरम्भ होने की आशा है; और

(ग) इसके कब समाप्त होने की आशा है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) भूमि प्राप्त होते ही ।

(ग) कार्य के आरम्भ होने से लगभग १८ मास में ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

११७७. श्री भक्त दर्शन : क्या **योजना** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के बारे में जो आंकड़ें वर्ष १९६०-६१ व वर्ष १९६१-६२ के लिए एकत्र किये जा रहे थे, क्या इस बीच वे प्राप्त हो गए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस का एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इन क्षेत्रों के विकास कार्य में और तेजी लाने के लिये कौन कौन सी विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). सन् १९६०–६१ के सम्बन्ध में सूचना योजना आयोग के ज्ञापन संख्या पी० सी० (पी) ११/१९/६१ दिनांक २० जून १९६१ में, दिनांक ५ मई १९६१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४६२४ के उत्तर से उत्पन्न आश्वासन की पूर्ति में पहले ही दी जा चुकी है।

राज्य सरकार से सन् १९६१–६२ के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए बनायी गयी खास योजनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और प्रगति के पर्यवेक्षण एवं अड़चनों को दूर करने की व्यवस्था की गई है।

ब्रह्माण्ड किरण अनुसंधान केन्द्र

११७८. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुलमर्ग (काश्मीर) में एक ब्रह्माण्ड किरण अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उत्तुंग अंतरिक्ष ब्रह्माड किरण अनुसंधान केन्द्र, गुलमर्ग की प्रयोगशाला और उप-सहायक इमारतों का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है और आशा है कि इमारत अगले खुले मौसम तक पूरी हो जायेगी जैसा कि ३० नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है।

पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

११७९. श्री भक्त दर्शन : ; क्या **योजना** मंत्री २ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के विशेष विकास के लिए जो धन राशियां स्वीकृत की जाने वाली थीं क्या इस बीच उन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके बारे में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : (क) और (ख). पूरी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल

†११८०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी-इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल के कर्मचारियों के कोई सेवा नियम नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये नियम बनाये जा रहे हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है या किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कारखाना एक्ट के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी, अर्थात्, औद्योगिक कारीगरों के बारे में स्थायी आदेश बन गये हैं और जारी किये जा रहे हैं। ये स्थायी आदेश दक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं और इनमें इस अधिकारी द्वारा अपेक्षित संशोधन किये जा सकते हैं। हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के अन्य अनौद्योगिक कर्मचारियों के लिये भी समान नियम बन गये हैं और स्थायी आदेशों के साथ ही जारी किये जायेंगे।

२. औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश एक्ट (१९४६) के उपबन्धों के अन्तर्गत मालिक को प्रारूप स्थायी आदेश प्रमाणित करने वाले दक्ष अधिकारी को देने होते हैं। प्रमाणित करने वाले इस दक्ष अधिकारी का यह कार्य है कि वह स्थायी आदेशों की एक प्रति पंजीबद्ध कार्मिक संघों को निश्चित ढंग से भेजे। इस प्रकार, मालिकों के लिए मजदूरों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

३. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि० के प्रारूप स्थायी आदेश प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर के विचाराधीन हैं जो उन्हें प्रमाणित करने के लिये दक्ष अधिकारी है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल

†**११८१. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल की एसोशियेटिड इलैक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज ने "स्विच गीयर्स" की परीक्षा करके अपनी मुहर लगाने से मना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अब यह सामग्री ब्रिटेन से आयात की जा रही है ;

(घ) क्या सामान का शीघ्र संभरण कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की गई है ; और

(ङ) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के उत्पादन में विलंबित संभरण के कारण विलम्ब होने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मैसर्स एसोशियेटिड इलैक्ट्रिकल्स लि० के साथ हुए करार के अनुसार हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० को भोपाल कारखाने के उत्पादों पर एसोशियेटिड इलैक्ट्रिकल्स उद्योग की मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनको एसोशियेटिड इलैक्ट्रिकल्स उद्योग के वस्तु विवरणों के अनुसार बने अपने उत्पादों के लेबिलों पर "एसोशियेटेड इलैक्ट्रिकल्स उद्योग के लाइसेन्स के अन्तर्गत भारत में निर्मित" लिखना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोपाल कारखाना अब ३.५ करोड़ रु० के मूल्य का लक्षित उत्पादन कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस प्रोग्राम में स्विच गीयरों, कन्ट्रोल गीयरों, ट्रांसफोर्मरों आदि का निर्माण सम्मिलित है और यह लक्ष्य मार्च, १९६२ तक प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने ऐसे कच्चे सामान और पुर्जों का आयात करने का प्रबन्ध किया है जिनका प्रबन्ध देश में नहीं हो सकता या उनकी देश को बहुत कमी है जिनकी प्राप्ति में देर होने से कारखाने में उत्पादन को गहरा धक्का लगेगा। कच्चे सामान की प्राप्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना नहीं की गयी है।

भोपाल कारखाने में उत्पादन अनुसूची के अनुसार हो रहा है।

नेपाल की अर्थसहायता

†११८२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण केन्द्रीय सरकार से अधिक आर्थिक सहायता देने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रार्थना की गई है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). विद्यमान प्रबन्धों के अधीन भारत से नेपाल को निर्यात होने वाली वस्तुओं पर लगी उत्पादन शुल्क नेपाल सरकार को लौटा दी जाती है। इस आर्थिक सहायता में वृद्धि करने के लिये नेपाल सरकार से कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया

†११८३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय फीड्रेशन ने केन्द्र से प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को सार्वजनिक निगम बनाने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) सरकार को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फीड्रेशन की मई के अन्तिम सप्ताह में त्रिवेन्द्रम में हुई वार्षिक कान्फ्रेंस में स्वीकृत हुए संकल्प की एक प्रति मिली है जिसमें प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को सार्वजनिक निगम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(ख) यह मामला पूर्णतया प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के अंशधारियों का है। वैधानिक दृष्टि से सरकार प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को सार्वजनिक निगम नहीं बना सकती।

अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात

†११८४. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेसीडेन्ट नासर के मंत्रिमंडल के दो मुख्य सदस्य अपरम्परागत[1] वस्तुओं का निर्यात आरम्भ करने के उद्देश्य से भारत आये थे ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Non-traditional items.

(ख) यदि हां, तो उनकी भारत यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्य उपक्रमों संबंधी कृष्ण मेनन समिति

†११८५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उपक्रम के संचालकों से बने पूर्ण रूपेण 'अन्तर्गत' प्रबन्ध बोर्ड के लिए राज्य उपक्रमों संबंधी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के बारे में कोई निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या निश्चय है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ख). कृष्ण मेनन समिति की समूची रिपोर्ट और समस्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६०

†११८६. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने समवायों ने कम्पनियों के राजिस्ट्रारों से प्रार्थना की है कि वार्षिक सामान्य बैठकें करने की अवधि बढ़ा दी जाये, क्योंकि वे समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६० द्वारा संशोधित धारा २१० के अन्तर्गत अपेक्षित छ : मास में वार्षिक सामान्य बैठक न कर सके और कितने मामलों में समय बढ़ाने से मना किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : ३०-६-१९६१ तक १८५४ समवायों ने कम्पनियों के रजिस्ट्रारों से वार्षिक सामान्य बैठकें करने का समय बढ़ाने की प्रार्थना की थी क्योंकि वे समवाय (संशोधन) एक्ट, १९६० द्वारा संशोधित समवाय एक्ट, १९६० की धारा २१० में अपेक्षित अवधि में, अर्थात्, अपने वित्तीय वर्षों की समाप्ति से छ : मास के भीतर में बैठकें न कर सके थे । ऐसे २०१ मामलों में समय नहीं बढ़ाया गया ।

बिहार में पंजीवद्ध बेरोजगार व्यक्ति

†११८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में १ जुलाई, १९६१ तक काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों ने नाम लिखाये ;

(ख) १९६१ की जनगणना के अनुसार कितने कितने स्नातक, इन्टरमीडेट और मैट्रिक व्यक्ति बेकार थे ; और

(ग) १९६१ की जनगणना के अनुसार कितने विज्ञान और चिकित्सा के स्नातक बेरोजगार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) चालू रजिस्ट्रों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ६६,२९६ थी ।

(ख) और (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बॉन में राजदूतावास के अधिकारियों पर आरोप

†११८८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बॉन स्थित भारतीय राजदूतावास के भूतपूर्व निसृष्ट-दूत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) उस पर क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) विभागीय जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां ।

(ख) उसकी सेवा में पहिले स्थान पर उसके सरकारी आवास के लिए एक कालीन खरीदने पर आरोप लगाये थे । उस पर मुख्यकर यह आरोप लगाया गया था कि उसने कालीन के लिए स्वीकृत धन में से कुछ धन का गबन किया था और सरकारी वस्तु का प्रयोग करने में अत्यन्त लापरवाही की थी ।

(ग) विभागीय जांच से उस पर लगे मुख्य आरोप सिद्ध हो गये ।

(घ) पेश की गई सारी साक्ष्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया कि अधिकारी का दुर्भाव संदेहरहित नहीं है, यद्यपि उन्होंने उसे सरकारी वस्तु का प्रयोग करने में असावधानी करने के लिए दोषी ठहराया, अतः उन्होंने उसे सरकारी धन के इच्छक गबन या दुर्व्यवहार के दोष से मुक्त कर दिया । सरकारी वस्तु के प्रयोग में गलती करने के लिए अधिक समय तक मौअत्तिल रहने का दंड भुगतने की बात और दो वर्ष की जांच-अवधि में अधिक आर्थिक हानि उठाने की बात ध्यान में रखकर उन्होंने उसे उसी वेतन-क्रम में नौकरी करने की अनुमति दे दी जिसमें वह जांच न होने पर छुट्टी पर जाने के समय थे । अधिकारी की पदोन्नति भी रोक दी गई । इसका निश्चय आगामी वर्ष या दो वर्ष में उसके सेवापालन करने से किया जायेगा ।

हीरोभंगा योजना

†११८९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्य-कार्य** मंत्री २१, दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरोभंगा योजना स्वीकृत हो गई है और कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). योजना अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयना परियोजना के पास अल्युमिनियम का कारखाना

†११६०. **श्री ग्रासर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना परियोजना के पास अल्युमिनियम का कोई कारखाना बनाने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कोई स्थान चुना गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) भारतीय समवाय जिसे कोयना प्रदेश में एक अल्युमिनियम स्मैल्टर स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया गया है, अभी योजना के लिए टेक्निकल और वित्तीय सहयोग के बारे में वार्ता कर रहा है ।

(ख) और (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार उपक्रम पोफली में बनेगा । यह स्थान रतनगिरी जिले (महाराष्ट्र) में चिपलन के पास है ।

संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय में पंजीबद्ध फर्में

†११६१. **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **निर्माण आवास, और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय में ऐसी कितनी फर्मों के नाम दर्ज थे जिन्होंने १९५९–६० में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए माल खरीदा था;

(ख) पंजीयन के लिए कितने प्रार्थनापत्र आये और कितने स्वीकृत हुए; और

(ग) उनमें विदेशी और भारतीय फर्में कितनी कितनी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) १९५९–६० में १८४९ फर्मों के नाम लिखे गये ।

(ख) २१७५ प्रार्थनापत्र आये थे । १८४९ फर्मों के नाम लिखे गये ।

(ग) (१) १९५९–६० में प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या :
१२२१ विदेशी फर्में ।
९५४ भारतीय फर्में ।

(२) १९५९–६० में जिन फर्मों के नाम लिखे गये :
११८२ विदेशी फर्में ।
६६७ भारतीय फर्में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कनाडा को निर्यात

†११९२. { श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा में भारतीय वस्तुओं पर सीमा शुल्क की कम दर (प्रीफ्रेन्शल रेट) लागू होती है; और

(ख) यदि हां, तो कनाडा को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् । भारतीय वस्तुओं पर यह कम दर (प्रीफ्रेन्शल रेट) बहुत समय से लागू है।

(ख) कनाडा को हमारा निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं की निरन्तर खोज होती है । पिछले वर्ष, निम्न कार्यवाही विशेष रूप से की गई है :—

(१) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् का एक प्रतिनिधिमंडल कनाडा गया।

(२) ब्रिटिश कोलम्बिया में हमारे हितों की देख भाल करने के लिए वैंकोवर में एक व्यापार मिशन खोला गया।

अगरतला के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति

†११९३. **श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अगरतला के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने नाम लिखाये;

(ख) इस अवधि में काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् और त्रिपुरा प्रशासन ने कितने उम्मीदवार भर्ती किये;

(ग) क्या यह संख्या संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो काम दिलाऊ दफ्तर से मांगे बिना व्यक्तियों को रोजगार देने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १९५८, १९५९ और १९६० में १५,९५९ ।

(ख)	त्रिपुरा प्रशासन .	१२४३
	त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद्	३१९

(ग) हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हंगरी की पार्टियों के साथ सहयोग करार

†११९४. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हंगरी की पार्टियों से ४ सहयोग करार हुए हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या क्या हैं और उनकी क्या योजनायें हैं; और

(ग) इन ठेकों की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह्)** : (क) से (ग). हां, श्रीमान् । हंगरी की फर्मों के साथ सहयोग के छः प्रस्ताव स्वीकार हुए हैं । इन करारों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

त्रिवेन्द्रम में टिटेनियम कारखाना

†**११९५. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम टिटेनियम कारखाने का विस्तार करने का कोई नया प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या कोई विदेशी सहयोग लिया जायेगा; और

(घ) प्रस्तावित विदेशी सहयोग की क्या शर्तें हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मैसर्स त्रावनकुर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि०, त्रिवेन्द्रम को ६५०० टन टिटेनियम डाइआक्साइड (अनातेसे और रूटाइल दोनों श्रेणी) की पहिली लाइसेन्स प्राप्त वार्षिक क्षमता को काफी बढ़ा कर २४,५०० टन प्रति वर्ष करने के लिए पिछले अप्रैल में एक लाइसेन्स दिया गया था । विस्तार रूटाइल श्रेणी का होगा । फर्म द्वारा अपेक्षित मशीन, आदि का समूचा पूंजीगत मूल्य लगभग ३ करोड़ रु० है । इस में से १.७ करोड़ रु० के मूल्य का सामान आयात करना होगा । एक करोड़ रु० कार्य संचालन के लिए अपेक्षित होंगे । फर्म की विस्तार योजना की कुछ शर्तों जैसे उत्पादन का २५ प्रतिशत निर्यात करना, देशी कच्चे सामान का प्रयोग करना, स्वामित्व-भुगतान की अधिकतम सीमा रखना, आदि पर स्वीकार की गई है । आशा है कि योजना से लगभग २०० व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा । योजना में विदेशी सहयोग भी सम्मिलित है और फर्म आजकल शर्तों पर वार्ता कर रही है ।

रबड़ बोर्ड की सिफारिशें

†**११९६. श्री जीनचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बोर्ड में कुछ पदों पर द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए रबड़ बोर्ड की कोई सिफारिश मिली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है और वह कब लागू होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) संशोधित वेतन-क्रमों को १-७-१९५९ से लागू करने का निश्चय किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये रबड़ बागान

†११६७. **श्री जीनचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रबड़ बोर्ड की सिफारिशों पर रबड़ के नये बागान लगाने के लिए ऋण योजना स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना लागू हो गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). छोटे छोटे उत्पादकों को रबड़ के नये बाग लगाने के लिए एक ऋण योजना स्वीकार की गई है । ऐसे ऋणों को विनियमित करने वाले नियम हाल में निश्चित किये गये हैं। आशा है कि योजना शीघ्र ही लागू होगी ।

प्रधान मंत्री की मनाली यात्रा पर व्यय

†११६८. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनाली की अवकाश यात्रा के व्यय श्री नेहरू ने स्वयं वहन किये अथवा सरकार ने वहन किये; और

(ख) यदि सरकार ने भी कोई धन व्यय किया है तो कितना ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां । प्रधान मंत्री ने स्वयं यह धन व्यय किया था ।

(ख) सरकार ने मनाली में प्रधान मंत्री के दिन के व्यक्तिगत व्यय पर कोई भी धन व्यय नहीं किया था ।

कर्मचारियों की शिक्षा संबंधी अधिछात्रवृत्ति

†११६९. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कर्मचारियों की शिक्षा सम्बन्धी अधिछात्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) किस आधार पर चुनाव किया गया था; और

(घ) कौन अभ्यर्थी चुने गये थे तथा वह किन किन संगठनों के थे ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

(ग) हमें नहीं बताया गया ।

(घ) (१) श्री के० के० बी० धाडगुल, आइ० एन० टी० यू० सी० (२) श्री एन० वैद्यनाथन, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एडुकेशन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोक होटल में गोमांस

†१२००. श्री बाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री आसर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के निदेशकों ने अपने अतिथियों को गोमांस परोसने की नीति पर पुनः विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). अशोक होटल लिमिटेड के प्रबन्ध ने निर्णय किया है कि अशोक होटल में १ जुलाई १९६१ से किसी भी रूप में गोमांस नहीं परोसा जायेगा ।

जम्मू में बम विस्फोट

†१२०१. श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू में प्लूरा के मुकाम पर पुरानी सम्बा-कुठल्पा सड़क के काश्मीर प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद के पिछले दौरे पर विदेशी विध्वंसकर्त्ताओं द्वारा सड़क पर रखे गये बम फट गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हो गये थे तथा कितने मर गये थे ?

(ग) क्या यह सच है कि १९६० के पहले पांच महीनों की तुलना में १९६१ के इन्हीं महीनों में अधिक विस्फोट हुए थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की विध्वंसक कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). १९ मई, १९६१ को पाकिस्तान के विध्वंसकर्त्ताओं द्वारा दो बम पुरानी कठुल्पा सड़क पर रखे गये फट गये

†मूल अंग्रेजी में

थे । जिसके परिणामस्वरूप एक स्त्री मर गई तथा उसका आठ वर्ष का एक पुत्र घायल हो गया था ।

(ग) जी, हां । १९६१ के पहले पांच महीनों में जम्मू तथा काश्मीर से बम फटने के ३९ मामलों की रिपोर्ट मिली जब कि १९६० की इसी अवधि में ३२ मामले हुए थे ।

(घ) मुठभेड़ होने पर पाकिस्तान के तीन विध्वंसकर्त्ता पुलिस द्वारा मारे गये ।

चीन द्वारा हमारी सीमाओं पर आक्रमण संबंधी साहित्य

†१२०२. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा हमारी सीमाओं पर आक्रमण के तथ्यों को जनता को बताने के लिए भारतीय भाषाओं में कोई साहित्य प्रकाशित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी पुस्तकें हैं तथा उसका प्रकाशन किन भाषाओं में हुआ है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां । चीन द्वारा हमारी सीमाओं पर आक्रमण के तथ्यों के बारे में जनता को बताने के लिए भारतीय भाषाओं में तीन पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं ('इंडिया-चीन रिलेशन्स', 'इंडिया-चीन बार्डर प्राब्लम' तथा इंडिया-चीन बाउन्ड्री क्वश्चन पर सरकारी रिपोर्ट का सारांश)

(ख) एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८**]

पश्मीना ऊन का निर्यात

†१२०३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक में कितनी धन राशि की पश्मीना ऊन का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ख) क्या सरकार पश्मीना ऊन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नवम्बर, १९५७ से पहले पश्मीना ऊन की निर्यात सांख्यकी मालूम नहीं है । नवम्बर, १९५७ से जून, १९६१ तक निर्यात निम्न प्रकार से हुए हैं :—

अवधि	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपयों में)
नवम्बर-दिसम्बर १९५७	—	—
१९५८	८७,१९३	१३,६८,१९५
१९५९	२२१,५९१	४०,४५,७२९
१९६०	३१,८०९	६,२३,४०६
१९६१ (जनवरी से जून १९६१)	६,०५५	५६,८०९

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्स्टेड ऊन के तकुए

†१२०४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में इस समय वर्स्टेड ऊन के कितने तकुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि काश्मीर के अतिरिक्त देश के अन्य किसी भाग में वर्स्टेड ऊन के और तकुए तीसरी पंच वर्षीय योजना में स्वीकार न किये जायें ; और

(ग) इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६**]

इंजीनियरिंग उद्योग की वस्तुओं का निर्यात

†१२०५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् के सभापति की इस विशिष्ट मांग पर निर्णय ले लिया है कि इंजीनियरिंग उद्योग की वस्तुओं के निर्यात की वद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). सरकार ने भाड़ा जांच बोर्ड स्थापित कर लिया है तथा परिषद से कहा है कि मांग का औचित्य देखते हुए नौवहन भाड़ा दरों में कमी के विशिष्ट मामलों को बताये । इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये वर्तमान निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन आयात करने को उदार बना दिया गया है तथा इसमें इस समय वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है । परन्तु जो निर्माता नहीं है ऐसे निर्यात कर्त्ताओं को योजना के अधीन लाभ दे दिए गए हैं यदि वह कुछ शर्तें पूरी कर दें तो । लोहा तथा इस्पात के मूल्यों में कमी करने के अन्य प्रश्नों पर विचार हो रहा है ।

पटसन उद्योग

†१२०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल पटसन मिल कर्मचारी संघ के जून, १९६१ में पारित इस संकल्प की ओर ध्यान दिया है कि सरकार को जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो अपनी मांग के लिए उन्होंने क्या कारण बताए हैं ; और

(ग) मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संभवतः संघ ने भारतीय पटसन मिल संस्था के काम के घंटे कम कर देने के तथा जून और जुलाई के महीनों में मिलों को बन्द करने के निर्णय के कारण रोजगार की स्थिति खराब हो जाने के कारण यह संकल्प पारित किया है ।

(ग) इस मांग पर कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

सिलाई की मशीनों का निर्माण

†१२०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के पूर्वार्द्ध में (राज्यवार) भारत में कितनी सिलाई की मशीनें बनाई गईं ; और

(ख) इसी अवधि में कितनी सिलाई की मशीनों का निर्यात किया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०**]

मध्य पूर्व देशों से मेवों का आयात

†१२०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ के पूर्वार्द्ध में मध्य पूर्व देशों से जलपोतों के द्वारा कितने मूल्य के मेवे का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : ८४ लाख रुपये ।

काफी तथा चाय का निर्यात

†१२०९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में चाय और काफी के निर्यात में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : १९६१ के पहले छः महीनों में भारतीय चाय का १४५७ लाख पौंड का निर्यात होने का अनुमान है जब कि १९६० में इसी अवधि में १३२८ लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ था ।

१९६१ मार्च तक के छः महीनों में काफी का निर्यात १२८६८ मीट्रिक टन हुआ था जब कि १९६० मार्च तक के छः महीनों में ६७०७ मीट्रिक टन हुआ था । इसके बाद में के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पंजाब में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

†१२१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा संचालित हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना के अधीन पंजाब में इस समय कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें काम कर रही हैं ;

(ख) इन संस्थाओं में इस समय कितने प्रशिक्षार्थी हैं ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) सत्रह (विस्थापित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों समेत) ३०–६–१६६१ तक।

(ख) ३,५६७।

(ग) ४,४२४।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में "इकोनामिक डिवीजन"

†**१२११. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में कोई 'इकोनामिक डिवीजन' है; और

(ख) यदि हां, तो यह डिवीजन किस प्रकार का है तथा इसके क्या कार्यकलाप हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां। १५ जुलाई १६६१ से वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में एक इकानामिक तथा कोआर्डिनेशन डिवीजन काम कर रहा है।

(ख) 'डिवीजन' एक सलाह देने वाली इकाई है तथा इसलिये बनाया गया है जिससे भारत के अन्य देशों के सम्बन्ध में राजनैतिक तथा आर्थिक नीतियों का विभिन्न स्तरों पर उत्तम समन्वय किया जा सके।

शंकर मार्केट, नई दिल्ली के "अलाटी"

†**१२१२. श्री आसर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शंकर मार्केट (न्यू सेण्ट्रल मार्केट), नई-दिल्ली के 'अलौटियों' को नोटिस दिया गया है कि वह २५ जून १६६१ तक अपने पट्टे लिखा लें;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान 'अलौटियों' ने तीन वर्ष पहले पुनर्वास मन्त्रालय से किरायानामें किए थे;

(ग) क्या सरकार को अलौटियों तथा उनकी संस्थाओं से विरोध पत्र मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). अधिकांश दूकानदारों ने अब तक पट्टे नहीं किये हैं अथवा उन्होंने जिन पत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं वह कानूनी तौर पर गलत हैं। इसीलिये दूकानदारों से 'लाइसेंस पट्टे' करने को कहा गया है।

(ग) जी हां।

(घ) 'एस्टेट डायरैक्टोरेट' के नियन्त्रणाधीन मार्केट के अलाटियों के प्रतिनिधियों से मामले पर चर्चा हो चुकी है और यह निर्णय किया गया है कि अलौटियों से 'लीजडीड' पर हस्ताक्षर करने को कहा जायेगा तथा लाइसेंस डीड पर नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा उद्योग

†१२१३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी वर्ग की सिफारिशों के अनुसार कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २८,००० लाख गज का उत्पादन होना चाहिये जिससे प्रति व्यक्ति १६ गज की खपत हो सके, सरकार का विचार इन लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा करने का है ;

(ख) हथकरघा उद्योग से कपड़े की आन्तरिक आवश्यकता का कितना अनुपात पूरा किया जायेगा; और

(ग) क्या धोतियों और साड़ियों का कुल रिजर्वेशन करके हथकरघा, उद्योग का संरक्षित बाजार बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य मंत्री(श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). तृतीय योजनावधि में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिये अस्थाई तौर पर ३५,००० लाख गज का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था। इसमें से आशा है कि हथकरघा उद्योग लगभग २८,००० लाख गज का उत्पादन करेगा और अधिक स्पिंडलों का लाइसेंस करके धागे का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को सहायता दी जा रही है जिससे वह अपनी अंश पूंजी बढ़ा सकें तथा संस्था वित्त अभिकरणों से कार्य- वहन पूंजी ले सकें। राज्य सरकारों से कहा गया है कि सहकारिता से बाहर के बुनकरों को राज्य वित्त निगमों के द्वारा वित्तीय सहायता दिलाने की व्यवस्था करें।

तीसरी योजना के अनुसार १९६५–६६ तक सूती कपड़े का कुल उत्पादन ९३,००० लाख गज हो जाने की आशा है। ९,००० लाख गज का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस आधार पर हथकरघा उद्योग में २८,००० लाख गज का उत्पादन आन्तरिक आवश्यकता का एक तिहाई माना जा सकता है।

हथकरघा उद्योग द्वारा कपड़े का उत्पादन करने का रिजर्वेशन का क्षेत्र बढ़ाने का इस समय कोई विचार नहीं है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

†१२१४. **श्री कालिका सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में बार-बार की दुर्घटनाओं को देखते हुए जिनके कारण काफी संख्या में खान मजदूर मर जाते हैं, सरकार ब्रिटिश माइन्स एण्ड क्वैरीज एक्ट, १९५४ और ब्रिटिश क्लीन एयर एक्ट, १९५६ के उपबन्धों से मिलते-जुलते उपबन्ध लागू करने के बारे में सोच रही है ;

(ख) कोयला खान दुर्घटनाओं के बारे में जिनमें छतों के गिर जाने की दुर्घटनाएं भी शामिल हैं, छानबीन का क्या परिणाम निकला; और

(ग) निरीक्षण नियमितरूप से तथा उचित समय पर निश्चित रूप से किये जायें इसके लिये क्या सावधानी बरती जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) खान अधिनियम, १९५२ बनाते समय और बाद के संशोधनों में भी, विदेशी विधान के, जिसमें ब्रिटिश विधान भी शामिल है, उपबन्धों पर यथा सम्भव विचार किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले ६ वर्षों में ५ बड़ी दुर्घटनायें हुईं। सभी के बारे में जांच की गयी थी। तीन दुर्घटनाएं पानी बढ़ जाने के कारण और दो दुर्घटनायें विस्फोट के कारण हुई थीं। जहां कहीं प्रबन्धक दोषी थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। जांच रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा विधान में भी संशोधन किये गये थे।

(ग) खान निरीक्षणालय में कर्मचारियों की संख्या और बढ़ायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने के औद्योगिक कारखाने

†१२१५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने के जिन औद्योगिक कारखानों को गैर-सरकारी क्षेत्र में १९५७–५८ से १९६०-६१ तक लाइसेंस दिये गये हैं; वे कहां-कहां स्थित हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) १९५७–५८ से १९६०–६१ तक सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने के जो औद्योगिक कारखाने स्थापित किये गये हैं वे कहां-कहां हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के पुराने औद्योगिक कारखानों का विस्तार कार्यक्रम क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१।**]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

१२१६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मन्त्रालय तथा उसके संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग हैं और उनमें से कितने अनुभाग हैं जिसमें हिन्दी जानने वालों की बहुतायत हैं; और

(ख) जिन अनुभागों में हिन्दी जानने वाले अधिक हैं उनमें से कितने अनुभागों को हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने की अनुमति दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) (१) मन्त्रालय तथा इससे संलग्न कार्यालयों के अनुभागों की कुल संख्या . १२३

(२) जिन अनुभागों में हिन्दी जानने वालों की बहुतायत है, उनकी संख्या ५९

(ख) आठ अनुभागों को ऐसा करने की अनुमति दे दी गई है।

हिन्दी में सन्देश

१२१७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी राष्ट्रों के अध्यक्षों को उनके राष्ट्रीय दिवस आदि के अवसर पर भारत की ओर से औपचारिक सन्देशों को हिन्दी में भेजने की कोई व्यवस्था की गई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नही, तो कब से ऐसी व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) अन्य देशों में हमारे देश को ऐसा सन्देश अपनी राष्ट्रभाषा में भेजने के विषय में क्या पद्धति अपनाई गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का प्रबन्ध करना कब सम्भव होगा।

(ग) अधिकांश देशों का व्यवहार यह है कि वे इस प्रकार के सन्देश अंग्रेजी में भेजते हैं।

सरोजिनी मार्केट में दुकानों पर स्वामित्व के अधिकार

†१२१८. **श्री रामम् :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री बाजपेयी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बलराज मधोक :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी माकट दूकानदार संघ, नई दिल्ली, ने यह मांग की है कि सरोजिनी मार्केट में दूकानदारों और मकानों (फ्लैट्स) पर स्वामित्व के अधिकार उन लोगों को हस्तान्तरित कर दिये जायें जिनका उन पर कब्जा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी हां।

(ख) चूंकि सरोजिनी मार्केट "कम्पेन्सेशन पूल" का अंग नहीं है और वह अहस्तान्तरणीय बाजार है इसलिए संघ की प्रार्थना मंजूर नहीं की गयी है। इस बाजार का नियंत्रण १ अप्रैल, १९५८ को निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय को सौंप दिया गया था।

सामुदायिक श्रवण क्लब

१२१९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्य सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के आरम्भ में स्त्रियों और बच्चों के लिये किस-किस राज्य में कितने कितने सामुदायिक श्रवण क्लब चालू थे ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षय योजना में और कितने क्लब खोले जाने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) वर्ष १९६१ के आरम्भ में स्त्रियों और बच्चों के रेडियो क्लबों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :—

राज्य	स्त्री श्रवण क्लब	बाल श्रवण क्लब
आंध्र प्रदेश	४८९	२२५
बिहार	५	३६
गुजरात	१९	६२
केरल	३३	११७
मध्य प्रदेश	६	९
मद्रास	३०	१८८
महाराष्ट्र	१९९	२५८
मैसूर	४	२२
उड़ीसा	१३८	६२२
पंजाब	—	६
राजस्थान	४	—
उत्तर प्रदेश	२६	६८
पश्चिम बंगाल	४	१३
दिल्ली प्रशासन	६	२
कुल संख्या	९३३	१,६२८

दूसरे राज्यों में ऐसे क्लब नहीं बनाए गए थे।

(ख) क्योंकि इन क्लबों का निर्माण साधारण तौर पर स्वेच्छा से होता है इसलिये इसका अन्दाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। फिर भी आकाशवाणी केन्द्र लगातार प्रयत्न करते रहते हैं कि स्थानीय स्त्रियों और बच्चों की संस्थाओं के सहयोग से क्लबों का निर्माण और किया जाए ।

रेयन मिलें

१२२०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी रेयन मिलें हैं जो कपड़े और धागे दोनों का निर्माण करती हैं ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी कितनी मिलें स्थापित की जायेंगी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) केवल एक मिल ऐसी है जो रेयन के कपड़े और धागे दोनों का निर्माण करती है ।

(ख) रेयन के धागे तथा कपड़ा दोनों बनाने वाला मिल स्थापित करने के लिये कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

१२२१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों को निष्क्रांत सम्पत्ति के बारे में क्या रियायतें दी गई हैं ;

(ख) इन रियायतों के दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) शहरी क्षेत्रों में कम्पेनसेशन पूल की वे जायदादें जो "अलाटेबल" हैं और जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, तथा पिछड़े वर्गों के कब्जों में थीं, २० प्रतिशत कीमत आरम्भ में जमा कराने और शेष किराये के बकाया को मिला कर ७ समानित वार्षिक किस्तों में देने पर उनके नाम कर दी गयी हैं। जब कि वे ऐसी जायदादों के मालिक नहीं बनना चाहते हों उस हालत में किराये की बकाया रक़म दीर्घकालीन आधार पर वसूल की जाती है जिसके अनुसार चालू मास के किराये के साथ पिछले एक मास का बकाया किराया भी देना पड़ता है।

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान/खंड जो कि इन वर्गों के कब्जों में थे, २० रुपये प्रति मकान तथा १० रुपये प्रति खंड का नाम मात्र का मूल्य लेंकर उनको उनके नाम कर दिया गया है।

(ख) यह रियायतें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों को उनकी कमज़ोर माली हालत को ध्यान में रखते हुए दी गयी हैं।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

**१२२२. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६१ से अब तक कोयला खानों में कितनी घातक दुर्घटनायें हुई ;

(ख) उनमें से प्रत्येक में जान और माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) जो लोग उपरोक्त दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी थे, क्या उनके ख़िलाफ़ मुक़दमें चलाये गये ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जून, १९६१ तक ११९।

(ख) एक दुर्घटना में ६ व्यक्ति मरे, दो में पांच-पांच, तीन में चार-चार, ग्यारह में दो-दो, और एक सौ दो में एक-एक। माल की हानि के बारे में सूचना प्राप्त नहीं।

(ग) जी हां, जब ज़रूरी समझा गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

घोड़ो का आयात

†१२२३. { श्री सुगन्धि :
श्री बोडयार :
श्री अगाड़ी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नस्ल सुधारने के लिए घोड़ों के आयात के लिए अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से ;

(ग) क्या व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जाते हैं ;

(घ) उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ङ) १९६०–६१ में कितने घोड़ों के लिए लाइसेंस दिये गये ; और

(च) कितनी विदेशी मुद्रा के लिए अनुमति दी गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर सभी देशों से आयात के लिए मान्य लाइसेंस, गैर-सरकारी पशुपालकों, संगठनों, राज्य सरकारों आदि को इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी समिति के परामर्श से निम्नलिखित शर्तों के अधीन तदर्थ आधार पर दिये जाते हैं :—

(१) गेलडिंग्ज या रिग्ज के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(२) अफ्रीकी अश्वरोग से प्रभावित देशों से आयात के मामले में इस रोग के टीके के संबंध में मान्य प्रमाण-पत्र पेश करना होगा ।

(३) पशु सुधार अधिनियम के अधीन आवश्यक अन्य प्रमाणपत्र भी पेश करने होंगे?

(४) पाकिस्तान से आयात दोनों देशों के बीच व्यापार करार के अन्तर्गत होगा और कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन होगा, जैसे दोनों देशों के बीच सम्मन भुगतान व्यवस्था के विषय में ।

(ङ) नस्ल की १८ घोड़ियां (ब्रीड मेअर्स)

(च) १,१९,००० रुपये ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रगति का मूल्यांकन

†१२२४. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए स्थायी तौर पर एक विशेष यूनिट कायम करने और राष्ट्रीय विकासपरिषद् को रिपोर्ट देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उप-मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : योजना आयोग ने सरकारी उद्यमों के संबंध में एक अनुभाग स्थापित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य इन उद्यमों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करने और उनके काम के आर्थिक तथा वित्तीय पहलुओं के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट देने में मदद करना है। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखी जायगी।

चाय बोर्ड के कर्मचारी

†१२२५. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों (वेतन क्रमों में परिवर्तन) जो भारत सरकार द्वारा मंजूर की गयी है। चाय बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में कार्यान्वित की जा चुकी है ;

(ख) क्या चाय बोर्ड ने इस विषय में कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). सरकार ने १ जुलाई, १९५९ से दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें चाय बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू की हैं और बोर्ड के अधीन अधिकतर पदों के वेतनक्रम बढ़ा दिये गये हैं। बाकी कुछ पदों के संबंध में वेतनक्रम बढ़ाने के प्रश्न की छीन-बीन अभी हो रही है।

पंजाब में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट

†१२२६. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट की काफी बड़ी बकाया रकम अभी भुगतान करना बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो १ जून, १९६१ को कितनी रकम का भुगतान बाकी था ;

(ग) भुगतान में देर होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भुगतान नियमित रूप से करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं में व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण

†१२२७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं में कितने व्यक्तियों को व्यापार प्रबंध का प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ख) उन पर कितना खर्च किया गया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

	१९५९–६०	१९६०–६१
(क)		
(१) व्यापार प्रबंध का अल्पकालीन शिक्षा-क्रम	१६	५३
(२) व्यापार प्रबन्ध का दीर्घकालीन शिक्षा-क्रम .	७	२९

(ख) वहां नियमित कर्मचारी हैं जो व्यापार प्रबंध का प्रशिक्षण देने के अलावा दूसरा काम भी करते हैं और भिन्न भिन्न एककों को व्यापार प्रबंध के विभिन्न पहलुओं के बारे में राय देते हैं। १९५९–६० और १९६०–६१ में प्रशिक्षार्थियों के समक्ष भाषण देने के लिए अतिथि वक्ताओं को क्रमश: ४८० रुपये और ९७५ रुपये की रकम दी गयी।

चल सम्पत्तियों के बारे में भारत-पाक वार्ता

†१२२८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **प्रधान मंत्री** २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व पाकिस्तान में चल तथा अचल सम्पत्ति के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत खत्म करने के सम्बन्ध में यदि और आगे कोई प्रगति हुई हो तो वह क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमने राजनयिक स्तर पर अपने प्रयत्न जारी रखे हैं इसके सिवा और आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। मई १९६१ में पाकिस्तान के वित्त सचिव के साथ बातचीत में हमारे कार्यकारी उच्चायुक्त ने यह विषय उठाया था। उन्होंने बताया कि मैं उस मामले का अध्ययन करूंगा और शीघ्र ही उत्तर दूंगा। उनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है।

चाय बोर्ड के कर्मचारी

†१२२९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कर्मचारियों ने ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया है कि वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि लाभ के बजाय सरकारी कर्मचारियों के लिए अब उपलब्ध सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ उन पर भी लागू किये जायें;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चाय बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि लाभ के बजाय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ चाय बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श हो रहा है।

रासायनिक रंग उद्योग

†१२३०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रासायनिक रंग उद्योग की कितनी और कौन-कौन सी विदेशी कम्पनियां हैं; और

(ख) १९६०–६१ में उन्होंने मुनाफे की कितनी रकम भारत से बाहर भेजी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). ऐसी जानकारी और आंकड़े नहीं रखे जाते और इसलिए वह उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में बिजली के करघे

†१२३१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में आज तक कितने अधिकृत और अनधिकृत करघे हैं जो बिजली से चलते हैं और प्रत्येक जिले में कपास के और उससे अतिरिक्त के सूत पर कितने करघे चलते हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

फीरोजपुर में लघु उद्योग

†१२३२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्था ने फीरोजपुर के उद्योगों को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५९ और १९६० में पंजाब की अलग-अलग फर्मों को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) लघु उद्योग सेवा संस्था, लुधियाना, ने फीरोजपुर जिले की ९० फर्मों को सहायता दी है।

(ख) यह ब्यौरा इकट्ठा करने में जो समय और मेहनत लगेगी वह उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अलौह धातु

†१२३३. **श्री खाडिलकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातु नियंत्रक बड़े बड़े उद्योगों और पुराने आयातकों को सीधे आयात लाइसेंस जारी करता है;

(ख) क्या छोटे एककों को पुराने आयातकों से सप्लाई प्राप्त करना आवश्यक होता है;

(ग) क्या जून, १९६१ में कलकत्ते में छोटे उद्योगपतियों को प्रति क्वार्टर तांबे के लिए २४५ रुपया देना पड़ा था जब कि बड़े उद्योगपतियों ने उसी के लिए केवल १७० रुपये दिये;

(घ) क्या देश के सभी भागों में दूसरी धातुओं के सम्बन्ध में इसी प्रकार भिन्न भिन्न कीमतें पायी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही हो तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि कलकत्ते के छोटे औद्योगिक कारखानों को जून, १९६१ में प्रति क्वार्टर तांबे के लिए २४५ रुपये देने पड़े। इसके विपरीत, राज्य व्यापार निगम द्वारा जून, १९६१ में अनेक छोटे औद्योगिक कारखानों को दिये गये तांबे का मूल्य १५१ रुपये प्रति हंडरवेट से लेकर १६१ रुपये प्रति हंडरवेट के बीच में था जो तांबे की किस्म पर निर्भर था।

(घ) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार, आयात किये गये जस्त का बिक्री मूल्य इस देश में लागत पर ३॥ प्रतिशत लाभ तक सीमित होता है और इसलिए देश के विभिन्न भागों में इन धातुओं के मूल्य में कोई अन्तर नहीं हो सकता। अन्य अलौह धातुओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहता।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कांगड़ा और होशियारपुर में सरकारी उद्योग

†१२३४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में सरकारी उद्योग चालू करने की कोई योजना है; और

(ख) क्या इन उद्योगों के स्थान के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में भूमि का अनियमित आवंटन

†१२३५. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में भूमि के अनियमित आवंटन संबंधी रिपोर्ट पर और आगे कार्यवाही न करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). जी नहीं। रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों में से २३ मामलों में जांच शुरू की गयी थी । इनमें से १३ मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और बाकी मामलों की जांच शीघ्र ही पूरी होने की संभावना है ।

बनोरा कोयला खान

†१२३६. { **श्री प्र० गं० देव :**
डा० रामसुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६१ में आसनसोल में बनोरा कोयला खान में कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कर्मचारियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जी हां, १४ जून, १९६१ को सबेरे ७-३० बजे जब माल ढोने वाला एक मजदूर घेरे के अन्दर खुदी हुई जगह में खुला हुआ कोयला इकट्ठा कर रहा था तब छत से कोयला गिरने के कारण मर गया ।

(ग) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन, प्रतिकर के बारे में निर्णय करने तथा उसका भुगतान कराने के लिए एक संविहित अधिकारी होता है जिसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं । सरकार ऐसे संविहित मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।

फोटो प्रोसेस और एनग्रेविंग उपकरण कारखाना, बंगलौर

†१२३७. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में फोटो प्रोसेस और फोटो एनग्रेविंग उपकरण तैयार करने तथा एक कारखाना खोलने के लिए एक ब्रिटिश फर्म, दी मोनोटाइप कारपोरेशन लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विदेशी कम्पनी का पूरा स्वामित्व है और उसका प्रबन्ध भी उसी के द्वारा होगा या वह कारखाना भारतीय पूंजी से किसी भारतीय फर्म के सहयोग से चलता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) फोटो प्रोसेस और फोटो एनग्रेविंग उपकरण तैयार करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों के अधीन कोई लाइसेंस जरूरी नहीं है ।

(ख) ज्ञात हुआ है कि वह पूर्णतः विदेशी संस्था है ।

सिलाई की मशीनें

१२३८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सिलाई की मशीनों का कितना उत्पादन रहा और इस उद्योग में अब तक कितना पैसा लगा हुआ है ;

(ख) इस सारे उत्पादन में पंजाब का कितना भाग है ;

(ग) क्या भारत से सिलाई की मशीनें विदेशों को भी निर्यात की गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग के द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त हुई है ; और

(ङ) विभिन्न प्रकार की सिलाई की मशीनें कुल मिला कर कितनी भारत में अब तक तैयार हुई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

		उत्पादन	विनियोजन
(क)	बड़े पैमाने के क्षेत्र में वर्ष		
	१९६०	२९७,२८१	३ करोड़ रु० (लगभग)
	छोटे पैमाने के क्षेत्र में वर्ष		
	१९६० . .	४१,६९२	उपलब्ध नहीं
(ख)	बड़े पैमाने के क्षेत्र में . .	३१,६४३	
	छोटे पैमाने के क्षेत्र में . .	२०,६०५	

(ग) जी, हां ।

(घ) सिलाई की मशीनों (सिलाई मशीनों के ढांचों को शामिल करके) के निर्यात से १९६० में ५३,३८,११४ रुपये अर्जित किये गये । सिलाई की मशीनों (सिलाई मशीनों के ढांचों को निकाल कर) के निर्यात से १९५८ और १९५९ मे १५,०७,००० रु० और २३,९६,००० रु० अर्जित किये गये थे :

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) बड़े पैमाने के क्षेत्र में १९५९, १९६० और (१९६१ जून तक) मे सिलाई मशीनों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :—

वर्ष	हल्की औद्योगिक (संख्या)	भारी औद्योगिक (संख्या)	घरेलू (संख्या)
१९५९ . . .	३४,६९४	१,३१७	२१६,५९८
१९६० . . .	३५,५२७	१,६०१	२५९,५८३
१९६१ (जून तक) . .	१४,५०८	१,३६५	१३८,८४९

छोटे पैमाने के क्षेत्र में केवल घरेलू किस्म की सिलाई मशीनें बनाई जाती हैं और आंकड़े १९६० और १९६१ (जून तक) के ही उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित हैं :—

१९६० . . .	४१,६६२	घरेलू किस्म की सिलाई की मशीनें
१९६१ (जून तक) . .	१५,८१६	घरेलू किस्म की मशीनें (८७ स्वीकृत कारखानों मे से केवल २६ कारखानों के लिये)

अन्तर्विश्वविद्यालय आण्विक विज्ञान से अनुसंधान केन्द्र

†१२३९. **श्री कोडियान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में आण्विक विज्ञान के अनुसन्धान के लिये अखिल विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना सरकार के सामने है ;

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र स्थापित किये जाने वाले हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कुल कितना खर्च करने वाली है ;

(घ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के स्थान के बारे में कोई निश्चय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ङ). इस तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में दो अन्तर्विश्वविद्यालय आण्विक केन्द्र स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है। इन में से एक केन्द्र उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में होगा। जो अभी प्रारम्भिक दशा में है। इन केन्द्रों के ठीक ठीक स्थान के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है और न ही उन की लागत मालूम की गयी है।

कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की पास बुकें

†१२४०. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे २५ खातेदारों के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि खाते पूरे किये जा चुके हैं; और

(ख) क्या पास बुक खातेदारों को दे देने के लिये दिल्ली नगर निगम को भेज दी गई हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). विभाग को दिल्ली नगर निगम से २५ में से १२ पास बुक अभी तक मिली हैं। ये पूरी की जा चुकी हैं और खातेदारों को देने के लिये निगम को लौटा दी गई हैं। बाकी १३ पास बुक अभी निगम से प्राप्त नहीं हुई हैं।

कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की पास बुकें

†**१२४१. श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के शेष पास बुक पूरे किये जा चुके हैं ; और

(ख) क्या ये पास बुक खातेदारों को दे देने के लिये नयी दिल्ली नगरपालिका को भेज दिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नयी दिल्ली नगरपालिका से अब तक ७ पास बुक मिल चुके हैं। ये पूरे किये जा चुके हैं और खातेदारों को दे देने के लिये नगरपालिका को लौटा दिये गये हैं। बताया जाता है कि एक खातेदार ने पास बुक खो दिया है। शेष एक पास बुक अभी नगरपालिका से प्राप्त नहीं हुआ है :

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान

†**१२४२. श्री कुन्हन्** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न राज्यों में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी थी ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उन रकमों का पूरा पूरा उपयोग किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). सहायता प्राप्त औद्योगिक भवन निर्माण योजना के अधीन मकान बनाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों आदि द्वारा मंजूर / ली गयी रकमें बताने वाला विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३०९०/६१]

(ग) पूरी मंजूर रकमों के उपयोग में कमी के लिये जिम्मेदारी मुख्यत: निम्नलिखित बातों पर है :—

(१) उचित दाम पर उपयुक्त जमीन का न मिलना तथा जमीन प्राप्त करने की पेचीदा प्रक्रिया जिस के कारण अवश्य ही देर हुई है ; और

(२) बांध, पुल, सड़कें आदि जैसी परियोजनाओं के लिये प्राथमिकताओं के कारण मकान बनाने के लिये अत्यावश्यक निर्माण सामग्री की कमी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीलंका में भारतीय

१२४३. श्री डामर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीयों ने श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त कर ली है ; और

(ख) कितने भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) श्रीलंका में जिन भारतमूलक लोगों ने जनवरी, १९६१ के अन्त तक श्री लंका की नागरिकता हासिल कर ली थी, उनकी संख्या १,२६,८६३ है ।

(ख) उन भारत मूलक लोगों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, जिनको श्रीलंका की नागरिकता हासिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है । बहरहाल, यह बताया जा सकता है कि जिन लोगों ने श्रीलंका की नागरिकता के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे, लेकिन जिनके प्रार्थना पत्र श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा दिसम्बर, १९६० के अन्त तक नामंजूर कर दिये गये थे, उन की संख्या ६,९१,९७५ है ।

कार्यालय के भवन बनाना

१२४४. श्री क० भे० मालवीय : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में गैर-सरकारी मकानों में स्थित किन-किन सरकारी कार्यालयों ने अपने भवन बनाने की मांग की है ;

(ख) उन में से किन की मांग मंजूर कर ली गई है और किन की नामंजूर कर दी गई है ; और

(ग) उनकी मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). निर्माण आवास और सम्भरण मंत्रालय दिल्ली/नई दिल्ली में उन विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जिन्हें सामान्य समूह में स्थान प्राप्त करने का हक है, सामान्य समूह में कार्यालय-भवन बनवा रहा है । इनमें से किसी विभाग द्वारा अपने लिये भवन बनवाने का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु वाणिज्य सम्बन्धी विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि के भवन-निर्माण के अपने अपने कार्यक्रम हैं और उन्हें अपनी निर्माण की किसी योजना के लिये इस मन्त्रालय से मंजूरी नहीं लेनी होती ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये बहुमंजली इमारत

†**१२४५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बन्धित बहुत सी संस्थाओं के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये एक बहुमंजली इमारत बनाना भारत ने मान लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस विश्व संस्था के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के भाव से क्या सरकार ने इस इमारत पर होने वाले अनुमानित ५० लाख के व्यय को भी वहन करना स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या इस इमारत के लिये स्थान की व्यवस्था कर ली गई है; और

(घ) यह कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार खर्चा वहन करेगी, परन्तु यह कितना होगा इस दिशा में न अभी कोई अनुमान ही लगाया है और न योजना ही बनी है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) समय बताना तो सम्भव नहीं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता की सूची

†**१२४६. श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पदोन्नति अथवा छटनी करने के उद्देश्य से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की क्षेत्रीय वरिष्ठता की सूचियां और अखिल भारतीय वरिष्ठता सूचियां तैयार हो गई हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जी नहीं, इस कार्य को अन्तिम रूप देने में कुछ समय और लगेगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौकीदार

†**१२४७. श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्योगिकी निदेशालय में स्थायी चौकीदारों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या उन्हें वर्दी भी दी जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें वर्दी देने के मामले पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) ५९ ।

(ख) ३ चौकीदारों को, जो मूलतः स्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे, पहले ही वर्दियां दे दी गई थीं। बाकी के ५६ चौकीदारों को जिन्हें हाल ही में कर्मभारित स्थापना से नियमित स्थापना में ले लिया गया था, वर्दियां नहीं दी गयीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खाने वाले तेल

†१२४८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में खाने वाले तेल के उत्पादन की दिशा में सरकार ने क्या पग उठाये हैं; और

(ख) इस दिशा में कुल उत्पादन कितना है और क्या यह आने वाले वर्षों में हमारी आवश्यकताओं के लिये काफी होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारत खाने वाले तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इस उद्योग की देश में फालतू क्षमता भी है। इस कारण और कुछ गांवों के घानी उद्योग के हितों की रक्षा को दृष्टि में रखते हुये सरकार की वर्तमान नीति यही है कि नई तेल की मिलें न बनायी जायें।

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० में इस प्रकार के तेलों का कुल उत्पादन क्रमशः १,७०१,००० टन और १,५५५,००० टन है। इसका उत्पादन देश में प्रति वर्ष होने वाले तिलहन के उत्पादन पर निर्भर करता है।

सरोजिनी नगर मार्केट, नयी दिल्ली, में अनधिकृत मकान

†१२४९. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली सरोजनी नगर मार्केट में, जो कि सरकारी कर्मचारियों की रिहायशी बस्ती है, कई दुकानदारों ने अपनी दूकानों के आस पास और ऊपर पक्के मकान बना लिये हैं, जिससे न केवल मार्केट की वास्तुकला सुन्दरता ही नष्ट हुई है परन्तु आस पास गन्दगी पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन अनधिकृत मकानों को गिराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या ऐसा करने वालों को सजा दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). यह ठीक है कि कुछ दूकानदारों ने सरोजनी मार्केट में अनधिकृत मकान बना लिये हैं। यह लोग अलाटी हैं और उन्हें इसके लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुमति प्राप्त करने को कहा गया है यदि वे ऐसा न कर सके तो अलाटमेंट रद्द की जा सकती है, चाहे मकान न भी गिराये जायें।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नयी दिल्ली

†१२५०. **श्री डामर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रीगल बिल्डिग में स्थित नई दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन में इस समय काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है।

(ख) महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कर्मचारियों को भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है ;

(घ) मैट्रिक पास लोगों की संख्या क्या है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों मे संस्था के अधिकारी ने जो कि इंचार्ज है सीधे कितने लोगों को भर्ती किया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) २१३।

(ख) १२।

(ग) समय-समय पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। यह भर्ती विज्ञापनों द्वारा अथवा काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा की गई सिफारिश सहित आये आवेदन पत्रों के आधार पर की जाती है। यह चुनाव एक समिति करती है जिसमें भवन के तीन वरिष्ट अधिकारी तथा मैनेजर हैं। कुछ स्थान इसके अतिरिक्त हैं जिन्हें छैः मास का स्थानीय व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के बाद भरा जाना है। उसके लिये यह आवश्यक है कि आवेदक भवन के बिक्री करने के ६ मास के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुआ हो।

(घ) ९२।

(ङ) कोई नहीं।

महाराष्ट्र में लघु उद्योग

†१२५१. श्री कुन्हन् : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लघु उद्योगों ने अप्रैल, १९६१ से जून, १९६१ तक रिजर्व बैंक ऋण प्रत्याभूति योजना १९६०-६१ के अन्तर्गत कुछ अग्रिम राशि की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये आवेदन करने वाले उद्योगों का नाम क्या है ; और

(ग) जिनको अग्रिम राशि दी गयी है, उनके नाम क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आवेदन करने वालों के नामों संबंधी जानकारी गोपनीय है।

सीमेंट संयंत्र

†१२५२. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमेंट संयंत्रों का प्रसार करने और नये संयंत्रों को लगाने के बंध में सरकार ने जो लाइसेंस दिये हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो १९६०-६१ में दिये गये लाइसेंसों की संख्या कितनी है, और जिनका प्रयोग नहीं हुआ उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार सीमेंट का वितरण अपने हाथ में लेकर इसे राज्य व्यापार निगम को सौंप देना चाहती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) उन सारी योजनाओं का पुनरीक्षण किया गया था जिनको कि लाइसेंस दिये गये थे, जिनके बारे में यह लगा कि यह योजना पूरी नहीं हो सकेगी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जहां पर पूर्ण होने की आशा थी वहां उसकी अवधि बढ़ा दी गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६०-६१ के वर्ष में १० लाइसेंस दिये गये और इनके अन्तर्गत चलने वाली योजनाओं का कार्य १९६२-६३ में पूर्ण हो जायेगा।

(ग) सीमेंट नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत १९५६ में भारत के राज्य व्यापार निगम को सीमेंट वितरण का अभिकर्त्ता मान उसे इसके वितरण का काम सौपा हुआ है।

नेपा मिल्ज

†१२५३. { श्री अमजद अली :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश की नेपा मिल के समस्त प्रयत्नों के बावजूद उसका उत्पादन दो गुणा नहीं हो सका ;

(ख) इस असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस लक्ष्य के लिये भारत सरकार नेपा मिल की क्या सहायता कर रही है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). जी नहीं, नेपा मिल के वार्षिक उत्पादन को ३०,००० टन से ६०,००० टन करने पर विचार करने की प्रस्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है। इस परियोजना को विस्तार से चलाने संबंधी जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसकी रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है।

मास्को में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

†१२५४. { श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन् :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ में मास्को में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय फिल्में दिखाई गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो वहां दिखाई गयी भारतीय फिल्मों की सूची क्या है ; और

(ग) जापानी और रूसी फिल्में क्रमशः 'आईलैंड' और 'क्लीयर स्काइज' को दिखाने के लिये क्या किया गया है जिन्हें कि मेले में इनाम दिया गया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां।

(ख) रूपक चल चित्र 'चौदहवीं का चांद" (हिन्दी) प्रलेख चलचित्र 'हिमाचल' (पुनरीक्षित)।

(ग) विदेशों में होने वाले फिल्म समारोह में जिन फिल्मों को इनाम मिलता है उन्हें दिखाने की व्यवस्था सरकार नहीं करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय योजना काल में व्यपगत हुई राशि

†१२५५. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :**
श्री ओंकार लाल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को अब पता चल गया है कि द्वितीय योजना काल में कितनी राशि विभिन्न राज्यों में व्यपगत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्योरा क्या है और इसके व्यपगत होने के विभिन्न राज्यों ने क्या नाम कारण बताये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नमक के उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र

†१२५७. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नमक के उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला कब से लम्बित है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि नमक बनाने के लाइसेंस पश्चिम बंगाल में बड़ी सरलता से दे दिये जाते हैं ;

(घ) यदि हा, तो १९५० से प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले लाइसेंसों की संख्या क्या है ; और

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल में नमक बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्र की स्थापना करने संबंधी निर्णय जुलाई, १९५९ में किया गया था । राज्य सरकार को स्थान मिलते ही इस योजना को कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

(ग) सरकार की नीति पश्चिमी बंगाल के उन क्षेत्रों में नमक के निर्माण को प्रोत्साहन देने की है जहां नमक का उत्पादन कम है ।

(घ) १९५७ में ५ और १९६० में १ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । १९५९ में दो लाइसेंस मंजूर किये गये ।

(ङ) राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है कि क्या सरकारी क्षेत्र में कन्टाई क्षेत्र में नमक का कारखाना खोला जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश के लिये सीमेंट

†१२५८. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने केन्द्र से राज्य सरकार का सीमेंट का कोटा बढ़ाने का निवेदन किया है ;

(ख) आंध्र प्रदेश का वर्तमान कोटा क्या है;

(ग) नया पुनरीक्षित कोटा क्या कर देने का सुझाव है; और

(घ) क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गयी है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) जुलाई से सितम्बर तक के तीन मास के लिए ६६,६०० टन का कोटा दिया गया है ।

(ग) उनको मांग इस कोटे को १२०,००० टन कर देने की है ।

(घ) इस दिशा में विभिन्न राज्यों की मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है । इसके कारण ७ अगस्त, १९६१ को प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में बता दिये गये हैं । फिर भी ६००० टन का और अतिरिक्त कोटा जुलाई–सितम्बर की तिमाही के लिए स्वीकृत किया गया है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

गोआ राष्ट्रीय नेता को यंत्रणा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री हेम बरुआ तथा श्री ब्रजराज सिंह द्वारा दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, इसका विषय एक ही है अर्थात् पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा दी गई यन्त्रणा के फलस्वरूप गोआ के एक राष्ट्रीय नेता श्री यूसबिओ बीगास की कथित मृत्यु । इसमें सरकार क्या कर सकती है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : गोआ में पुर्तगालियों ने भारी आतंक फैला रखा है । जिन लोगों का इस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के आन्दोलन से सम्बन्ध है उन्हें भयंकर यातनायें दी जाती हैं बड़े बड़े महानुभाव कलाकार और कवियों को गिरफ्तार करके पुर्तगाल में लम्बी लम्बी जेल में डाल दिया जाता है । अमानुषिक अत्याचार किये जाते हैं । श्री यूसबिओ बीगास से कुछ सूचना और जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें जलते हुए कोयले पर बैठाया गया । इसे देखते हुए उपमंत्री श्रीमती वायलट आल्वा को भी कहना पड़ा कि इस दिशा में भारत सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा । भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है । इस यंत्रणा के कारण तो सरकार की सेनाओं को गोआ में प्रवेश करना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जिस दुःखद घटना का उल्लेख कर रहे है उसे माननीय प्रधान मंत्री कैसे रोक सकते थे ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): श्रीमती आल्वा ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में जाने के अतिरिक्त भी इस प्रकार की पुर्तगाली यंत्रणा को रोकने के लिए अन्य साधन भी प्रयोग में लाने

---

†मूल अंग्रेजी में

पर विचार करना होगा। हम इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। अभी हाल ही प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि शीघ्र ही गोआ भी हमारे भारत का अंग बन जायेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस समय तो हम गोआ के विषय पर चर्चा नहीं कर रहे। जिस महानुभाव की मृत्यु हुई उसके बारे में अफवाहें फैल रही है। हम बम्बई से उन लोगों से पूरी जानकारी प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। श्रीमती आल्वा जब बेलगाम गई थीं तो उन्होंने इस के बारे में कुछ सुना था। वह सारे मामले के बारे में निश्चित नहीं थीं और उन्हें सारे तथ्य प्राप्त नहीं हुए थे। सरकार इस घटना के तथा और पुर्तगालियों द्वारा की जा रही सख्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेगी और यदि हमारी गोआ सम्बन्धी नीति में परिवर्तन आवश्यक तथा उचित प्रतीत हुआ तो वह कर दिया जायेगा।

मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड): मुझे स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी। मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य मास्टर तारा सिंह के अनशन पर चर्चा करने का नहीं वरन् सरकार द्वारा भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन न करने के विनिश्चय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई व्यक्ति चाहे वह कितना बड़ा अथवा महान हो वह संसद् द्वारा किये गये निर्णयों अनशन इत्यादि के साधनों द्वारा बदलने का यत्न करता है तो कम से कम संसद् के सदस्यों को उसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यह संसद् देश भर के लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनी है। बहुमत के समर्थन से जो कुछ कोई चाहे यहां पारित हो सकता है। संवैधानिक ढंगों को न अपनाते हुए यह कह कर कि मास्टर तारा सिंह अनशन कर रहे हैं अतः संसद् को स्थगित कर दिया जाय, यह गलत बात है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता केन्द्रीय): स्थिति शोचनीय है अतः शुद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण को न अपनाते हुए, संसद् की प्रभुसत्ता के प्रतिनिधि के रूप में ही आपसे स्थिति पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि सदन इस पर थोड़े समय की चर्चा कर ले ताकि स्थिति को हानिकारक परिणामों से बचाया जाय।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मेरा निवेदन है कि जिस बात में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकार का कोई सम्बन्ध न हो और न सरकार की किसी नीति के परिणामस्वरूप ही कोई बात हुई तो सिद्धान्ततः उस पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो। यह मेरा औचित्य प्रश्न है। स्थगन प्रस्ताव वास्तव में सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने लिए होता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : यह भी तो संसद् द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन के कानून के कारण ही तो है। कम से कम इस पर वक्तव्य तो दिया जाय।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर): मैं अपने साथी श्री गोपालन से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर जोर नहीं देना चाहिए। यह मामला एक गम्भीर मामला है और हम सबको मिल कर इस पर विचार करना चाहिए। और प्रयत्न करना चाहिए कि इसका कुछ हल निकल आये। इस स्थिति में हमारी बिलकुल यह इच्छा नहीं कि सरकार की निन्दा की जाय अपितु हम यह चाहते हैं कि इस समस्या का कोई हल निकालने का प्रयत्न सबको मिल कर करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : मुझे श्री अशोक मेहता का सुझाव स्वीकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्राय: स्थगन प्रस्तावों तथा अविलम्बनीय लोक महत्व की बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इस विषय पर भी सरकार से चर्चा करके समय अलाट किया जा सकता है और इस चर्चा हो सकती है परन्तु इस दशा में स्थगन प्रस्ताव उचित ढंग नहीं है। इस विषय को अन्य तरीके से उठाया जा सकता है और तब मैं इस बात पर विचार कर सकता हूं कि लोक हित में इस पर चर्चा होने दी जाय अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में नियम तो बड़े स्पष्ट हैं। यदि १५, २५ माननीय सदस्य किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं प्राय: अनुमति दे देता हूं। परन्तु कुछ मामले ऐसे होते हैं जब कि दोनों ओर की बातें सुन कर ही अनुमति दी जा सकती है। अनुमति देने के बाद उसे स्वीकार करना सदन का काम है। कई बातों के बारे में मैं निश्चित हूं कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी सदस्य को अपने स्थान पर खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि वे मेरे निश्चय में तबदीली लाना चाहते हैं तो उन्हें मुझे लिखना चाहिए अथवा मुझे मिल लेना चाहिए। यदि उसे बदलने का मेरा मत हो जाय तो अगले दिन इसे लिया जा सकता है। मुझे खेद है कि इस नियम का पालन नहीं किया जाता हालांकि इस दिशा में नियम बड़ा स्पष्ट था। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य सदन की गरिमा को कायम रखेंगे। मैं इस बात का पूरा प्रयत्न करूंगा कि हर एक को उचित बातों को सदन के समक्ष रखने की अनुमति दी जाय और उस पर खुल कर चर्चा हो जाय। अब इस समय इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : नियम १९७ के अन्तर्गत इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन द्वारा कच्चे पटसन की कमी के कारण सामूहिक रूप में मिलें बन्द किये जाने की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं सम्बद्ध स्थिति पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३०९६/६१]।**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के वर्ष १९६१ का वार्षिक प्रतिवेदन

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक की वर्ष १९६१ के वार्षिक प्रतिवेदन भाग (१) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०९७/६१]।

समवाय अधिनियम तथा रबड़ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री कानूनगो** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(i) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की दसवीं अनुसूची में कुछ और परिवर्तन करने वाली दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१३ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०९८/६१]।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ii) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१४ में प्रकाशित कम्पनीज़ (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति :—

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०९९/६१]।

(iii) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२४२ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, १९६१।

(ख) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२४३ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (भर्ती) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३१००/६१]।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

†श्रम, रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य का वर्ष १९५९-६० का प्रतिवेदन।

(दो) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य का वर्ष १९६०-६१ का प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१०१/६१]।

गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : गोरेश्वर के दंगों सम्बन्धी प्रतिवेदन को भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिये था।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह मामला राज्य सरकार का है अतः बिना मांग के इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना बहुत उचित मालूम नहीं हुआ। यदि मांग है तो इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या यदि मुझे लिख देतीं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता कि यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाये।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति का प्रतिवेदन

छियास्सीवां प्रतिवेदन

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियास्सीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय--भूमि और छावनियों सम्बन्धी छियालीसवां प्रतिवेदन (प्रथम लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

असम नगरपालिका मनीपुर संशोधन विधेयक, १९६१

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में लागू असम नगरपालिका अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में लागू असम नगरपालिका अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री करमरकर** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये ।"

लगभग हर सत्र में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं । सामान्यतया इस चर्चा को दो भागों में बांटा जा सकता है एक तो यह कि आज संसार किन बुराइयों से पीड़ित है, दूसरे यह कि विदेशों से सम्बन्धित हमारी कौन-कौन सी समस्यायें हैं ।

हमारी अपनी समस्याओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही है, लेकिन संसार की बड़ी-बड़ी समस्याओं का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ।

अभी इस समय संसार के सामने बड़ी गम्भीर परिस्थिति है । पिछले कई वर्षों से निःस्त्रीकरण की वार्ता चल रही है, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि शस्त्र बनाने की होड़ और बड़े पैमाने पर शुरू हो गई और अन्तर्राष्ट्रीय टकराव की सूरत पैदा हो गई है ।

अभी इस समय फौजी समस्या पश्चिम और पूर्वी जर्मनी की है । सारा झगड़ा बर्लिन के पश्चिम और पूर्वी भाग को लेकर है । १९४२ से १९४८ तक उसके बारे में कई करार हुए हैं । मैं उनके ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता । उनका निर्णय संबंधित पक्षों को ही करना चाहिये । इससे संसार की शान्ति को खतरा पैदा हो गया है । उसमें हस्तक्षेप करना या राय देना शान्ति के हित में नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर भी इधर कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनायें हुई हैं जिनके फलस्वरूप तनाव बहुत बढ़ गया है। यह बताना कठिन है कि बर्लिन के एक भाग से दूसरे भाग में लोगों का आवागमन रोकने के वैधानिक परिणाम क्या निकलेंगे। जो भी हों, पर चाहे-अनचाहे सबसे पहला तथ्य तो यह है कि आज जर्मनी के दो भाग हैं। इसे मान कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिये सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि दोनों राज्य एक दूसरे के नजदीक आयें। लेकिन समझ में नहीं आता कि वे नजदीक कैसे आयेंगे। तरीके दो ही हैं——युद्ध या शान्ति के लिये करार। दोनों में कोई करार तभी हो सकता है जब मौजूदा तनाव कम हो। तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वे दोनों राज्य अपने-आप में अकेले भी नहीं हैं। पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य है, तो पूर्वी जर्मनी वारसा मैत्री का। दोनों के पीछे संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियां हैं।

इसमें सब से पहली समस्या——जिसका हल किया जाना चाहिये यह है कि पश्चिमी बर्लिन का पश्चिमी जर्मनी के साथ क्या सम्बन्ध रहे और पश्चिमी जर्मनी के लोगों को बर्लिन के पश्चिमी भाग में जाने-आने के लिये पूरी-पूरी सुविधायें दी जायें। श्री ख्रुश्चेव तक ने स्वीकार किया है कि पश्चिमी जर्मनी और उसके समर्थक देश यही चाहते हैं। सभी मानते हैं कि दोनों में तनाव बढ़ने का एक बड़ा कारण यही है। पश्चिमी जर्मनी को सबसे बड़ा भय यही है कि पश्चिमी बर्लिन के साथ उसका सम्पर्क कहीं खत्म न कर दिया जाये। इस भय से फिर और भी अनेक भय पैदा होते हैं संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियों को इसके बारे में कोई सुझाव देना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। फिर भी परिस्थिति इतनी खतरनाक है कि कुछ कहे बिना नहीं रहा जा सकता। हालत यह तो है कि पश्चिमी और पूर्वी जर्मन सरकारें एक दूसरी को मान्यता ही नहीं देतीं। हालांकि पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मन को हजारों मजदूर रोज आते जाते हैं। अभी तक यही चलता रहा, पता नहीं अब पिछले दो दिनों में शायद वह बन्द हो गया हो। इसलिये कि दोनों के बीच की सीमा बन्द कर दी गई है। लेकिन मुझे पता लगा है कि अभी भी काफी बड़े पैमाने पर आवागमन होता है। मेरे एक मित्र के पुत्र ने अभी मुझे पूर्वी जर्मनी से फोन करके यही बताया है। वह पश्चिमी जर्मनी में रहता है और फोन करने ही पूर्वी जर्मनी में आया था, क्योंकि वहां दिल्ली के लिये टेलीफोन की दर सस्ती पड़ती है। इस प्रकार दोनों राज्यों में व्यापारिक और वाणिज्यिक सम्पर्क अभी खत्म नहीं हुआ है।

हमारा उद्देश्य है कि जर्मनी के दोनों भागों की सरकारें एक दूसरे के निकट आयें और एक हों। मैं तो यही समझता था कि इन सम्पर्कों को कम करने के स्थान पर और अधिक बढ़ाने से दोनों में एकता पैदा करने का आधार बनाया जा सकता है। लेकिन असल कठिनाई तो उन दोनों के पीछे खड़े दो गुटों की है, जो दोनों को एक-दूसरे के निकट नहीं आने देते। इतना सम्पर्क होने पर भी उनके बीच का तनाव कम नहीं होने दिया जाता। इसलिये लाजिमी नतीजा यही हो सकता है कि दोनों के बीच तनाव बना रहे, या फिर वह युद्ध में भड़क पड़े। लेकिन मेरा ख्याल है युद्ध से सभी बचना चाहते हैं।

एक ओर तो पाश्चात्य देशों को पूर्वी जर्मनी में बैठे सोवियत संघ की शक्ति का भय है और दूसरी ओर सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी और अन्य कई देशों को भय है कि कहीं जर्मन सैन्यवाद फिर से सिर न उठा ले। यह भय बिल्कुल निराधार नहीं है। इतिहास देख चुका है कि जर्मनी दो विश्व-युद्ध छेड़ चुका है। इसलिये भय दोनों पक्षों को है। और, भय के वातावरण मे [illegible] किसी भी समस्या को सुलझा नहीं सकते।

अब भय कम करने का एक ही मार्ग है कि निःशस्त्रीकरण किया जाये। उससे भय काफी कम किया जा सकता है। इसीलिये हम निःशस्त्रीकरण को इतना महत्व देते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लेकिन आज निःशस्त्रीकरण भी एक बहुत दूर की चीज मालूम पड़ने लगी है। इसलिये कि घटनायें बिल्कुल दूसरे ही किस्म की हो रही हैं। सौभाग्य यही है कि आण्विक परीक्षणों पर अभी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। निःशस्त्रीकरण के बारे में समझौता होने जा रहा था, लेकिन कुछ घटनायें ऐसी हुई कि सारा रुख ही बदल गया। मैं तो सोचता था कि हर देश को, सभी बड़ी-बड़ी शक्तियों को भी, घोषित कर देना चाहिये कि वे आण्विक अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से उनका प्रयोग हो, तो ? मैं मानता हूं कि ऐसा खतरा तो है, लेकिन बहुत कम।

अभी इस समय संसार भर में केवल तीन देशों के पास आण्विक अस्त्र मौजूद हैं, या कहिये कि केवल तीन ही देश उनका पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं—सोवियत संघ, अमरीका और इंगलैंड-अब फ्रांस भी इनमें शामिल हो गया है। लेकिन जाहिर है कि कुछ अर्से बाद, और भी देश आण्विक अस्त्र बनाने लगेंगे। इसलिये अगर उन पर अभी कोई रोक नहीं लगाई जाती, तो फिर बाद में कोई रोक लगाना असंभव हो जायेगा। आज तो तीन चार देशों में कोई समझौता हो भी सकता है, लेकिन बाद में इतने सारे देशों के बीच करार होना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये सामान्य निःशस्त्रीकरण के बारे में अभी इसी वक्त समझौता हो जाना चाहिये।

दूसरा बड़े महत्व का प्रश्न लाओस का है। लाओस की परिस्थिति कुछ सुधरी तो है, लेकिन बहुत थोड़ी। सुधार की गति बड़ी मन्द है। ये थोड़ा सा सुधार भी इसलिये हुआ है कि लाओस के तीनों राजकुमारों में आपस में कोई समझौता हो गया है। वे तीनों राजकुमार लाओस में मौजूद तीन एम्पानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जूरिच में तीनों ने एक समझौता किया, पर लाओस पहुंच कर वे उस पर अमल करने में हीले हवाले करने लगे। इसलिये उस पर पूरा-पूरा अमल नहीं हो सकता। फिर भी लाओस में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के प्रश्न पर वार्ता चल रही है। उधर जिनेवा में भी इस पर चर्चा चल रही है। सभी मानते हैं कि लाओस को एक तटस्थ राज्य बनाना चाहिये। उसे किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिये और वहां से सभी विदेशी सेनाओं को हट जाना चाहिये। लेकिन इसे किया कैसे जाये ? जिनेवा में इसी पर बहस चल रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के संबंध में दो विरोधी मत हैं। एक मत है कि उसे इतना शक्तिशाली बनाया जाये कि वह जब और जैसे भी चाहे काम कर सके। दूसरा मत है कि उसकी शक्तियां इतनी कम कर दी जायें कि वह कोई काम ही न कर सके। हमारा अपना मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग लाओस में काफी उपयोगी काम कर सकता है।

लेकिन तभी जब उसे लाओस की जनता और सरकार से सद्भावना मिले। वह लाओस सरकार का स्थान तो नहीं ले सकता, और न उसके ऊपर काम कर सकता है। इसलिये कि उस से लाओस सरकार की अपनी प्रभुता घटेगी और जाहिर है कि दोनों के संबंध बिगड़ने लगेंगे। हां, इतना जरूर है कि आयोग की सभी आरोपों की छानबीन करने की पूरी आजादी रहनी चाहिये, क्योंकि लाओस समेत १४ राष्ट्रों ने उसे यह अधिकार दिया था। यदि सद्भावना बनी रही, तो इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं पड़ेगी।

गत दो-तीन वर्षों से अफ्रीका सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कांगो ने बड़ी महत्वपूर्ण और पेचीदा समस्यायें संसार के सामने रखी हैं। अभी भी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कांगो में होगा क्या ? जो भी हो, इतना अवश्य है कि इधर कांगो की परिस्थिति कुछ सुधरी है। लगता है कि लियोपोल्डविल सरकार और श्री गिजेन्गा की स्टानलीविल सरकार में एक तरह का कोई

समझौता हो गया है। कटंगा के श्री शोम्बे अभी अलग खड़े हैं। आशा है कि संसद् के निर्णयों पर अमल किया जायेगा और कांगों की एकता बनी रहेगी।

अफ्रीका की दूसरी समस्या अलजीरिया की है। अभी तक वार्ता का कोई फल नहीं निकला है। आशा है कि वार्ता फिर से शुरू की जायेगी और अलजीरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी जायेगी। अलजीरिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि सहारा रेगिस्तान में तेल निकलता है। सामान्यतया सहारा अलजीरिया या शायद ट्यूनिस का ही हिस्सा माना जाना चाहिये। हमने इस पूरे दौरान में अलजीरिया का पूरा-पूरा समर्थन किया है।

अब प्रश्न है अलजीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता देने का। सभा के कई सदस्यों—दोनों ओर के कई सदस्यों की राय है कि हमें अलजीरियाई अस्थायी सरकार को मान्यता देनी चाहिये। हो सकता है कि हम कानूनी बारीकियों में जरूरत से जयादा पड़गये हों, इसलिये कि युद्ध काल के अतिरिक्त और किसी भी समय में सामान्यतया किसी ऐसी सरकार को मांन्यता नहीं दी जाती जो उस देश पर शासन न करती हो। इसीलिये हम अलजीरियाई सरकार को मान्यता देने में कुछ हिचकते रहे, हालांकि हमने अलजीरिया के स्वाधीनता संघर्ष का सदा ही पूरा-पूरा समर्थन किया है। हालांकि हमने वैधानिक तौर पर औपचारिक ढंग से उसे मान्यता नहीं दी, पर यथार्य में तो मान्यता थी ही। अलजीरियाई अस्थायी सरकार के मंत्रियों से हमारी मुलाकात हो चुकी है। मैं दस-पंद्रह दिनों में तटस्थ देशों के एक सम्मेलन में बेलग्रेड जा रहा हूं। अलजीरियाई अस्थायी सरकार के प्रतिनिधि भी वहां आयेंगे। विधि के अनुसार मान्यता न देने के पीछे कोई बड़ा सिद्धान्त नहीं है। हमने सोचा यह था कि यदि हम विधि अनुसार मान्यता न दें, तो शायद अलजीरियाई समस्या को हल करने में अधिक कारगर ढंग से हाथ बटा सकेंगे। पर यदि वह न हो, तो हम जब चाहें उसे मान्यता देने के प्रश्न पुर्नविचार कर सकते हैं।

आज जितनी भी अफ्रीकी समस्यायें हैं, उन में सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या अंगोला की है। हमारी सूचना यह है कि अंगोला के उस पुर्तगाली राज्य क्षेत्र में बड़ा वीभत्स कांड हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से पुर्तगाल के साथ हमारे सम्बन्ध कोई बड़े अच्छे नहीं रहे, लेकिन अंगोला में तो इतना वीभत्स-कांड हुआ है कि जो भी उसे सुनता है गुस्से से भर जाता है। पुर्तगाली शासकों ने वहां कत्ले आम मचा रखा है। फिर भी अंगोला की जनता ने थोड़ी बहुत सफलता के साथ उस से लोहा लिया है। उनका दमन करना इतना आसान नहीं है। कुछ और भी पुर्तगाली उपनिवेश वहीं पास में हैं। वे भी विद्रोह में शामिल हो सकते हैं।

इन पुर्तगाली उपनिवेशों—जिन में गोवा भी शामिल है—की समस्या का एक पहलू यह है कि पुर्तगाल को कभी-कभी नाटो गुट के देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से और कभी प्रत्यक्ष रूप से भी सहायता दी है। इस से पुर्तगाल को शह मिली है। लेकिन इस बीच पुर्तगाल का रवैया इतना खराब हो गया है कि अब वे भी सहायता करने में कुछ हिचकने लगे हैं। इस प्रश्न पर अमरीका तक ने राष्ट्रसंघ में पुर्तगाल के विरुद्ध वोट दिया है। नाटो गुट के एक दूसरे देश—नारवे— ने घोषणा कर दी है कि वह पुर्तगाल की किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं करेगा। सचाई यह है कि बड़े-बड़े देशों ने ही पुर्तगाल को हथियार दिये हैं, वही जिनका प्रयोग अंगोला की जनता के विरुद्ध किया जा रहा है। पर अस्त्र-शस्त्र के अतिरिक्त, पुर्तगाल को नाटो के सदस्य होने का भी बड़ा बल है। कहा जाता है कि वह नाटो के सब से पुराने सदस्यों में से है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि पुराना सदस्य सफेद-स्याह जो भी करे उसे नाटो के देश बढ़ावा ही देते रहेंगे। हमें बड़ा दुःख होता है यह देख कर कि पिछले कुछ महीनों में ब्रिटिश सरकार ने पुर्तगाल के साथ तरह-तरह से सहानुभूति दिखाई है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और अभी जब उन्होंने पुर्तगाल की हरकतों के बारे में थोड़ी सी नापसंदगी बताई, तो भी उनके प्रगाढ़ सम्बन्ध बने हुए हैं। परन्तु मैं किसी भी गुट के पक्ष में नहीं हूं—चाहे वह 'नाटो' हो, या वारसा पैक्ट, या 'सेन्टो'। 'नाटो' के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि उसकी अच्छाइयां जो भी हों, पर पुर्तगाल भी उसका सदस्य है इस तथ्य ने हर देश की जनता की आंखों में उसकी इज्जत कम कर दी है। और अगर 'नाटो' के सदस्य ऐसी ही स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कटिबद्ध हैं, तो भगवान बचाये उस स्वतंत्रता से।

अंगोला की समस्या 'नाटो' देशों की समस्या नहीं है, सारे संसार की समस्या है। निश्चित है कि पुर्तगाल को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पुर्तगाल के समर्थक देशों की प्रतिष्ठा भी अछूती नहीं बचेगी।

विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने केन्या और रोडेशिया वगैरह के बारे में कुछ कहा है। केन्या और रोडेशिया की ओर ध्यान देना चाहिये। लेकिन केन्या और रोडेसिया की अंगोला के साथ तुलना नहीं की जा सकती। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि केन्या में अब नौ वर्ष के बन्दी जीवन के बाद केन्याता को रिहा कर दिया गया है। आशा है कि उनकी रिहाई से केन्या की लोकप्रिय शक्तियों की एकता बढ़ेगी और केन्या स्वाधीन होगा। रोडेसिया में—केन्द्रीय अफ्रीकी संघ—में परिस्थिति बड़ी असंतोषजनक है। रोडेसिया के राष्ट्रीय आन्दोलन ने इंगलैण्ड सरकार के प्रस्तावों को नहीं माना है। दक्षिण अफ्रीकी संघ का दक्षिण रोडेसिया पर काफी प्रभाव पड़ता है और उत्तर रोडेसिया एक दूसरी दिशा में जा रहा है। इतना स्पष्ट है कि यह संघ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अफ्रीकी जनता उसके विरुद्ध है और आप जनता पर कोई भी चीज़ ज्यादा दिनों तक थोप कर नहीं रख सकते।

अब मैं उन विषयों को लेता हूं जिनका हम से घनिष्ट सम्बन्ध है, जैसे पाकिस्तान के प्रैसिडेंट द्वारा दिये गये वक्तव्य। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मुझे उनके वक्तव्यों पर आश्चर्य और दुःख हुआ है। उन समस्त वक्तव्यों की पृष्ठ भूमि, उनके कहने का तरीका तथा जिस प्रकार उन्होंने विदेशों में भारत को अपने आरोपों का लक्ष्य बनाया मुझे बहुत विचित्र और अवांछनीय लगा। राज्याध्यक्षों द्वारा सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता है। इससे ऐसी मनःस्थिति प्रगट होती है जो कि शोचनीय है। यह स्थिति भारत के प्रति घृणा, भारत की प्रगति के प्रति विद्वेष, तथा पाकिस्तान के बारे में क्रियात्मक रूप से न सोच कर भारत के बारे में निष्क्रियतापूर्वक सोचने की है। मैं पहिले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान में काश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है,—प्रेसिडेंट अयूब ने कहा है कि यदि काश्मीर के प्रश्न का निपटारा उनकी इच्छानुसार हो जाये तो उन्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी—तथापि मुझे पूरा विश्वास है कि वे काश्मीर की चिन्ता नहीं करते हैं—मैं जानता हूं कि काश्मीर का क्या होगा तथापि यह दूसरी बात है—वस्तुतः भारत और पाकिस्तान का प्रश्न काश्मीर पर निर्भर नहीं है, इसकी जड़े बहुत गहरी हैं और ये बड़े पाकिस्तान के अधिकारियों के दिमाग में हैं। यदि काश्मीर के प्रश्न को आज क्षेत्र से हटा भी दिया जाये तो भी वहां के अधिकारी—मेरे विचार से जनता का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है—भारत की निंदा करेंगे क्योंकि उनकी सारी नीति ही भारत विरोधी और भारत के प्रति द्वेष और घृणा पर आधारित है। यह उनकी बुनियादी नीति है इसका सामना करना बहुत कठिन है। हमारी नीतियों की उनकी नीतियों से तुलना हो सकती है। हम सर्वदा पाकिस्तान की निन्दा करने में नहीं रहते हैं। हम सदैव पाकिस्तान को अभिशाप नहीं देते रहते हैं। हम पाकिस्तान, वहां की जनता से मैत्री और वहां की प्रगति चाहते हैं। हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते हैं जब कि पास्कितान में मुख्यतः

भारत पर ही चर्चा होती रहती है। वस्तुतः यह एक ग्रन्थि है। अपनी प्रगति पर ध्यान देने के स्थान में वे यह सोचते हैं कि उनकी प्रगति भारत को बदनाम करने में ही है। इस प्रकार की मनःस्थिति से पार पाना बहुत कठिन है।

यदि इसका विश्लेषण किया जाये तो यह ज्ञात होगा कि पाकिस्तान का जन्म किसी क्रियात्मक आधार पर नहीं हुआ है। इसका जन्म ही भारत विरोधी भावना पर हुआ है। पाकिस्तान की बहादुर जनता जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा भिड़ा कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन्होंने अकस्मात ही ऐसे व्यक्तियों को शासक के रूप में देखा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया था। अंग्रेजी राज्य के समर्थक पाकिस्तान के शासन बन गये। वे लोग अधिकांश पूंजीवादी वर्ग के थे। इस प्रकार पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, और भारत में जो कुछ हुआ, उसमें बहुत अन्तर है, यद्यपि दोनों की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम में थीं। स्वतंत्रता संग्राम में भारत और पाकिस्तान की जनता एक साथ थी। तथापि हमारे दुर्भाग्य से भारत के कुछ भागों में धार्मिक और सांप्रदायिक भावना फैल गयी निसंदेह इसमें अंशतः हमारी भी गलती थी। मैं इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के लोगों को ही दोष नहीं देता हूं क्योंकि भारत में भी संप्रदायिता फैल गयी और उसकी प्रतिक्रिया हुई। अन्ततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और यह पाकिस्तान की जनता की एक प्रबल मनोवृत्ति बन गयी। वहां कोई क्रियात्मक दृष्टिकोण नहीं है। निसंदेह माननीय सदस्य भारत की नीति से सहमत या असहमत हो सकते हैं। तथापि सरकार बनाने के पूर्व ही हमारी एक नीति थी। आर्थिक विषयों, कृषि सम्बन्धी विषयों तथा भूमि सम्बन्धी विषयों में हमारी एक नीति थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात ही देश में हम ने इच्छानुसार परिवर्तन करने आरम्भ किये। पिछले बारह वर्ष का इतिहास उसी दिशा में प्रयत्न करने का इतिहास है। यह प्रयत्न अभी भी जारी हैं। वास्तविक नीतियों के सम्बन्ध में मतभेद होने पर भी हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाना चाहते थे और यह कार्य उत्तरोत्तर बड़े पैमाने पर चलता जा रहा है।

पाकिस्तान में इस प्रकार की पृष्ठभूमि न होकर, भारत के प्रति घृणा और भय की भावना थी। उन्हें भारत से भय नहीं करना चाहिये क्योंकि भारत की पृष्ठभूमि इसके विरुद्ध है और हमारा सारा ध्यान इस समय आर्थिक आयोजना और पंचवर्षीय योजना इत्यादि में लगा हुआ है। हम पाकिस्तान के सम्बन्ध में नहीं सोचते हैं अपितु इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे। हम यह भी चाहते हैं कि उनकी भी तरक्की हो। तथापि उनके हृदय में भारत के प्रति घृणा और भय की भावना भरी हुई है।

इस सम्बन्ध में काश्मीर का मसला आ जाता है, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि काश्मीर के सम्बन्ध में जैसा कि सभा जानती है वे अपराधी हैं, तथापि हमें इस बात पर अपराध के दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिए। तथापि कुछ स्पष्ट बातें हैं जिनके सम्बन्ध में संदेह नहीं किया जा सकता है। उनमें से एक यह है कि पाकिस्तान के निवासियों ने काश्मीर पर आक्रमण किया और वहां अत्याचार और व्यभिचार इत्यादि किया। यद्यपि वहां पूरी तरह शांति थी तथापि उन्होंने कहा कि हम वहां के स्वतंत्रता आन्दोलन की सहायता के लिये आ रहे हैं। निसंदेह महाराजा के समय में पूंछ में कुछ अशांति थी तथापि जहां तक काश्मीर की घाटी का सम्बन्ध है वहां पूर्णतः शान्ति थी। उन्होंने काश्मीर की घाटी में आकर न केवल हिन्दुओं के प्रति अपितु मुसलमानों के प्रति बहुत जुल्म किये काश्मीर में इसकी प्रतिक्रिया हुई।

तब से कुछ वर्षों बाद तक वहां इस प्रकार की वारदातें चलती रहीं, तत्पश्चात सुरक्षा परिषद् ने हस्तक्षेप किया इस प्रकार काश्मीर की स्थिति में एक प्रकार की अनिश्चितता रही जिससे कि कई वर्षों तक वहां कोई ठोस सुधार नहीं हो सके। वस्तुतः प्रारम्भ से ही काश्मीर की जनता वहां

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

संविधान सभा बनाने का विचार कर रही है, तथापि हमारी सहमति णने जहां की जनता ने इस विचार को क्रियान्वित नहीं किया। मैं काश्मीर में भारत का प्रवेश इत्यादि विधि सम्बन्धी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। काश्मीर का भारत में प्रवेश पूर्णतः वैध था। यह बात संयुक्त राष्ट्रीय आयोगों द्वारा भी स्वीकार कर ली गयी है। तथापि यह मामला लटका ही रहा अतः काश्मीर सरकार ने हमारे परामर्श से यह निश्चय किया कि इस प्रकार काश्मीर की प्रगति को रोक रखना उचित नहीं है। अतः उन्होंने अपनी संविधान सभा का निर्वाचन किया और उसने पहिला कार्य वहां क्रांतिकारी भूमि सुधारों का किया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यह विधान कई अन्य राज्यों के विधानों से अधिक प्रगतिशील है। अतः उसने रचनात्मक आधार पर कार्य करना आरम्भ किया तब से तो बहुत कार्य हो चुका है।

इसके बाद वहां दो चुनाव हो गये। उन्होंने अपना संविधान भी बना लिया। उनका तीसरा चुनाव हमारे सामान्य चुनावों के साथ ही हो रहा है।

मैं इस बात को पुनः दुहराना चाहता हूं कि काश्मीर के उस भाग की जनता जहां पाकिस्तानी बलपूर्वक कब्जा नहीं कर सके दो मर्तबा चुनावों में भाग ले चुकी है, तथा अन्य कार्यों में भी भाग ले चुकी है। इस में संदेह नहीं है कि काश्मीर ने सभी प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी पर्याप्त प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने आश्चर्यजनक उन्नति की है। विद्युत, छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों में भी काश्मीर ने पर्याप्त प्रगति की है। आपको काश्मीर के दोनों विभागों की तुलना करनी चाहिये एक तो वह काश्मीर जो कि तरक्की कर रहा है और दूसरे काश्मीर का वह भाग जोकि पाकिस्तान के कब्जे में है, जो एक दम निष्क्रय है। इतना अन्तर रहना वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब पाकिस्तान के लोग जनमत संग्रह इत्यादि की बातें करते हैं तो यह सुन कर आश्चर्य होता है कि वह देश जिसने अपने देश में चुनाव बन्द करवा दिये हैं वह दूसरे देश को चुनाव करवाने की राय दे रहा है।

मैंने सभा का समय इस इतिहास को बताने में इस कारण लिया कि पाकिस्तान की मनोवृत्ति सदैव इस प्रकार की रहीं है मेरे विचार से पाकिस्तान के लोगों की मनोवृत्ति इस प्रकार नहीं है यद्यपि धर्म के नाम पर इस प्रकार की भावनाओं को उत्तेजित करना सरल होता है, चाहे यह भारत में हो या पाकिस्तान में। कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान की जनता की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है तथापि वहां के अधिकारी की मनोवृत्ति इस प्रकार है। पाकिस्तान में अभी तक राष्ट्रीय भावना की जड़ें नहीं जमी हैं। भारत के प्रति घृणा के आधार पर राष्ट्रीय जड़ें नहीं जमाई जा सकती हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्रीयता की जड़ें पनपें पाकिस्तान प्रगति करे, तथा एक पड़ौसी देश की तरह हमारे साथ सहयोग करे। पाकिस्तान भारत का ही एक अंग है और उसके हमारे बीच में मानवीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सम्बन्ध हैं, तथापि पाकिस्तान के इस दृष्टिकोण के कारण यह सब निरर्थक सिद्ध हो रहा है।

नहरी पानी समझौते में हमने बहुत उदारता दिखायी है। यद्यपि इससे हमें भी लाभ हुआ है तथापि पाकिस्तान के प्रति उदारता दिखाने में हमें काफी भार वहन करना पड़ा है। यह समझौता करवाने में अन्य देशों को भी कार्य भार वहन करना पड़ा है इससे पाकिस्तान को बहुत लाभ हुआ है। इसके पश्चात ही सीमान्त समझौता हुआ तथापि इसके पश्चात ही वहां काश्मीर के सम्बन्ध में पुकार शुरू हो गयी।

अब पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल की कुछ नदियों के सम्बन्ध में भी आवाजें शुरू हो गयी हैं। सभा फरक्का बांध योजना से परिचित है इसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा कलकत्ता बदरगाह की

रक्षा करना है । यह अत्यावश्यक है और यदि हम इसे शीघ्र आरम्भ नहीं करेंगे, तो कलकत्ता बंदर निरुपयोगी हो जायेगा । अतः हम कुछ समय से इसके बारे में जांच कर रहे थे और वस्तुतः पाकिस्तान के कारण से ही हमने इस मसले पर शीघ्रता नहीं की । जब हमारी योजनायें तैयार हो गयीं तब हमने पाकिस्तान को इनके बारे में सूचना दी ।

इस वर्ष के आरम्भ में मैं राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन के सिलसिले में इंग्लैण्ड गया हुआ था तो प्रेसिडेंट अयूब खां ने मुझ से पूर्व नदियों के बारे में उल्लेख किया और कहा कि आप यहां कोई बांध बना रहे हैं हम भी ऐसी ही कोई चीज बनाना चाहते हैं अतः हमें यह इस प्रकार करना चाहिये कि इससे एक दूसरे को बाधा न हो अपितु इसके सम्बन्ध में मन्त्रियों के स्तर पर वार्ता हो जाये । मैंने कहा कि हम उनसे सहयोग करने को सदैव तत्पर हैं । तथापि मन्त्री स्तर पर कोई भी बैठक तभी सफल हो सकती है जब हम जानते हों कि मामले के तथ्य क्या हैं ? इसलिये भारतीय और पाकिस्तानी इंजीनियर इस सम्बन्ध में तीन बार मिल चुके हैं । उनकी बैठक पुनः होने वाली है, वे आंकड़ों का आदार प्रदान कर रहे हैं ये आंकड़े निस्सन्देह बहुत जटिल हैं । मेरे विचार से आगामी बैठक तक दोनों पक्षों को पूरे तथ्य उपलब्ध हो जायेंगे । तदन्तर आवश्यक होने पर दोनों देशों के मंत्री परस्पर बैठक इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे ।

तथापि धीरे धीरे पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा दूसरे देशों में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि फरक्का बांध बनने पर पूर्व पाकिस्तान की जनता पर भयंकर आघात होगा और लाखों व्यक्ति इससे मर जायेंगे । यह आश्चर्यजनक बात है । जबकि फरक्का बांध के बारे में हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम पूर्व पाकिस्तान के हितों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं । निस्सन्देह हम उनसे उपलब्ध जानकारी के आधार पर उस समस्त क्षेत्र और उन योजनाओं के सम्बन्ध में बातें करने को तैयार हैं ।

नेपाल के सम्बंध में मैं एक सामान्य बात बताना चाहता हूं जिसे न केवल जनता अपितु नेपाली भी भूल गये हैं । मुझे ज्ञात हुआ कि जब नैपाल के नरेश को हमारे द्वारा दी गयी सहायता ज्ञात हुई तो उन्हें आश्चर्य हुआ । अब तक भारत ने नैपाल की सहायता के लिये ११ करोड़ रुपये व्यय किये हैं । तीसरी योजना में नेपाल में १८ करोड़ रुपये व्यय करने का उपबंध किया गया है । यह कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना और गंडक परियोजना के अलावा है जो कि ४४.७ करोड़ और ५०.५ करोड़ के व्यय से निर्मित की जा रही है । १२५० नैपालियों को भारत में कई विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । हम प्रति वर्ष २०० से ३०० नैपालियों को प्रशिक्षण देते हैं । नैपाल में १८७ भारतीय टैक्नीकल अधिकारी हैं । यद्यपि नैपाल में इस बीच कुछ परिवर्तन हुए तथापि इस सहायता में हमने किस प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया है । यद्यपि हमने उन परिवर्तनों को पसद नहीं किया । तथापि उससे नैपाल को दी जाने वाली सहायता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया ।

अब मैं तिब्बत चीन के साथ कुछ सीमा सम्बन्धी विवादों की चर्चा करूंगा और विशेषतः वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के महासवचिव की मंगोलिया से लौटने पर पेकिंग की यात्रा का उल्लेख करूंगा जिसके सम्बन्ध में सदस्यों को कुछ भ्रान्ति हुई है । वे मंगोलिया में वहां की स्वतन्त्रता का चालीसवां वार्षिकोत्सव मनाने को गये थे । ४० वर्ष पूर्व मंगोलिया ने चीन से स्वतन्त्रता प्राप्त की । यद्यपि मंगोलिया हमसे बहुत दूर है तथापि वह हमसे इस कारण और भी निकट हो गया है कि प्राचीन काल में मंगोलिया के साथ भारत के घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं । उन्होंने कई ऐसी पाण्डुलिपियां खोज निकाली हैं जो कि भारत में उपलब्ध नहीं थीं । अतः उन्होंने हमें चालीसवें स्वतन्त्रता वार्षिकोत्सव में आमंत्रित किया । अतः हमारे महासचिव वहां गये । मंगोलिया जाने का सबसे निकटतम मार्ग चीन से होकर है, दूसरा मार्ग मास्को से यद्यपि इसमें कम समय लगता है । उन्होंने कुछ समय मास्को में व्यतीत किया

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और यह निश्चय किया कि लौटते समय चीन से होकर लौटा जाये जब वह चीन में थे तो हमने शिष्टाचार के नाते उनसे यह कहा था कि वह वहां के प्रेसिडेंट, प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री से भेंट करे और यदि आवश्यकता हुई तो सीमा सम्बन्धी बातें भी कर लेवें। मेरे विचार से ऐसा करना उचित था, वस्तुतः उन्हें वार्ता करने का कोई अधिकार भी नहीं था। हम यह नहीं जानना चाहते थे कि अधिकारियों के प्रतिवेदन पर जो कि प्रकाशित हुआ था उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सभा को ज्ञात है कि उस प्रतिवेदन से हमारा मामला पूरी तरह सिद्ध हो जाता है यहां उन प्रतिवेदनों को प्रकाशित किया गया तथा सभा में उन पर चर्चा हुई। चीन में उन्हें प्रकाशित ही नहीं किया गया। अतः अधिकारियों को छोड़ कर उन्हें कोई नहीं जानता। वस्तुतः उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रगट की कि हमने उनकी सहमति के बिना यह प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया। हमने उन्हें यह सूचना दे दी थी कि तीन या चार दिनों के अन्दर यह प्रतिवेदन संसद के सम्मुख रख दिया जायेगा। इसका तात्पर्य यही था कि इसे प्रकाशित कर दिया जायेगा। हमने उनकी सहमति की प्रतीक्षा नहीं की क्योंकि इसको आवश्यकता भी नहीं थी।

वस्तुतः चीन की वर्तमान सरकार के लिये संसदीय प्रणाली को समझना बहुत कठिन है। कुछ भी हो उन्होंने ये प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किये हैं और ये उनके गोपनीय अभिलेखागार में पड़े हुए है।

प्रधान मन्त्री चाऊ-इन लाई जब यहां आये थे तो उनके साथ हुए मूल समझौते के अनुसार यह निश्चय किया गया था कि इन प्रतिवेदनों के तैयार होने के पश्चात दोनों सरकारें इस पर विचार करें और चर्चा करें। यद्यपि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया तथापि उद्देश्य यह था कि इन पर विचार किया जाये। यदि सम्भव हो सके तो पृथक् से अन्यथा संयुक्त रूप से। पृथक् रूप से हमने इन पर पूरा विचार किया। मैं आशा करता हूं कि उन्होंने भी सरकारी रूप से इन पर विचार कर लिया होगा। अब यह प्रश्न उठा और उठता भी है कि इन प्रतिवेदनों या उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोनों सरकारें इन पर विचार करें, तथापि यह विचार किस रूप में होगा इसके सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

हमारे महासचिव को कहा गया था कि वह चीन में अपनी बातचीत के दौरान यह पता लगायें कि इन प्रतिवेदनों के प्रति चीनी अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने इन अधिकारियों से जो बातचीत की उसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। केवल पुरानी बातों को दुहराया गया था और सीमान्त स्थिति जैसे पहले थी अब भी वैसी है। जहां तक मुझे मालूम है कोई नया आक्रमण नहीं हुआ और केवल लोंगजू जैसे एक दो स्थानों को छोड़ कर न ही चीनी किसी जगह से वापस गये हैं। इस बीच में हम अपनी स्थिति सड़कें आदि बना कर मजबूत करते रहे हैं।

यह याद रखना चाहिये कि जोश में आकर हम युद्ध शुरू नहीं कर सकते। अन्त में यदि यह अनिवार्य हो जाये तो और बात है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिये किन्तु विश्व की वर्तमान स्थिति में जल्दबाजी से कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। हमें अपनी नीति और विचारों पर दृढ़ रहना चाहिये और दूसरे पक्ष को जतलाना चाहिये कि वह सही हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : प्रधान मन्त्री ने उन बातों के बारे में कुछ नहीं कहा जो हमारे प्रतिरक्षा मन्त्री ने लाओस आयोग चर्चा के साथ मार्शल चेनयी से की थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जिनेवा में सीमा स्थिति के बारे में कोई बातें नहीं हुईं। वहां लाओस सम्मेलन के सम्बन्ध में ही बातें हुई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ विरोधी सदस्यों ने मुझ से यह कहलाने की कोशिश की है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर एक अमैत्रीपूर्ण कार्य किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों से अमरीकी सरकार की नीति भारत के प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण रही है। यह सच है कि पाकिस्तान को दी गई सैनिक सहायता से हमें बहुत चिन्ता हुई है। अमरीकी सरकार ने आश्वासन दिया है कि ऐसा भारत को खतरे में डालने के लिये नहीं किया जा रहा और हमें यह आश्वासन स्वीकार करना चाहिए फिर भी इस बात की चिन्ता तो है ही कि अमेरिका का कोई वचन पाकिस्तान सरकार को वही शस्त्र किसी के विरुद्ध प्रयोग करने से नहीं रोक सकता, जैसा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के विरुद्ध किये हैं। इसलिये हमें यह सोचना है कि इस नई स्थिति का कैसे सामना किया जाय।

यह बहुत खेद का विषय है कि मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बन सका और वह भी भी फारमोसा सरकार की वीटो पर।

अन्त में मैं बेलग्रेड सम्मेलन के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। इस सम्मेलन के बारे में, हमने स्पष्ट कर दिया है और हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी तीसरे गुट का निर्माण हो, क्योंकि यदि हम तीसरा गुट बनायें, तो हम गुटबाजी को प्रोत्साहन देते रहेंगे। हम विश्व के किसी गुट के साथ नहीं तो यह स्वाभाविक है कि हम आपस में भी कोई गुट न बनायें। अतः हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम तटस्थ ही रहेंगे हम दूसरे देशों के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकते जिससे कि हम अपनी नीति का अनुसरण भी न कर सकें, केवल इस कारण कि बहुमत किसी नई नीति के पक्ष में है। यह सिद्धान्त मोटे तौर पर सम्मेलन ने मान लिया है।

सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा होगी वह घरेलू मामले या दो देशों के आपसे झगड़े नहीं होंगे बल्कि बड़ी बड़ी समस्यायें जैसे विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद और जातिवाद को दूर करना इत्यादि।

मैं एक दो शब्द गोआ के बारे में कहूंगा। एक हत्या के सम्बन्ध में आज इस मामले का उल्लेख किया गया था। हमें अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। किन्तु यह सच है कि गोआ की स्थिति पर समय समय पर विचार किया जाता रहेगा और यह निर्णय किया जायेगा कि क्या क्या कदम उठाये जायें। पिछले सात आठ वर्षों में हमारी जो नीति रही है वह काफी सफल रही है और अन्य देश हमारे दृष्टिकोण को ठीक समझते हैं। पुर्तगाल के साथ जो सहानुभूति थी वह अब नहीं है। यह समझना चाहिए कि पुर्तगाल के साथ युद्ध करने का अर्थ अन्य देशों के साथ भी युद्ध करना भी होगा। यदि युद्ध न भी हो, तो भी एक बहुत पेचीदा स्थिति पैदा हो जायेगी। वास्तविक प्रश्न यह है कि सैनिक कार्यवाही के विरुद्ध हम स्वयं सदा आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है हमें बार बार स्थिति पर विचार करना होगा और सोचना होगा कि अपनी नीतियों को कहां तक बदला जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उसमानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात्--

'यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है।'

†**श्री अ० डांगे** (बम्बई नगर-मध्य) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन की विदेश नीति के दो मुख्य पहलू हैं--निशस्त्रीकरण और शान्ति। इस नीति का भारत के और अन्य देशों के सभी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० डांगे]

शान्तिप्रिय लोग स्वागत करते हैं। किन्तु दुःख की बात है कि निशस्त्रीकरण के इतने आवश्यक होते होते हुए भी शस्त्रीकरण और भी बढ़ रहा है।

प्रधान मंत्री ने जर्मनी और पश्चिमी बर्लिन के संकट का उल्लेख किया है। उन से सहमत होते हुए भी यह पूछा जा सकता है कि क्या भारत सरकार की नीति वास्तव में तटस्थता पर आधारित है। क्या हमारे लिए पश्चिमी जर्मनी को मान्यता प्रदान करना और पूर्वी जर्मनी को मान्यता प्रदान न करना उचित है ? यह हमारी तटस्थता की नीति के अनुकूल नहीं है। यदि तटस्थता की नीति अपनानी है, तो या तो दोनों को मान्यता देनी चाहिए या उन दोनों में से किसी को भी नहीं। पश्चिमी जर्मनी को मान्यता देने का अर्थ यह है कि एक ऐसे राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है, जो नाजी राज्य बन रहा है, जो अपने आपको शस्त्रों से लैस कर रहा है, और जो नाटो का सदस्य होते हुए उपनिवेशों की स्वाधीनता के लिए जारी आन्दोलनों के दमन में सहायता दे रहा है और जो अपने सैनिकों को ब्रिटेन और फ्रांस में प्रशिक्षण दे रहा है।

हमें पश्चिमी जर्मनी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह सहायता भी सन्तोषजनक नहीं है। क्या हम यह नहीं जानते कि पूर्वी जर्मनी भी हमें सहायता दे सकता है ?

भारत सरकार को चाहिए कि वह अपना प्रभाव काम में लाये ताकि सभी शक्तियां पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दोनों राज्यों के साथ शान्ति सन्धि पर तुरन्त हस्ताक्षर कर दें और सोवियत रूस के प्रस्ताव के अनुसार पश्चिमी बर्लिन को एक स्वतंत्र नगर घोषित किया जाये। यदि जापान के साथ १९५१ में शान्ति सन्धि हो सकती थी तो जर्मनी के साथ १९६०-६१ में क्यों नहीं हो सकती ? रूस के इस प्रस्ताव का क्यों विरोध किया जाता है कि वह दोनों से शान्ति सन्धि करना चाहता है?

प्रधान मंत्री को इस समस्या पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह शान्ति सन्धि और पश्चिमी बर्लिन के स्वतंत्र घोषित किये जाने के विरुद्ध नहीं होंगे।

तटस्थ देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत हूं कि हमें तीसरा गुट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। खेद की बात है कि काहिरा में हुई बैठक में भारत ने जो भाग लिया था उससे हाल में स्वतंत्र देशों में भारत की प्रतिष्टा गिर गई है। हमें इस बैठक में अल्जीरिया के भाग लेने का विरोध नहीं करना चाहिए था। मुझे आशा है कि शिखर सम्मेलन में जाकर प्रधान मंत्री अपनी उपनिवेशवाद-विरोधी नीति के अनुसार अल्जीरिया को प्रत्यक्ष मान्यता प्रदान करेंगे।

कांगो के बारे में हमारी राय स्थिति के कानूनी पहलू से बहुत प्रभावित रही है। कांगो में हमारा प्रतिनिधि महामंत्री रमरशोल्ड के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा था किन्तु भारत ने उसे इसलिए भी भेजा था कि वह कांगो का पुनः एकीकरण करने, वहां प्रजातन्त्रवादी सरकार स्थापित करने और उसे बेल्जियन सैनिकों से मुक्त कराने में सहायता करे। हमारे प्रतिनिधि को लमुम्बा की गिरफ्तारी और हत्या को रोकने के लिये कदम उठाने चाहिएं थे। यदि हम कांगो में प्रजातन्त्रवादी शक्तियों को संरक्षण नहीं दे सकते थे तो हमारी सेना को वापिस आ जाना चाहिए था।

कीनिया को प्रधान मंत्री ने अंगोला से भिन्न श्रेणी में रखा है। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि अफ्रीकियों का दमन करने में अंग्रेज-पुर्तगाली और फ्रांसीसी सब एक समान हैं।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है कि अमरीकी रवैया अधिक मैत्रीपूर्ण हो गया है। किन्तु अमेरिका की मूल नीति वही है अर्थात पाकिस्तान को शस्त्र देना और भारत को डालरों की सहायता जो कि पाकिस्तान के विरुद्ध तैयारी करने में व्यय की जाती है।

प्रधान मंत्री ने चीन के बारे में महा सचिव के दौरे का उल्लेख किया था और कहा है कि चीन की प्रतिक्रिया रिपोर्ट के बारे में शून्य थी। प्रश्न यह है कि चीन ने क्यों सहयोग नहीं दिया और इस समस्या का हल कब होगा समूचे रूप से भारत की नीति उचित है। किन्तु सही मार्ग अपनाने में सरकार कुछ हिचकती है। यह हिचक नहीं होनी चाहिये।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मैं हमारी वैदेशिक नीति का बड़ा भारी समर्थक रहा हूं। जब मुझे अवसर मिलता है तब मैं उस नीति के कुछ सिद्धान्तों की तरफ लोगों का इस सदन का और इस के बाहर का ध्यान आकर्षित करता हूं।

हमारी वैदेशिक नीति पर जब हम विचार करते हैं तो संसार की मानवता का इतिहास हमारे सामने आ जाता है। जितना भी हमें इस संसार का इतिहास उपलब्ध है, उससे पता लगता है कि इस विचारशील प्राणी मनुष्य की जो भी कृतियां हुई हैं, उनमें उसके विचारशील होने के कारण विचार की पृष्ठभूमि अवश्य रही है। साथ ही हमें एक बात का और पता लगता है कि महान विचारों को कार्यरूप में परिणत होने में काफी समय लगा है। हमारी वैदेशिक नीति की पृष्ठभूमि शताब्दियों से "वसुधैव कुटुम्ब" के विचार की रही है जो दो प्रधान तत्वों पर आधारित है, एक सत्य और दूसरी अहिंसा। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे तत्व वेत्ताओं ने हमारे दार्शनिकों ने एक सत्य का पता लगा लिया था और वह सत्य यह था कि यह समस्त सृष्टि यथार्थ में एक ही तत्व है। आज के वैज्ञानिक भी इसके आगे नहीं बढ़ पाये हैं। यदि यह समस्त सृष्टि एक ही तत्व है तो अहिंसा तो आप से आप आजाती है। गांधीजी ने इन पुराने तात्विक और उच्च विचारों पर हमारी जो भारतीय संस्कृति अवलम्बित है, उसी को सामने रख कर सत्य और अहिंसा पर चलना हमारे और संसार के लिये कल्याणकार है, वह बात एक नवीन ढंग से कही थी। गांधीजी के पहिले भी अहिंसा का प्रतिपादन हुआ था लेकिन उस समय अहिंसा जीवन के एक क्षेत्र में आती थी, धार्मिक क्षेत्र में। गांधीजी ने मानव जीवन के समस्त क्षेत्र में अहिंसा की आवश्यकता बताई और उन्होंने यह कहा कि उनके दूसरे कथन, उनकी दूसरी बातें तो समय के अनुसार परिवर्तनशील हैं, परन्तु सत्य और अहिंसा में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

आज की दुनिया की स्थिति का हमारे प्रधान मंत्री जी ने कुछ वर्णन किया है। कुछ बातें डांगे जी ने भी कहीं। जर्मनी का सवाल, बर्लिन का प्रश्न, ये आज बड़े ज्वलंत सवाल हैं। परन्तु जैसा मैंने आप से आरम्भ में निवेदन किया, मैं वैदेशिक नीति की जब चर्चा होती है, तब उस चर्चा में कुछ सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन करना चाहता हूं। आज बर्लिन का प्रश्न है, इसके पहले स्वेज़ कैनाल की लड़ाई का सवाल था, उसके पहिले कोरिया का सवाल था। बर्लिन का प्रश्न हल होने के बाद भी क्या इस प्रकार के दूसरे सवाल नहीं उठेंगे? निसर्ग ने मानव को जिस प्रकार गढ़ा है और मानव की कृतियां जिस प्रकार चलती हैं, उनमें इस प्रकार के सवाल सदा उठते रहते हैं, आज तक उठे हैं, आज भी उठ रहें

[डा० गोविन्द दास]

हैं, भविष्य में भी उठते रहेंगे। लेकिन हर परिस्थिति में अपनी विचारधारा पर कायम रहना मुख्य बात है। बर्लिन का सवाल भी किसी न किसी प्रकार उसी तरह हल होगा जिस तरह स्वेज कनाल और कोरिया के प्रश्न कुछ दिन पहिले हल हुये थे। किन्तु बर्लिन के सवाल के हल होने के बाद फिर इसी प्रकार के सवाल उठेंगे। हम ने जैसे आज तक अपनी वैदेशिक नीति को अपनी सत्य और अहिंसा वाली संस्कृति के अनुसार चलाया है, आज भी तथा भविष्य में भी हमारे सामने यही प्रश्न रहेगा कि चाहे कैसा भी समय क्यों न आये, चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों न आये, हम उस समय उन सवालों को अपनी आधारभूत सत्य और अहिंसा की नीति के अनुसार ही हल करने का प्रयत्न करें। जिस समय कोरिया का सवाल उठा था, जिस समय स्वेज कैनाल का सवाल उठा था, और उस के पहिले भी, यह कहा जाता था कि हम जो कुछ बातें कहते हैं वे अव्यवहार्य हैं। परन्तु हमने देखा कि व्यवहार में वे बातें आईं।

जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, कुछ समय पहले तक यह कहा जाता था कि हमने तो अपनी वैदेशिक नीति के कारण हानि ही उठाई है और अनेक बार हमारी वैदेशिक नीति कहां तक ठीक है इस पर सन्देह भी व्यक्त किया जाता था। लेकिन हमने देखा कि यह सन्देह कितना गलत था। अभी कल ही यहां पर नगर हवेली के सम्बन्ध में एक विधेयक आया। हम ने उसे पास किया। तो नगर हवेली के सम्बन्ध में जो सफलता हमें मिली वह सफलता यही सिद्ध करती है कि हमारी वैदेशिक नीति हमारे देश की दृष्टि से भी हितकर है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): वह तो सात साल पहले ही हल हो गया था।

डा० गोविन्द दास: गोआ का सवाल उठता है। अभी प्रधान मंत्री जी ने गोआ के सवाल पर कुछ कहा। परन्तु गोआ पर कुछ कहने के पहले मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो कि अभी कही गई कि यह सवाल तो सात साल पहले हल हो गया। मैं कहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धांत भी केवल सात वर्ष पहले नहीं, स्वराज्य मिलने के समय तय हो गये थे और जिस समय हम पराधीन थे उस समय तय हो गये थे। पराधीनता के समय भी हम उन्हीं सिद्धांतों पर चले सात वर्ष ही क्या, जब से हम स्वतंत्र हुये तब से भी हम उन्ही सिद्धांतों पर चल रहे हैं।

गोआ का प्रश्न अभी पंडित जी के सामने उठाया गया। पंडित जी ने लड़ाई की भी बात कही। वे लड़ाई के पक्ष में नहीं हैं, यह मैं जानता हूं। गोआ के प्रश्न का हल भी, मैं कहना चाहता हूं, लड़ाई नहीं है। लड़ाई यदि हम करना चाहते तो गोआ का प्रश्न कब का हल हो जाता। एक पुलिस ऐक्शन भर का काम था, लेकिन फिर तो एक दूसरी बात सिद्ध होती कि हम इस नीति को मानने वाले हैं कि "मीठा मीठा गप्प और कड़आ कड़आ थू"। जब हमारे स्वार्थ का प्रश्न आता है तो हम लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न जैसा मैंने आप से निवेदन किया दूसरा है। गोआ का प्रश्न भी हम उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार हम ने अपनी आजादी का प्रश्न हल किया और जिस प्रकार हम अपने और संसार के दूसरे प्रश्नों को हल करना चाहते हैं।

पाकिस्तान और हमारे सम्बन्धों के विषय में भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने कुछ कहा। उन सम्बन्धों में कड़आहट आ गई है, कटुता बढ़ गई है। अभी जो तानाशाह अय्यूब साहब और प्रेसीडेन्ट कैनेडी के वक्तव्य निकले, उन के कारण। उनके वक्तव्यों के भिन्न भिन्न अर्थ भी निकाले गये। अभी जब श्री चेस्टर बोल्स यहां पर आये तो उन्होंने भी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। मैं समझता हूं कि इस विषय में भी अधैर्य की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी हमारे प्रधान मंत्री अमरीका जाने वाले हैं

और मैं आशा करता हूं कि अमरीका का हमारे साथ जो वर्ताव है उसको देखते हुये जो कुछ गलतफहमी अय्यूब साहब और प्रेसिडेंट कैनेडी के वक्तव्य से हुई है वह दूर हो जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। अंग्रेजी में जिसे "नोमेन्स लैन्ड" कहते हैं अनेक बार कश्मीर को वह मान लिया जाता है। मैं तो यह मानता हूं कि कश्मीर का प्रश्न हल होने को शेष रहा ही नहीं है। कश्मीर का प्रश्न हल हो चुका है। कश्मीर भारतवर्ष में सम्मिलित है, कश्मीर हमारा है। कभी भी पृथक न होने वाला अंग है। यह हमारा घरू मसला है, बाहरी मसला नहीं रहा, और कभी भी यदि कश्मीर के सवाल को इस प्रकार उठाया जायेगा तो पाकिस्तान और हमारे बीच में कटुता ही बढ़ेगी, उस से कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

चीन की भी बात कही गई। हमारे डांगे साहब ने एक लम्बा चौड़ा भाषण दिया। मैं आशा करता था कि चीन के सम्बन्ध में वे कम से कम अब स्वीकार करेंगे कि चीन आक्रमणकारी देश है। उन के दल में इस बात पर बड़ा मतभेद हो गया है। जहां तक डांगे साहब का सम्बन्ध है, मुझे जो कुछ मालूम हुआ है, उस से जान पड़ता है कि उन का स्वयम् का मत भी यही है कि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन इस के सम्बन्ध में वे न आज कुछ स्पष्ट बोले न इस के पहले कभी बोले। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विषयमें इतने संकोच की आवश्यकता क्या है। जहां तक उन के दल का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं--वे इस समय यहां पर नहीं हैं, लेकिन मेरा भाषण तो पढ़ ही लेंगे--कि उन के दल की जन्मभूमि या मातृभूमि या फादर लैंड यदि कहा जाय ....

श्री ब्रजराज सिंह : मदर लैंड ।

डा० गोविन्द दास : मदर लैंड सही, मैंने मातृभूमि कहा ही वह हमेशा रूस और चीन रहेह । मास्को और पीकिंग रहेहैं और जब तक उनकी दृष्टि इस सम्बन्ध में परिवर्तित नहीं होती तब तक चीन के विषय में भी जो उनका अपना मत है उसको वे स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। कोई भी बड़ा काम विश्वास के बिना या फेथ के बिना सम्भव नहीं हो सका है । आवश्यकता यह है कि बिना विचलित हुये हम अपनी नीति पर चलें। मेरा यह विशवस है कि हमारे सवाल और संसार के सवाल इसी नीतिपर चलने से हल होंगे। कम से कम मुझ को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। दो ही बातें हो सकती हैं; या तो एक भीषण युद्ध हो और उस भीषण युद्ध में अणुबम, उद्जन बम और जैसा रूस ने कहा है उस ने कोई बहुत बड़ा बम तैयार किया है, वे बम चलें यह मानवता ही नष्ट हो जाये और या फिर इस भूमण्डल इस प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े हो जायें, या फिर इन प्रश्नों को हम अहिंसा से हल करें। जैसा आरम्भ में मैंने कहा कि मनुष्य विचारशील प्राणी है, उस की कृतियों की पृष्ठभूमि में विचारधारा रही है। हमें विश्वास है कि हिन्देशिया, अफ्रीका आदि के सवाल और जिन सवालों का हम से सीधा सम्बन्ध है जैसे गोआ, पाकिस्तान और चीन के प्रश्न, वे भी हल होकर ही रहेंगे। हां बड़े बड़े सवालों के हल होने में समय अवश्य लगता है और मानव इतिहास से स्पष्ट है कि बड़े बड़े सवालों को हल करने में मानव को शताब्दियां लगती हैं। समय की गणना दो प्रकार से होती है। एक व्यक्ति का समय और दूसरा राष्ट्र और संसार का समय। दस, बीस, पच्चीस वर्ष व्यक्ति के जीवन में महत्व रखते हैं। परन्तु जहां तक राष्ट्र और संसार का सवाल है, दस, बीस, पच्चीस या पच्चास वर्ष यहां तक कि शताब्दियां भी कोई महत्व नहीं रखतीं। हमने हजारों वर्षों पहले जो खोजें की थीं जिन के आधार पर हम अब तक चले हैं, हमारा विश्वास है कि यदि हम उसी विचारधारा पर चलते रहे तो हम उसी विचारधारा से अपने प्रश्नों को और संसार के प्रश्नों को हल कर सकेंगे।

जैसा मैंने आप से कहा कि मैं अपनी वैदेशिक नीति का बड़ा भारी समर्थक रहा हूं क्यों कि मैं भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा पुजारी हूं मेरा सत्य और अहिंसा में विश्वास है, गांधीजी के

[डा० गोविन्द दास]

बतलाये हुये मार्ग में विश्वास है, इसी लिये मैं सदा से इस नीति का समर्थक रहा हूं, इस के सिद्धांतों का समर्थन करता रहा हूं और आज भी हृदय से इस का समर्थन करता हूं।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव के प्रतिनिधि की, जिन्होंने कि कांगो में महासचिव की ओर से कार्य किया, आलोचना करते समय श्री डांगे यह भूल जाते हैं कि वह प्रतिनिधि भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो कर केवल महासचिव के प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार का उन मामलों से कोई संबंध नहीं था। उनका यह कहना भी गलत है कि सरकार अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता देने के बारे में हिचक रही थी। सच तो यह है कि अल्जीरिया के प्रधान मंत्री जब भारत आये थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि यदि, हम अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को विधिवत मान्यता न दें यह उन के लिये अधिक लाभप्रद होगा। लेकिन अब वहां परिस्थितियां बदल चुकी हैं अतः अल्जीरिया सरकार को मान्यता देने में कोई हर्ज नहीं है और वह दी भी जायेगी।

जहां तक कि आणविक अस्त्रों एवं ताप नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षणों पर रोक लगाने का प्रश्न है भारत सरकार सन् १६५७ से इस के लिये प्रयत्नशील है और १६५७ में इस सम्बन्ध का एक संकल्प भी इस सभा में पारित किया गया था जिस में सभी राष्ट्रों से यह निवेदन किया गया था कि वे इस प्रकार के परीक्षण बंद कर दें। सन् १६६० में बहुत से संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किये गये। हर्ष का विषय है कि भारत ने फिर एक बार निश्चय किया है कि राष्ट्रसंघ के आगामी अधिवेशन की कार्य सूची में आणविक अस्त्रों तथा ताप नाभिकीय अस्त्रों के परिक्षणों पर रोक का विषय रखा जाये। सरकार ने तीनों देशों से अपील की है कि ये परीक्षण पुनः आरम्भ न करें। किन्तु इस संबंध में फ्रांस की सरकार का रवैया बहुत ही असहयोग का रहा है। निशस्त्रीकरण के बारे में यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि निःशस्त्रीकरण से पूर्व नियंत्रण हो या नियंत्रण से पूर्व निःशस्त्रीकरण हो। इस प्रश्न पर प्रधान मंत्री द्वारा १६६० में जो भाषण दिया गया वह उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था कि नियंत्रण के बिना निःशस्त्रीकरण नहीं हो सकता और जब तक कि निःशस्त्रीकरण न हो तब तक नियंत्रण कोई मायने नहीं रखता। आशा है कि इस विषय पर जो बातचीत जारी है, वह कभी न कभी सफल होगी और विश्व के सामने जो संकट दिखाई पड़ता है वह कभी न आयेगा।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि सभा को चाहिये कि वह अंगोला की जनता को एक संदेश भेज कर उन्हें स्वतन्त्रता संघर्ष जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करे।

वहां के नेता जोमो केन्याता अब स्वतंत्र हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे प्रधान मंत्री उन्हें अपने देश आने का निमंत्रण देंगे।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और उस के संबंध में भारत सरकार की नीति पर विचार करते हुए यह स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान उन संकटों की ओर जाय जिन के परिणामस्वरूप विश्व में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विश्व शान्ति में भारत का निहित स्वार्थ है। हमारे निर्माण के प्रयत्न तब तक पूर्ण सफल नहीं होंगे जब तक विश्व में शांति नहीं रहेगी और इसलिए अपने हितों की रक्षा करते हुए हमें अपना प्रभाव विश्व शांति को बनाये रखने में डालें, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। यह संतोष की बात है कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसी नीति का पालन कर रही है जिस से विश्व शांति को बल मिलता है, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम होते हैं और जो परस्पर विरोधी राष्ट्र हैं उन को एक दूसरे के निकट लाने में हमारा देश सहायक हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आज सब का ध्यान बर्लिन समस्या की ओर जाता है। हमें यह बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि जर्मनी का बटवारा कायम रहे, इसे हम पसन्द नहीं करते और मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत भी किया है। साम्राज्यवादी देश समस्याओं को हल करने का एक तरीका बंटवारे का निकालते हैं। लेकिन हमारा अपना अनुभव साक्षी है कि बटवारे से समस्याएं हल नहीं होतीं बल्कि और भी उलझ जाती हैं। फ्रांस अल्जीरिया का बटवारा करना चाहता है। हम उस के विरोधी हैं क्योंकि उस से अल्जीरिया के निवासियों की राष्ट्रीय भावनाएं पूर्ण नहीं होंगी। जर्मनी के लोग यही चाहते हैं कि एक संयुक्त जर्मन राष्ट्र का निर्माण हो तो उन की भावना का आदर किया जाना चाहिए। हम यह आशा करते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक स्वतंत्र चुनाव के द्वारा जर्मनी को एक करने के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट करेंगे लेकिन ईस्ट जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता और उन के संरक्षक तथा भारतीय समर्थक जर्मनी में स्वतंत्र चुनाव कराने से डरते हैं। इसका कारण ढूंढना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जर्मन समस्या का कोई लोकतांत्रिक हल हो सकता है तो वह यही है कि युनाइटेड नेशंस (राष्ट्र संघ) की देख रेख में वहां स्वतंत्र चुनाव कराये जांय और यदि दोनों जर्मनी मिलना चाहते हैं और जर्मन राष्ट्र के रूप में खड़े होना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इस के पश्चात अगर जर्मनी चाहे तो किसी भी गुटबंदी में मिलने का फैसला करे। यद्यपि मैं यह चाहूंगा कि जर्मनी को अन्तर्राष्ट्रीय गुट्टबंदी से अलग रहना चाहिए। यदि ऐसा समझौता किया जा सके कि स्वतंत्र चुनाव के बाद जो जर्मन राष्ट्र बनेगा वह न अमरीकी गुट्ट में शामिल हो और न रूसी गुट में और दोनों गुट्ट उस की स्वतंत्रता और उस की तटस्थता का सम्मान करें, तो यूरोप की बहुत ही समस्यायें हल हो सकती हैं।

यह अच्छी बात है कि अभी भी जर्मनी के प्रश्न पर बात-चीत के दरवाज़े पूरी तरह से बन्द नहीं किये गये हैं। मैं समझता हूं कि समझौता वार्ता की जो भी सम्भावना है, हमारे प्रधान मंत्री जी उसको बढ़ाने में काफ़ी योगदान कर सकते हैं। अभी वह रूस की यात्रा करने वाले हैं। आगे उन्हें नये अमरीकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य जाना है। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा का लाभ उठा कर वह ऐसे प्रयत्न करेंगे कि बर्लिन के सवाल पर समझौता हो जाये और विश्व युद्ध के संकट से बच जायें।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सब से अच्छा पहलू यह है कि उपनिवेशवाद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पश्चिम के राष्ट्र आज़ादी के आन्दोलनों से विवश हो कर अपने कदम पीछे हटाने के लिये मजबूर किये जा रहे हैं और दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उदित हो रहे हैं, जो किसी गुट-बन्दी में शामिल नहीं हैं। युनाइटिड नेशन्ज़ जेनरल असेम्बली की पिछली बैठक में ऐसे गुट-विहीन राष्ट्रों की शक्ति का सारे विश्व को अनुभव हुआ। छोटे छोटे राष्ट्र विश्व की समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से विचार करें और किसी के पिछलग्गू हो कर न रहें, यह शान्ति के लिये एक बड़ा अच्छा चिह्न है। भारत ऐसे राष्ट्रों की अगली पंक्ति में है, इस के लिये हमें गौरव होना चाहिए। जो लोग यह मांग करते हैं कि हम भी किसी के पिछलग्गू हो जायें, किसी गुट में शामिल हो जायें, किसी से सशर्त हथियार ले कर अपनी आज़ादी को सीमित कर दें, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आघात करें, मैं नहीं समझता कि वे आज की देश की परिस्थिति और विश्व की आज की स्थिति को देख कर ऐसी बात कहते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे राष्ट्रों का मंडल बढ़ाया जाये, जो किसी गुट के सदस्य नहीं हैं, जो हर एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर निर्भीकता से अपनी बात कह सकते हैं और जो सब की मित्रता के लिये प्रयत्नशील हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ऐसे गुट-विहीन राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लेने

[श्री वाजपेयी]

के लिये जा रहे हैं। उन्होंने यह ठीक कहा कि यह सम्मेलन एक तीसरा गुट बनाने का कारण नहीं बनना चाहिए। किन्तु एक और बात भी ध्यान देने की है कि ऐसे सम्मेलन में किसी सीमा तक हम उस के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात का हमें अन्दाज़ा लगाना चाहिए।

काहिरा में जो बैठक हुई, जिस में हमारे सेक्रेटरी-जेनरल ने भाग लिया, उसकी जो ख़बरें अख़बारों में छपी हैं, उन से ऐसा लगता है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को तो हम बहुत दूर तक शायद अपने साथ ले जा सके हैं, लेकिन अफ़्रीका के जो नये नये देश आज़ाद हो रहे हैं, उनके साथ हमारा उतना निकट सम्पर्क नहीं है, जितना कि रहना चाहिए। हम उन को अपने साथ ले सकें, इस बात पर विशेष ज़ोर देने की ज़रूरत है। गुट-विहीन राष्ट्रों का यह सम्मेलन शान्ति के पक्ष को बलवान बनायगा, हमें यह आशा करनी चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसी तीसरी आवाज़ पैदा होगी, जो शस्त्रों की झंकार के बीच स्वतंत्रता की, आत्म निर्णय के अधिकार की ओर समस्त मानवमात्र के प्रति समता के भाव की घोषणा करेगी, इस बात का विश्वास किया जा सकता है।

कुछ समस्यायें ऐसी हैं, जिनका हमारे देश के साथ सीधा सम्बन्ध है। स्वाभाविक है कि हम उनके ऊपर गम्भीरता से विचार करें, प्रधान मंत्री जी ने चीन के साथ हमारे सीमा-संघर्ष के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा, उस से किसी का समाधान नहीं हो सकता। मैं सेक्रेटरी-जेनरल की पीकिंग में कम्यूनिस्ट-चीन के नेताओं के साथ वार्ता करने के लिये भेजे जाने का विरोधी हूं। दोनों देशों के अफ़सरों के मध्य जो बात-चीत हुई, उसकी रिपोर्ट के सम्बन्ध में कम्यूनिस्ट-चीन के नेताओं की प्रतिक्रिया है, क्या उस का पता लगाने के लिये भारत सरकार के सेक्रेटरी-जेनरल पीकिंग की यात्रा करें और कम्यूनिस्ट-चीन के दरवाजे खटखटायें, यह भारत के स्वाभिमान के अनुकूल नहीं है। चीन से कोई जबाब नहीं मिला, चीन ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित तक नहीं किया, क्या हम इसी से यह नहीं समझ सकते कि उस की प्रतिक्रिया क्या है। क्या इस के लिये भारत के सेक्रेटरी-जेनरल महोदय को पीकिंग की यात्रा करने के लिये भेजना ज़रूरी था? जब कम्यूनिस्ट-चीन के कोई नेता पीकिंग में नहीं मिले, तो वह शंघाई गये और उन से बात-चीत कर के आये। हमें कम्यूनिस्ट-चीन के नेताओं की मनोवृत्ति समझनी चाहिए। वे तो हमें इसी बात के लिये दोष दे रहे हैं कि हम ने रिपोर्ट क्यों छापी और इस से यह भी पता लगता है कि चीन से समझौते की कोई आशा नहीं करनी चाहिए।

प्रधान मंत्री जी ने "हम लड़ाई नहीं करेंगे", यह तो कह दिया, लेकिन अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चीन के अधिकार में जो भारत की भूमि चली गई है, वह कैसे वापस आयेगी, इस का भारत सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार की निष्क्रियता की नीति न तो राष्ट्र के हितों का संरक्षण करती है, न जनता का मनोबल बढ़ाती है और न यह हमारे पड़ोसी देशों में हमारी शक्ति के प्रति विश्वास पैदा करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कोई सक्रिय नीति अपनायें और इस के लिये हम अपनी शक्ति देखें। आज की परिस्थिति में चीन के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इस का विचार करें और कोई कदम उठाने के लिये प्रयत्न करें।

कुछ माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बतायें।

श्री वाजपेयी : कुछ हमारे कांग्रेसी मित्र टोक रहे हैं कि सरकार क्या करे। मैं उन से कहना चाहता हूं कि कम से कम सरकार सेक्रेटरी-जेनरल जैसे व्यक्तियों को चीनी नेताओं के दरवाजे खटखटाने के लिये न भेजे।. अगर वह कुछ नहीं कर सकती है, तो न करे, लेकिन भारत के स्वाभिमान को तो ठोकर न लगाये। यदि भारत की भूमि वह वापस नहीं ला सकती है,——

कुछ माननीय सदस्य : ला सकती है।

श्री वाजपेयी : वह नहीं ला सकती है--लेकिन वह ऐसा कोई काम न करे, जिससे हमारा पक्ष कमज़ोर होता है, जनता का मनोबल टूटता है। प्रधान मंत्री जी ने सेक्रेटरी-जेनरल को पीकिंग भेजने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया है, वह बड़ा लचर है और उस में दम नहीं है। यह कहना कि हम यह जानना चाहते थे कि चीन के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, यह तो नई दिल्ली में चीन के राजदूत बैठे हुये हैं, उनसे जानी जा सकती थी। इसके लिये कम्युनिस्ट-चीन को चिट्ठी लिखी जा सकती थी। इस के लिये सैक्रेटरी-जनरल को भेजने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा कहना तो स्पष्ट है कि चीन को भारत के प्रदेश से खदेड़ने के लिये अगर सैनिक कार्रवाई भी आवश्यक है तो सैनिक कार्रवाई होनी चाहिये। हम युद्ध के हामी नहीं हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी भूमि को भी दुश्मनों से वापिस लेने के लिये युद्ध नहीं करेंगे। हम युद्ध के हामी नहीं है, इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि हम किसी दूसरे की भूमि पर आक्रमण नहीं करेंगे। किन्तु आक्रमण का युद्ध और मुक्ति का युद्ध दोनों एक समान नहीं है। हम गोआ में सैनिक भेज दें तो यह आक्रमण नहीं होगा और हमारी शान्ति की नीति के अनुकूल होगा। अगर गांधी जी की अहिंसा में तलवार चलाने के लिये जगह थी तो प्रधान मंत्री की विश्व शान्ति की नीति में भारत की भूमि को आक्रमण से मुक्त करने के लिये सैनिक कार्रवाई भी शामिल होनी चाहिये। अन्यथा हम अपनी भूमि को विदेशियों के हाथों में छोड़ दें और शान्ति की बात करें तो उसे दुर्बलता समझा जायेगा और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जाती है।

प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तान का भी उल्लेख किया है और उन्होंने इस बात को माना कि पाकिस्तान की नींव भारत के प्रति विरोध पर आधारित है। भारत के प्रति घृणा यह पाकिस्तान के जन्म का कारण है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर काश्मीर की समस्या हल हो जाए तो वहां के शासक ऐसे कोई और सवाल खड़े करेंगे जिन से दोनों देशों के बीच में तनातनी कायम रहे। मेरा निवेदन है कि उनका यह विश्लेषण बिल्कुल ठीक है। यह विश्लेषण अगर ठीक है तो फिर इसमें से यह अर्थ कैसे निकाला जा सकता है कि हम पाकिस्तान से मित्रता करने के लिये आवश्यकता से अधिक उदार हो जायें? नहरी पानी समझौता किया गया इस आशा से कि भारत और पाकिस्तान के बीच सदभावना पैदा होगी, बेरुबाड़ी का इलाका दे दिया गया पाकिस्तान को इस आशा से कि दोनों देशों के सम्बन्ध सुधरेंगे। किन्तु इस सब का क्या परिणाम निकला। अनुभव बताता है कि पाकिस्तान हर एक अनुचित सुविधा प्राप्त करने के लिये नये नये अड़ंगे खड़े करता है। इस स्थिति में क्या यह आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान के प्रति हम अपनी नीति पर पुनर्विचार करें? जिस दिन पाकिस्तान भारत के विरुद्ध शत्रुता छोड़ देगा, पाकिस्तान का अस्तिव नहीं रहेगा। पाकिस्तान की नीव ही भारत के विरुद्ध घृणा पर आधारित है। जिस दिन वह भारत के विरुद्ध घृणा छोड़ देगा, यह विभाजन की दीवार शायद टिकेगी नहीं क्योंकि राज्य अलग हो गये हैं, मगर जनता तो एक है और मजहब बदलने से कौमियत नहीं बदलती। हम ने कभी दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को नहीं माना है।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : आज तो बड़े जोर से बोल रहे हैं।

श्री वाजपेयी : वैसे तो हमारे तारिक साहब समझदारी की बात को सुनते हैं। लेकिन मुस्लिम कनवैंशन में जब वह गये थे तो उनको बोलने तक नहीं दिया गया।

श्री अ० मु० तारिक : वहीं से दानिशमन्दी हासिल की है।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजनीतिक विभाजन के बावजूद दोनों राज्यों की जनता एक है और इसलिये यह राजनीतिक विभाजन उस

[श्री वाजपेयी]

दिन नहीं रहेगा और न ही इसकी कोई आवश्यकता रह जाएगी जिस दिन भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधर जायेंगे । जिन नेताओं ने पाकिस्तान को मांग की, पाकिस्तान के लिये आन्दोलन किया, जो अंग्रेज़ के हाथ के खिलौने बने वे कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधरें ।

जहां तक हमारा सवाल है म प्रधान मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं, पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं, पाकिस्तान से अपने सम्बन्धों कय सुधारना चाहते हैं । लेकिन इसके लिये पाकिस्तान को अनुचित सुविधायें दी जायें, इसके हम हक में नहीं है । पाकिस्तान जैसी नीति अपनाता, है, हमें भी वैसी नीति अपनानी चाहिये क्योंकि सम-सहयोग की नीति के बिना इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

जहां तक पाकिस्तान को अमरीकी सहायता का सवाल है, प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उससे मेरा सन्तोष नहीं हुआ है । अमरीकी इरादे अच्छे होंगे, मगर एक बार अमरीका के हाथ में से हथियार निकल गए तो अमरीका क्या कहता है यह हम नहीं देखेंगे । जिस के हाथ में हथियार पहुंच गए हैं, वह क्या कहता है, इसका हमें विचार करना चाहिये । हथियारों पर यह तो नहीं लिखा होता कि वे रूस की तरफ चलेंगे और भारत की तरफ नहीं चलेंगे । अमरीका से मिलने वाले हथियार भारत के विरोध में भी काम में लाए जा सकते हैं और यह बड़े खेद की बात है कि अमरीका के शासन में परिवर्तन होने के बाद भी पाकिस्तान को अभिक सैनिक सहायत दी जा रही है, । डैमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के आने से यह आशा की गई थी कि वह सैनिक सहायता देने के बजाये आर्थिक सहायता देने पर बल देगा । लेकिन हवाई जहाज़ तो अलग रहे, पाकिस्तान को सब-मैरींज़ दी जा रही हैं । पाकिस्तान की समुद्री सीमा तो किसी कम्युनिस्ट देश से नहीं लगती है, फिर पाकिस्तान को सब-मैरींज़ देने की क्या आवश्यकता है । ये सब-मैरींज़ हमारे खिलाफ काम में लाई जा सकती हैं । पाकिस्तान और पुर्तगाल जिस घृणित गठबन्धन में शामिल हैं, उसको भी हमको याद रखना चाहिये । गोआ में इस बात के प्रयत्न हो रहे हैं, कि गोआ को भारत से अलग किया जाए , गोआ एक अलग कालोनी बनाई जाए । हमें यह भी याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के बढ़ते हुये सम्बन्ध गोआ की मुक्ति में और भी रोड़े पैदा करेंगे ।

प्रधान मंत्री अमरीका यात्रा कर रहे हैं और वह अमरीका को अल्टीमेटम दे दें, इसकी तो किसी ने मांग नहीं की और न ही इसकी आवश्यकता है । अगर अमरीकी नेताओं को यह बात स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिये कि पाकिस्तान को हथियार दे कर आप इस क्षेत्र में शान्ति और लोकतन्त्र को मजबूत नहीं करते । जिस देश में स्वयं लोकतन्त्र नहीं है, वह लोकतंत्र को क्या मजबूत करेगा ? अगर इस क्षेत्र में , अगर दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र मजबूत हो सकता है तो ४४ करोड़ का भारत, लोकतंत्र को दृढ़ बनाने में अपना योगदान कर सकता है । डगमगाते हुये सिंहासनों और लड़खड़ाते हुये राज-मुकुटों को सैनिक सहायता दे कर अमरीका लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता । अमरीका को चाहिये कि वह दबाव डाले पाकिस्तान पर कि वह भारत के विरोध में अपनी नीति बदले और इस बात को अमरीका के नेताओं को साफ कहने की जरूरत है ।

मैं समझता हूं कि हमारी विदेश नीति जहां तक विश्वशान्ति की रक्षा का सवाल है, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का सवाल है, एक दिशा में चल रही है.। यह किसी व्यक्ति की या किसी एक पार्टी की नीति नहीं है, सारे देश की नीति है । लेकिन जहां तक भारत के हितों का सवाल

है, उनकी रक्षा के लिये हमारी विदेश नीति को अधिक दृढ़, अधिक सक्रिय और अधिक पौरुषपूर्ण होने की आवश्यकता है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : पाकिस्तान के बारे में प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसका समर्थन सभी करते हैं ताकि जनरल अय्यूब खान और उनके साथियों को इस बात में कोई गलत-फहमी न रह जाये कि यह नीति केवल प्रधान मंत्री की ही नीति है । यह नीति भारत सरकार और समूचे भारत राष्ट्र की नीति है ।

जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल करार पर, वह भी अपनी ओर काफी त्याग करके, हस्ताक्षर किये थे तो इससे यह आशा बढ़ गई थी कि दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो जायेगा लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और जनरल अय्यूब खां भारत के विरुद्ध विष उगलने लगे । उनकी इस नीति से सम्बन्ध अच्छे होने के बजाय और बिगड़ने लगे । आज उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वह 'शीत युद्ध' के जनक हैं और उसको फैलाने के प्रणेता हैं । पाकिस्तान इस समय जो कुछ कर रहा है वह इसलिये कर रहा है कि वह भारत और चीन के सम्बन्ध बिगड़ गये हैं इससे लाभ उठाना चाहता है । जनरल अय्यूब ने हमारे नेताओं की शान के खिलाफ बहुत सी बातें कही हैं जो कि उसे नहीं कहनी चाहियें । अब समय वह आ गया है कि जब हमें स्पष्ट रूप से श्री अय्यूब की बातों का उत्तर देना चाहिये ।

श्री अय्यूब का कहना है कि भारत का उनमें कोई विश्वास नहीं है । अगर भारत काश्मीर को पाकिस्तान को भेंट करदे तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं होगा । आगे स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर शुभ कामनाओं का आदान प्रदान का उत्तर देते हुये उन्होंने सुझाव दिया है कि काश्मीर में जनमत कराया जाये । प्रधान मंत्री ने हाल में पत्रकार सम्मेलन में काश्मीर के बारे में जो वक्तव्य दिया उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं इस प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता । हम तटस्थ राष्ट्र अवश्य हैं परन्तु यह हमारा सार्वभौम अधिकार है कि हम देश की रक्षा के लिये अपनी इच्छानुसार कहीं से भी शस्त्रास्त्र खरीदें । इसलिये आशा है कि पाकिस्तान के नेतागण भारत को डराने-धमकाने की चेष्टा नहीं करेंगे बल्कि यह जान लेंगे कि दोनों देशों की जनता की भलाई परस्पर सहयोग में निहित है । यह निश्चित है कि यदि वह सहयोग करने के लिये एक क़दम बढ़ायेंगे तो भारत दो कदम बढ़ायेगा ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि बार-बार वही बातें दुहराई जाती हैं । आखिर हमारे सामने चारा ही क्या है । जब कि उन बातों का हमारे सामने कोई समाधान नहीं रखा जाता । मेरा निवेदन है कि सरकार गोआ के बारे में अपना सुदृढ़ निश्चय बनाये, न कि केवल इसका रस्मी तौर पर निर्देश करे । सरकार इस समस्या को हल करने का कोई ठोस उपाय करे । पुर्तगाल का गोआ में रहना आक्रमण के तुल्य है, तथा इस सम्बन्ध में असीम धैर्य का अर्थ है मौन स्वीकृति तथा अकर्मण्यता । हमें यह धारणा नहीं रखनी चाहिये कि यदि हम गोआ में आक्रमण का प्रतिशोध करेंगे तो 'नाटो' संघ के सदस्य देश दखल देंगे । समय आ गया है जब हमें गोआ के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा ।

भारत सरकार जिस ढंग से 'लाओस' समस्या का समाधान कर रही है हम उस से सहमत हैं । लेकिन लाओस की समस्या को दक्षिण पूर्व एशिया के विकास के रूप में लेना चाहिये । लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में हम ने कोई आरम्भिक कार्यवाही नहीं की है । हम उस 'शांतिमय' इलाके से बाहर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

निकाला जा रहा है क्योंकि इसकी ओर हमने काफी ध्यान नहीं दिया है। उस क्षेत्र के भारतीय निवासियों को यह बता दिया जाना चाहिये कि क्या वह अपनी राष्ट्रीयता को कायम रखना चाहते हैं अथवा उन देशों की नागरिकता को स्वीकार करते हैं जहां कि वे रहते हैं। इस आधार पर हमें अन्य देशों के साथ अपने आपसी सम्बन्ध नहीं बिगाड़ने चाहियें। हमें समचे राष्ट्र का व्यापक दृष्टिकोण एवं भलाई सामने रखनी चाहिये।

नेपाल को जो सहायता दी जा रही है वह ठीक है। यह प्रसन्नता की बात है कि तीसरी योजना में यह सहायता और भी बढ़ा दी गई है। और हम हर सूरत से नेपाल की सहायता करना चाहते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इस सहायता का जब तक पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता जब तक कि नेपाल में लोकतंत्री की स्थापना नहीं हो जाती। वहां की जनता को लोकतन्त्र की स्थापना तक इस सहायता से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि नेपाल समृद्धिशाली बने और एक सुदृढ़ अभिरक्षक की भांति हमारी सीमा पर कायम रहे।

प्रधान मंत्री ने बर्लिन की स्थिति का ठीक ही विश्लेषण किया है। बर्लिन की समस्या का सही समाधान है संयुक्त एवं स्वतंत्र जर्मनी।

अल्जीरिया के प्रश्न की ओर भी मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अल्जीरिया के बारे में उन्हों ने जो वक्तव्य दिया है वह काफी सन्तोषजनक है। लेकिन यह आवश्यक है कि उसे विधिवत मान्यता दी जाये।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ौसी देश तभी हमारे देश के साथ रहेंगे जब हम उन के हितों की रक्षा करेंगे, जब हम उन की समृद्धि को अपनी समृद्धि समझेंगे। यह निश्चय है कि वे हमारा साथ इस आधार पर नहीं देंगे कि हमारा देश बौद्ध का देश है, या हमारे देश में नेहरू जैसे नेता हैं। वे देश हमारा साथ तभी देंगे जब कि हम उन के लिये कुछ करेंगे। अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि गोआ के बारे में कोई दृढ़ नीति अपनानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विदेश नीति का समर्थन करता हूं।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं श्री नलदुर्गकर के संशोधन का समर्थन करता हूं। हम सभी यह अनुभव करते हैं कि गोआ भारत में विलय हो जाये। यह सभी जानते हैं कि वहां राष्ट्रीय आन्दोलन बुरी तरह दबा दिया गया है। लेकिन इतना अवश्य सत्य है कि गोआ को भारत का अंग बनाने के बारे में हमें कुछ कार्यवाही करनी होगी। गोआ सम्बन्धी वर्तमान नीति में कुछ संशोधन करना होगा। मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिस से कि इस समस्या का समाधान हो जाये।

जहां तक बर्लिन समस्या के समाधान का प्रश्न है अकेला रूस इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इस के बारे में एक पक्षीय तौर पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। हमें इस समस्या पर दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के उद्देश्य से विचार करना चाहिये।

अमरीका पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है। यह सहायता हमारे देश के लिये खतरनाक है। पाकिस्तान में हमारे दे के प्रतिघृणा व्याप्त है। सवाल खाली काश्मीर का ही नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अमरीका के इस आश्वासन पर विश्वास कर सकते हैं कि अमरीका द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

दी गई सहायता भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जायेगी। यह संदेहजनक बात है। अमरीका का तो यहां तक कहना है कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो अमरीका भारत की सहायता करेगा। लेकिन हम ने अभी देखा है कि अमरीका द्वारा जिन देशों को सैनिक सहायता दी गई है उस का दुरुपयोग किया गया है। अतः यह आश्वासन भ्रामक है। प्रधान मंत्री ने स्वयं इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं। अतः इस पर अच्छी पर विचार करना होगा। हमें पाकिस्तान की तुलना में अपनी सशस्त्र सत्ता पर भी विचार करना होगा। पाकिस्तान की धमकी का रवैय्या हमारे लिये एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका हमें हल करना ही होगा। हमें अपनी सैनिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा जिससे हम पाकिस्तान के बराबर हो सकें।

†**श्री नलदुर्गकर** : सरकार की विदेशी नीति का मैं समर्थन करता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सरकार की नीति ठीक ही रही है। यह सराहनीय बात है कि प्रधान मंत्री बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं और इस प्रकार वह विश्वशान्ति को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भाग ले सकेंगे।

जहां तक अल्जीरिया का प्रश्न है हमारी सरकार की नीति दूसरे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता बनाये रखने की है।

श्री अय्यूब खां ने अपने भाषणों में काफी धमकियां दी हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उनकी इन धमकियों से डरते नहीं। यह ठीक है कि अमरीका ने पाकिस्तान को इस आधार पर सहायता दी है कि उसका प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा लेकिन इस बात की गारंटी क्या है। इस बात का कोई नियंत्रण नहीं रखा गया है कि पाकिस्तान उन का प्रयोग हमारे विरुद्ध नहीं करेगा। इसलिये पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी नीति दृढ़ एवं स्पष्ट होनी चाहिये।

अब तक हमारे कुछ सिद्धान्त थे। हम ने पाकिस्तान के नहरी पानी विवाद का मामला तै किया, सीमा का झगड़ा तय किया, इस से पाकिस्तान ने हमारे सामने नई-नई समस्यायें हमारे सामने खड़ी कीं। हमें अपने सशस्त्र दलों के लिये उन्हीं प्रकार के विमानों का प्रबन्ध करना होगा जो पाकिस्तान ने प्राप्त किये हैं। उस देश के प्रति हमारी नीति दृढ़ एवं निश्चित प्रकार की होनी चाहिये।

चीन के बारे में भी हमारी दृढ़ नीति होनी चहिये। उस ने हमारी सीमा का कुछ हिस्सा दबा लिया है। हम किसी पर आक्रमण करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी इस समय हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि जिससे चीन को इस बात का पता हो जाये कि अगर उस ने भारत पर आक्रमण किया तो स्वयं खतरे में पड़ जायेगा।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : हमें रूस से 'सुपसेनिक विमान' जिन में प्रक्षेपणास्त्र (गाइडेड मिसिल) लगे हों खरीदने चाहियें। अल्जीरिया की सरकार को मान्यता दी जानी चाहिये। जर्मनी के संयुक्त करने से पूर्व पहले व्यापक प्रकार के निःशस्त्रीकरण की शर्त आवश्यक है। पश्चिमी देशों की शर्तों पर जर्मनी का संयुक्त किये जाने से दूसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जायेगी। रूस का विरोध करना हमारे लिये अच्छा नहीं रहेगा। हमें पाकिस्तान से भी अच्छे सम्बन्ध रखने चाहियें।

यदि बर्लिन के मामले में हम ने रूस का समर्थन किया तो रूस काश्मीर के मामले में हमारा समर्थन करेगा। भारत के लिये चीन और रूस बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये दोनों मिलकर ही भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्माण करेंगे।

यदि पाकिस्तान रूस अथवा मध्य पूर्व के देशों में मिल जाता है तो अच्छी ही है। क्योंकि इस का भारत के साथ मिलना भारत में समाजवाद की स्थापना करने के लिये घातक सिद्ध होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : संसार के देशों में शस्त्रीकरण की दौड़ के और तेज हो जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में और आतंक आ गया है। समय आ गया है कि शान्ति बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्षमता पर पुनः विचार किया जाय। वर्तमान संगठन से यह संघ समस्याओं का हल नहीं कर सकता। संघ के घोषणा पत्र को पुर्नावितत करना होगा।

पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दिये गये शस्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग होने की संभावना है, अमरीका को इस सम्बन्ध में युद्ध भावनाओं से कोई सहायता नहीं मिलती। भारत अमरीका को यह बतादे कि जब तक पाकिस्तान के बराबर उसे शस्त्रों की सहायता नहीं जाती; वह अमरीका के इस काम को एक अमित्रता का काम समझेगा। अमरीका प्रेसीडेंट को बता दिया जाय कि काश्मीर भारत का एक अंग रहा है तथा कि वह इस बारे में व्यर्थ की चिंता न करें। चीन के आक्रमण का विषय काफी समय से महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा जान पड़ता है कि भारत अनुतोष से काम ले रहा है चीन केवल बल की भाषा को ही समझता है। ठोस हल यह है कि चीनियों को मार भगाया जाय।

जर्मनी को संयुक्त करना ही समस्त जटिल समस्याओं का हल है। इस में सब से कठिन समस्या बर्लिन की है।

तटस्थ देशों का 'शिखर सम्मेलन' यदि सफल हुआ तो यह एक अन्धकारमय वातावरण आशा की किरण सिद्ध होगा। यदि संसार में अमर शांति रहे, मानवता को शोषण से बचाया जा सके तो सभी राष्ट्रों को मिल कर एक हो जाना चाहिये। तिब्बत के मामले का हमारे द्वारा समर्थन जोरदार ढंग से नहीं किया गया था जब कि जोरदार ढंग से किया जाना चाहिये था। हम चाहते हैं कि इस प्रकार घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं जोमो केन्याटा की रिहाई पर भारत की जनता की ओर से केनिया की जनता को बधाई-सन्देश भेजता हूं। अफ्रीका में उपनिवेशवाद के अन्त के साथ-साथ एक ऐसी नयी भावना उदय हो रही है, जिससे विश्व को शान्ति मिल सकती है। लेकिन इस नई भावना के उदय होने में जितना योग भारत के गणतंत्रीय नेताओं को देना चाहिये था, उतना उन्होंने नहीं दिया है, यह अफसोस की बात है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि अल्जीरिया की सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी जा रही है और आज भी प्रधान मंत्री महोदय ने केवल यही कहा है कि वास्तव में उस को मान्यता दी हुई है और कानूनी रूप में उन्हें मान्यता शायद बाद में मिल सकेगी। हमें अफसोस है कि यह नीति हिन्दुस्तान की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है।

इसी प्रकार से जो अन्य उपनिवेश अफ्रीका में कायम हैं, उनको सामाप्त करने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार न कोई सक्रिय सहयोग नहीं दिया है, यह बड़े अफसोस की बात है। हम खुद एक उपनिवेश रह चुके हैं और हम ने उपनिवेश के दुखों और कष्टों को सहा है। इस अवस्था में हम समझ सकते हैं कि दुनिया के जो राष्ट्र अभी भी उपनिवेश बन हुये हैं, उन की जनता कितने दुखों और कष्टों को सह रही होगी। इस कारण हिन्दुस्तान की सरकार को उपनिवेशों की जनता का अगुआ होने के नाते यह चाहिये था कि कितने भी उपनिवेश आज दुनिया में कायम हैं, उनको समाप्त करने के लिये, जहां जहां गुलामी कायम है, उसका अन्त करने के लिये वह सर्वप्रथम कदम उठाती। मुझे अफसोस है कि उस उद्देश्य और लक्ष्य को हमने पूरा नहीं किया।

कांगों में जो कुछ हुआ, उस में स्थिति को सुधारने के लिये हमने थोड़ा सा सहयोग देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वह काम हमारी अपनी इच्छाओं के मुताबिक पूरा नहीं हो सका। अंगोला और मोजम्बीक में आज जो कुछ हो रहा है, वह हिन्दुस्तान की जनता के लिये गोआ के गुलाम रहते

†मूल अंग्रेजी में

बेहद दुःखपूर्ण है। अंगोला और मोजम्बीक के साथ हमें गोआ की याद आती है। गोआ के सम्बन्ध में हम सदा घोषणा करते रहे हैं कि वह हमारा अभिन्न अंग है, किन्तु अभिन्न अंग होते हुए भी हिन्दुस्तानी की सरकार उस को आजाद कराने में कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं कर सकी है, यह बहुत ही अफसोस की बात रही है।

अब दादरा और नगर हवेली हिन्दुस्तान में पूरी तरह से, वास्तविक रूप से और कानूनी तौर से भी, मिल चुके हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गोआ वास्तविक रूप से और कानूनी रूप से हमारा अभिन्न अंग बने। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह हमारी नीति नहीं है कि हम दूसरों पर हमला करें। यह एक सही नीति है। हमें किसी पर भी आक्रमण नहीं करना चाहिए और न हम करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी बैठक में बैठ जाये तो, उसको वहां से निकालना कोई हमला करना नहीं है। जो बाहर का आदमी हमारे घर में घुस आया है, उसको निकाल कर बाहर कर देना कोई हमला करना नहीं है। यही बात गोआ के बारे में लागू होती है। जब गोआ को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, तो वहां के विदेशी शासकों को ताकत से, शक्तिपूर्वक निकाल देना आक्रमण नहीं माना जायगा। वह अपना क्षेत्र दूसरों से खाली कराना माना जायेगा। अगर हिन्दुस्तान की सरकार को शक्ति से पार्टुगीज को गोआ से निकालने में दिक्कत हो, तो उसको ऐसी नीति अपनानी होगी कि हिन्दुस्तान के नागरिकों को गोआ-वासियों की सहायता करने के लिये, उनको मुक्त करने के लिये सत्याग्रह करने की आजादी दी जाये। लेकिन अभी तक उस नीति को नहीं अपनाया गया है। सरकार और चाहे कुछ करे या न करे, लेकिन एक बात तो उसे तुरन्त करनी चाहिए और वह यह कि गोआ के जो नागरिक हिन्दुस्तान में रहते हैं, १९६२ के चुनाव में उनको मत देने का अधिकार मिले। इस समय उनको हमारे अन्दरूनी चुनावों में मत देने का अधिकार नहीं है। जब तक हम उन्हें मत देने का अधिकार नहीं देते हैं, तब तक हमारी यह घोषणा की गोआ हमारा एक अभिन्न अंग है, गोआ की जनता और हम एक हैं, कोई माने नहीं रखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधान मंत्री की इस नीति-घोषणा की पृष्ठभूमि में कि वह गोआ के सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन लाने जा रहे हैं, कोई अन्तर नहीं पड़ता है। सबसे पहले प्रधान मंत्री को यह सोचना होगा कि गोआ के जो नागरिक हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं उन्हें दूसरे हिन्दुस्तानियों की तरह सन् १९६२ के चुनाव में खड़े होने की और मत देने की इजाजत हो। अगर इस तरह का अधिकार उनको दिया जाता है, तब फिर हिन्दुस्तान की सरकार की नीति में गोआ सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन हुआ माना जाएगा।

दुनिया के सामने आज बहुत बड़े-बड़े सवाल हल होने को पड़े हैं। निश्शस्त्रीकरण का सवाल है, बर्लिन का सवाल है, बैलग्रेड सम्मेलन भी हो रहा है। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके शान्तिपूर्ण हल पर दुनिया की शान्ति निर्भर करती है और दुनिया की शान्ति ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का, भविष्य भी निर्भर करता है। बर्लिन का सवाल एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका कोई हल निकालना आवश्यक है। अगर दुनिया में किसी सवाल को लेकर लड़ाई छिड़ती है तो उस लड़ाई से न सिर्फ दुनिया का नुक्सान होगा बल्कि हिन्दुस्तान का भी नुक्सान हो सकता है। लेकिन जहां तक बैलग्रेड सम्मेलन का ताल्लुक है जिसमें हमारे प्रधान मंत्री जी भी शामिल होने जा रहे हैं, उसको मैं बहुत अधिक महत्व देता हूं। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अगर

[श्री ब्रजराज सिंह]

इस सम्मेलन में किसी तृतीय शक्ति के, तृतीय गुट के निर्माण के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जाता है तो यह सम्मेलन एक हंसी मात्र बन कर रह जाएगा। आखिर यह तृतीय शक्ति, यह तृतीय गुट किसी पर हमला करने के लिए नहीं होगा। दूसरे दो गुटों की तरह, अमरीकन गुट की तरह या रशियन गुट की तरह, यह एक दूसरे को दबाने के लिए, डराने के लिए या किसी पर हमला बोलने के लिए नहीं होगा बल्कि ऐसे राष्ट्रों का यह गुट होगा, जिनको नान-एलाइंड राष्ट्र कहा जाता है, तटस्थ राष्ट्र कहा जाता है, जो किसी गुट में शामिल नहीं हैं बल्कि केवल दुनिया में शान्ति कायम रखने के लिए होगा। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय इस पर विचार करें कि क्या आज दुनिया को आवश्यकता नहीं है कि बैलग्रेड सम्मेलन में इस तरह की काल दी जाए, इस तरह की घोषणा की जाए कि दुनिया के वे राष्ट्र जो किसी गुट में शामिल नहीं हैं, उनको ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि वे कभी किसी पर हमला नहीं करेंगे, दुनिया में शान्ति कायम रखने के लिए सब कुछ करेंगे और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे एक तृतीय शक्ति का निर्माण करेंगे तीसरे गुट का निर्माण करेंगे। जब तक इस तरह की घोषणा नहीं की जाती, इस तरह की नीति निश्चित नहीं की जाती, इस सिद्धान्त को नहीं अपनाया जाता तब तक मैं समझता हूं कि इन राष्ट्रों के इकट्ठा होने से जिनको कि नान-एलाइंड राष्ट्र कहा जाता है, उनके इकट्ठा होने से, तथा सम्मेलन में बैठने से कोई निश्चित फायदा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि अब इस परह की घोषणा की जाए कि तृतीय शक्ति का निर्माण हो रहा है, किसी पर आक्रमण या हमला करने के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, नहीं बल्कि दुनिया में शान्ति कायम रखने के लिए। जो राष्ट्र किसी गुट में शामिल नहीं हैं और जो वहां एकत्र हो रहे हैं वे अगर इस तरह की नीति घोषणा बैलग्रेड में करने में समर्थ होते हैं तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि दुनिया से लड़ाई को खत्म करने में, इस तरह की तृतीय शक्ति काफी हद तक अपना योगदान दे सकेगी।

हम अपने घर की नीति को जब देखते हैं तो पाते हैं कि पाकिस्तान में लड़ाई की आवाज उठाई जा रही है। जनरल अयूब खां जिनका कभी जनतंत्र से कोई वास्ता नहीं रहा है और जिनको आजादी की लड़ाई लड़ने का या उसका स्वाद चखने का कोई मौका नहीं मिला है, आज कहते हैं कि हिन्दुस्तान के नेता और नागरिक, किस तरह नेतृत्व की आवाज बोली जाती है, इसको जानते नहीं हैं। हमें अफसोस होता है, आश्चर्य होता है कि हमारा अपना पड़ौसी देश जिसकी जनता न सिर्फ हमारी मित्र है बल्कि भाई है, जिसका खून हमारे खून से मिला हुआ है, जिसके नागरिक और हमारे नागरिक सदियों तक इकट्ठा रहे हैं, जिनके रिश्ते खून के हैं, इस तरह की भाषा बोलता है। इससे पता चलता है कि वहां के शासकों का हिन्दुस्तान के प्रति कैसा रवैया है। मैं कहना चाहता हूं कि जनरल अयूब कुछ भी कहते रहें लेकिन हिन्दुस्तान की जनता की कभी इस तरह की भाषा नहीं होगी कि जिससे यह ध्वनि निकलती हो कि हम पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से देखते हैं या उसे नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं। हम भला चाहते हैं पाकिस्तान का और चाहते हैं कि उसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम हों। हम उसके साथ मित्रतापूर्वक रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह उन्नति करे। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि पाकिस्तान के शासक हमेशा इस तरह का नारा बुलन्द करते रहे हैं अपनी सत्ता को कायम रखने के लिये। इस संदर्भ में मुझे अफसोस होता है यह जान कर कि सवा चार साल हो गये हैं सन १९५७ के चुनावों को सम्पन्न हुए इस अर्से में काश्मीर की समस्या को उठाया नहीं

गया है लेकिन आज हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं और कह रहे हैं जनता को डराने के लिये कि अगर कांग्रेस को ऊपर नहीं पहुंचाया जायेगा तो काश्मीर खतरे में है। सवा चार साल तक तो काश्मीर खतरे में नहीं था आज उन के लिये काश्मीर खतरे में हो गया है। यह कौन सी नीति है ? हिन्दुस्तान के नेताओं को पाकिस्तान के शासकों की नीति की नकल नहीं करनी चाहिये। हिन्दुस्तान की जो परम्परा है, वह अलग है, उस की जो पृष्ठभूमि है वह अलग है, उस के जो सोचने का तरीका रहा है वह अलग रहा है, उस की आत्मा अलग रही है। पाकिस्तान की नकल कर के न हम दुनिया में जिन्दा रह सकते हैं और न ही हम अपनी परम्पराओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रति काफी मजबूत होने की जरूरत तो है लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के शासक हमेशा ही गीदड़ भभकियां देते आये हैं उन से हिन्दुस्तान की जनता का कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही भविष्य में हो सकता है।

चीन के साथ हमारी सीमा के बारे में भी यहां काफी कुछ कहा गया है। पिछली दफा जब बहस हुई थी तब से हिन्दुस्तान और चीन के सम्बन्धों में कोई विशेष बात देखने को नहीं मिली है। वे वैसे ही हैं। इस के अलावा जो अहलकारों की टीम मुकर्रर हुई थी उस ने रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। लेकिन उस की जो चुप्पी है वह इस बात की सूचक है कि चीन किसी भी जायज बात को मानने के लिये तैयार नहीं है। जब चीन किसी जायज बात को मानने के लिये तैयार नहीं है तो मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप उस मांग को पेश करते हैं कि जब हमारे माल के रिकार्ड साबित करते है कि सरदार राम सिंह जो सन १९५० में लद्दाख में हमारे रेवेन्यू आफिसर थे उन्होंने यह साबित कर दिया कि सन् १९५० में यानी आजादी के तीन साल बाद भी वह मनसर गांव से मालगुजारी वसूल कर के लाये थे, तो क्यों मनसर गांव के लिये नहीं कहा जाता है और क्यों नहीं कहा जाता है कि मैकमोहन रेखा से ७० मील ऊपर हमारी सीमा पहुंचती है। अगर मनसर गांव तक सीमा को हम सम्भालते हैं तो हमारा एक लाख वर्गमील क्षेत्रफल जो चीन के कब्जे में है हमें वापिस मिलना चाहिये। मैं प्रधान मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि चीन के साथ अपने मसले को हल करने के लिये हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हम आज की परिस्थितियों में जब कि तिब्बत की आजादी का हनन हो चुका है, चीन ने उस की आजादी को छीन लिया है, मैकमोहन रेखा को मानें। चीन और भारत की सीमा रेखा वही हो सकती है जिस में मनसर गांव शामिल होता है, जहां से पूर्ववाहिनी ब्रह्मपुत्र चलती है पूर्व की तरफ जैसे जैसे वह चलती जाती है, वही हिन्दुस्तान और चीन की सीमा रेखा हो सकती है। हमें दुनिया में प्रचार करना चाहिये, दुनिया को यह बताना चाहिये कि हमारा क्या केस है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि कौन सा संकट है, कौन सी कठिनाई सामने आ रही है यह बताने में कि सन १९५० में मनसर गांव से सरदार राम सिंह जो हमारे डिप्टी कलैक्टर थे, उन्होंने उस गांव से २५० रुपये मालगुजारी के वसूल किये थे और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि हिन्दुस्तान की सरकार और कुछ नहीं कर सकती है तो उसे कम से कम यह घोषणा तो कर ही देनी चाहिये कि हमारी और चीन की सीमा जब से तिब्बत की आजादी खत्म हो चुकी है, मैकमोहन रेखा नहीं है, बल्कि वह रेखा है जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है और पूर्व की तरफ चलती जाती है और जहां तक पूर्व की तरफ वह चलती जायेगी, वही हमारी सीमा रेखा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हिन्दुस्तान चीन के किसी हिस्से को अपने में मिलाये।

मगर मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर फिर से ऐसी स्थिति कायम की जा सके जिस से तिब्बत की आजादी कायम हो सके, तिब्बत आजाद हो सके तब मैं मैकमोहन रेखा को मानने के लिये तैयार हूं। तब मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा मानी जा सकती है। आज दुनिया की कोई

[श्री ब्रज राज सिंह]

शक्ति नहीं है और न ही कोई दिखाई देती है कि जो तिब्बत की आजादी को वापिस ला सके और उसको आजादी दिला सके। अगर उस को वापिस आजादी नहीं दिलाई जा सकती है और चीन और भारत के बीच कोई बफर नहीं रहा है, कोई दीवार नहीं रही है तो फिर कोई वजह नहीं है कि जो वास्तविक सीमा रेखा है, उस पर हम दृढ़ न रहें। अब वक्त आ गया है जब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को जोर के साथ चीन को यह बतला देना चाहिये कि हिन्दुस्तान की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा नहीं है बल्कि वह है जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है और पूर्व की तरफ बहती है।

नैपाल के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस के साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। सांस्कृतिक सम्बन्ध भी उस के साथ हमारे हैं। हम ने उस की योजना को चलाने में सहायता दी है। इस के बाद भी नैपाल के शासको को यह पता न लगा हो कि हम उनको सहायता दे रहे हैं तो यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नैपाल हमारा पड़ौसी है, उस के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं, उनकी और हमारी सम्भवतः भाषा भी एक तरह की है लेकिन जब तक नैपाल जनतन्त्र को फिर से नहीं पनपाता है, वहां की जनता को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता है, तब तक नैपाल उन्नति अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, हिन्दुस्तान और नैपाल के सम्बन्ध अच्छे नहीं हो सकते हैं। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम नैपाल के अन्दरूनी मामलात में दखल दें। लेकिन इस के साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार नैपाल के शासकों को बड़े विनम्र शब्दों में बताये कि हिन्दुस्तान की जनता की यह आकांक्षा है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से मैम्बर साहिबान बोलने वाले हैं, इसलिये वह खत्म करें।

श्री ब्रज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम जैसे लोगों के साथ हमेशा इस तरह से होता रहा है कि जब कि हमें बीस और पच्चीस मिनट मिलने चाहियें, दस मिनट ही मिलते हैं और उस वक्त बुलाया जाता है जब दस मिनट की लिमिट फिक्स कर दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक को तो पच्चीस मिनट नहीं मिल सकते हैं। आप को कभी कुर्बानी करनी ही पड़ेगी।

श्री ब्रज राज सिंह : यह मेरा दुर्भाग्य है कि इस लोक सभा में मुझे हमेशा कुर्बानी करनी पड़ती है। इस के लिये मैं आप को दोष नहीं देता। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के माननीय सदस्य बार बार बोलते हैं उन को कुछ कहना तो होता नहीं है सिवाय इस के कि वे यह कह दें कि जो कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है, उस का वे समर्थन करते हैं। समर्थन करना हो तो वे घर में भी कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो उन को मैं न बुलाऊं।

श्री ब्रजराज सिंह : यह मैं नहीं कहता हूं। उन को जरूर अवसर आप दें। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो एक अच्छा दृष्टिकोण उपस्थित करना चाहता हो उस को पूरा अवसर ऐसा करने का दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी बहस में पांच मिनट चले जायेंगे।

श्री ब्रज राज सिंह : मैं अभी खत्म किये दे रहा हूं।

मैं अन्तिम बात मंगोलिया के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे। लेकिन दुख के साथ यह बात पूछनी पड़ती है उन से कि क्या उन को पता नहीं था कि मंगोलिया

के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं ? उन से हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं, ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे हैं, ऐसे देश को, जिस के साथ हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबन्ध बहुत अच्छा रहे हैं, उन्हों ने राष्ट्र संघ में बिठाने के लिये क्या काम किया ? चीन को राष्ट्र संघ में बिठाने के लिये हम ने कार्यवाही की। बहुत अच्छी बात की, भले ही चीन हम पर हमला करने वाला हो। लेकिन वास्तविक स्थिति से हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिये। मंगोलिया को राष्ट्र संघ में बिठाने के बारे में हमारी पालिसी क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिये। यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि हम अल्जीरिया को मान्यता देने के लिये तैयार हैं या नहीं। हम उन राष्ट्रों के साथ जो नये नये उग रहे हैं बेलग्रेड सम्मेलन में खड़े होने के लिये तैयार हैं या नहीं। हम दुनिया में एक पाजिटिव तृतीय शक्ति का निर्माण करेंगे, पाजीटिव तृतीय गुट का निर्माण करेंगे जिस से दुनिया से हमेशा के लिये लड़ाई खत्म हो जाये ऐसी घोषणा होना सरकार की ओर अत्यन्त आवश्यक है।

श्री महन्ती (ढेंकानाल) : हमारी सरकार की विदेश नीति से देश को विश्व में नई प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त हुआ है। अधिकांश रूप से यह बहुत सफल सिद्ध हुई है। इस प्रसंग में हमें स्मरण रहना चाहिये कि किसी देश की विदेश नीति में राष्ट्र का अधिकतम एकमत होता है तथा इसे पाक्षिक नीति नहीं बनाया जा सकता। जो व्यक्ति हिमालय की सीमाओं पर अपनी सेनाओं के जमाव में विश्वास करते हैं, वह यह नहीं विचारते कि क्या हम चीन से युद्ध मोल लेने की क्षमता भी रखते हैं या नहीं। चीन देश हमारे पड़सी देशों नेपाल तथा बर्मा से समझौता कर के हमारे और हमारे पड़ौसियों के बीच फूट डाल रहा है। हमें चीन की समस्या का राजनैतिक आधार पर हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हम लोगों ने यह आशा की थी कि प्रधान मंत्री यह बतायेंगे कि चीन के साथ होने वाले सीमा विवाद का निपटारा किस प्रकार किया जा रहा है। इस सारे विवाद का कारण चीन है अतः हमें चाहिये कि हम राजनयिक आधार पर इसे हल करने की कोशिश करते रहें।

पाकिस्तान के साथ हमें तब तक कोई समझौता नहीं करना चाहिये जब तक कि उस देश के साथ सम्पूर्ण समझौता न हो जाये। हमने पाकिस्तान के साथ सिन्धु जल समझौता किया है और इस के अधीन हम ने ८० करोड़ रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा देना निश्चित किया है इतना ही नहीं हम ने १० वर्ष तक पूर्वी नदियों का जल भी उन्हें देने को सहमत हो गये हैं। यह सब भारत और पाकिस्तान की मित्रता के नाम पर किया गया है।

इस का यह नतीजा निकला है कि पाकिस्तान ने हमारी उदारता का लाभ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में उठाया है। अब वह भारत के प्रति और भी विरोधी बातें कहने लगा है। यह ठीक ही कहा गया है कि पाकिस्तान की सारी नीति भारत की घृणा करने पर ही आधारित है। वह भारत के प्रति घृणा का प्रसार कर अपने राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है।

इसी प्रकार का चीन का उद्देश्य भी यह नहीं है कि वह पर्वती इलाके पर कब्जा करे अपितु यह है कि एशिया और मध्य पूर्व में भारत की प्रतिष्ठा को उसे आघात पहुंचे।

जहां तक पुर्तगाल का सम्बन्ध है यह कहा गया है कि गोआ में निशस्त्र भारतीय नागरिकों को भेजा जा सकता है तथापि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पुर्तगाल नाटो संधि का सदस्य है और उस ने गोआ को एक उपनिवेश नहीं अपितु पुर्तगाल का ही एक भाग माना है, अतः वहां इस प्रकार की कार्यवाही करने से सम्पूर्ण नाटो राष्ट्रों के विरुद्ध कार्यवाही होगी और उस के परिणाम शुभ नहीं हो सकते हैं।

[श्री महन्ती]

अतः मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि ये समस्यायें बहुत व्यापक हैं, तथापि हमें दलगत भावनाओं के परे इन समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

†**महाराजकुमार विजयआनन्द** (विशाखापट्नम्) : मैं सरकार की वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूं । मैं दादरा तथा नगरहवेली का भारत में पुनः शामिल होने के लिये प्रधान मंत्री का कृतज्ञ हूं । तथापि स्टेट्स मैन में प्रकाशित हुए समाचार के अनुसार पुर्तगाल इस मामले में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण जाने का विचार कर रहा है । अतः मेरा सुझाव है कि दादरा तथा नगर हवेली के सरपंचों को यूरोप के देशों में भेजा जाये विशेषतः उस देश में जहां कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है; जिससे कि वे भारत के समर्थन में जनमत पैदा कर सकें ।

अफ़्रीका के भी कई अन्य देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं । भारत को चाहिये कि वह उन्हें अधिक आर्थिक सहायता देवे और वहां अधिक सांस्कृतिक और राजनैतिक शिष्टमंडल भेजे जायें । वहां के लोकप्रिय नेता श्री केनयाटा अभी हाल जेल से छूटे हैं हमें विश्वास है कि जब यह भारत आयेंगे तो उनका उपयुक्त स्वागत किया जायेगा ।

अब मैं अल्जीरिया को लेता हूं । अल्जीरिया की सरकार काहिरा से काम कर रही है । इस सम्बन्ध में कांग्रेस समिति ने श्री डेबर को नियुक्त किया है कि वे इस मामले पर विचार करें । ज्ञात हुआ है कि उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि काहिरा से कार्य करने वाली अल्जीरिया की सरकार को किसी न किसी प्रकार की मान्यता दी जाये ।

अभी हाल पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अय्यूब खां अमेरिका में भिक्षा मांगने गये थे । वहां इन्होंने एक ओर अमेरिका से आर्थिक सहायता की याचना की दूसरी ओर यह धमकी भी दी कि यदि अमेरिका भारत को दी जाने वाली सहायता बन्द नहीं करेगा तो पाकिस्तान साम्यवादी देशों के गुट में आजायेगा ।

पाकिस्तान की नीति मित्रता के नाम पर सदैव भारत से अनुचित मांगें करने की रही है । मेरा विश्वास है कि काश्मीर के प्रश्न का निबटारा होने पर भी पाकिस्तान की तृष्णा शांत नहीं होगी । अतः हमें पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देनी चाहिये । पाकिस्तान में भारत के प्रति घृणा का जो आन्दोलन चलाया जा रहा है इसके घातक परिणाम हो सकते हैं । अतः हमें पाकिस्तान के सीमान्त पर किसी भी स्थिति के निबटारे के लिये तत्पर रहना चाहिये ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : "कृष्णं वन्दे जगद्गुरूं" उपाध्यक्ष महोदय, हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में बड़े लम्बे समय से सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सुझाव भी दिये हैं । इस में कोई सन्देह नहीं है कि विदेशों के साथ हमारे सम्बन्ध किस प्रकार के होने चाहिएं । इस दिशा में हमने जिन शब्दावली का निर्धारण किया है उसके लिये कोई बुद्धि मान आदमी विरोध नहीं करेगा । संसार में शान्ति रहे, सब मिल कर परस्पर सहयोग के साथ कार्य करें और कोई किसी के साथ छीना झपटी न करे, इस के विरोध में कौन बोलेगा ? भाषा अलग चीज है और क्रिया अलग चीज है । राजनीतिक में निरी साधुता की भाषा और साधुता की क्रिया से कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है । यदि हम निरे साधू ही हैं तो हमें बद्रीकारण्य में बैठ कर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारण कर ध्यान में समाधिस्थ हो जाना चाहिये । संसार में यदि जीवित रहना है तो हमें व्यवहार-क्षेत्र में आना पड़ेगा और किस के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये इस नीति को हमें समझ लेना पड़ेगा । हमारे यहां "शाठयम सदा दुर्जने, प्रीतिः साधुजने नयोनृपजने विद्वत् नमे चाजिवम्"

आदि वाक्यों के द्वारा व्यवहार शास्त्र को सामने रक्खा गया है। हमारी वैदेशिक नीति की सबसे बड़ी असफलता का कारण यही है कि हम सर्वत्र एक सा व्यवहार करने की चेष्ठा करते हैं। हम ने एक सा व्यवहार करने की चेष्टा के कारण जो अपने थे उन्हें तो शत्रु बनाया है लेकिन जो हमारे शत्रु नहीं थे उन्हें भी अपना शत्रु बना कर खड़ा कर लिया है। यदि इस दिशा में सावधानी के साथ व्यवहार किया गया होता और पाकिस्तान को हम ने आरम्भ में ही समझ लिया होता जो कि हम आज समझ रहे हैं तो आज की स्थिति न होती। हमारे प्रधान मंत्री जी आज बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जन्म घृणा पर हुआ है यदि यह बात आरम्भ में ही समझ ली गई होती, जब कि हमने द्विराष्ट्र वाद के सिद्धान्त को मान कर भारतवर्ष का बंटवारा किया और पाकिस्तान को जन्म दे दिया, यदि उस अवसर पर हमने सावधानी वर्ती होती और भारत के विभाजन की मांग के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक खड़े रहते," "सत्यमेव जयते नानृतम्", के सिद्धान्त का यदि हमने पूर्णतया पालन किया होता तो न पाकिस्तान होता और न उसके द्वारा यह सिर दर्द हमारे सिर पर आता। आज एक समूचा देश एक सूत्र के साथ खड़ा हो कर परस्पर सद्भावना के साथ कार्य कर रहा होता और यह चीन की जो भयानक स्थिति हमारे सामने आई है यह भी नहीं आने पाती। पाकिस्तान का हमने निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी की वैदेशिक नीति आरम्भ में ही सदोष रही जिसके कि कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उसके पश्चात् जो व्यवहार हम कर रहे हैं उस व्यवहार का परिणाम यह है कि वह आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी उस दुर्नीति को सामने रख कर चीन भी हमारे ऊपर चढ़ कर आया जा रहा है अन्यथा चीन से हमारे सम्बन्ध खराब नहीं थे लेकिन चीन ने भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया और आक्रमण कर दिया। चीन ने यह देखा कि हिन्दुस्तान की नीति हमेशा दबने की है, हमेशा जब कोई गुंडागर्दी करता है, जब कोई धृष्ट करता है और जब कोई भयंकर स्वरूप सामने रखता है तब यह सरकार दब जाती है। यह दबने की प्रवृत्ति, कुछ स्वभाव इस प्रकार का बन गया है। चीन ने जब यह देखा कि भारत सरकार पाकिस्तान से दबी चली आ रही है तो उसने सोचा कि फिर हमारा यह क्या बिगाड़ लेंगे ? इसके अतिरिक्त भारत के पास सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र भी नहीं हैं और इसलिये चीन ने भी हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। एक तरफ हम पाकिस्तान को प्रसन्न करने की तरफ चल रहे हैं और अब हमारे सामने चीन को भी प्रसन्न करने का प्रश्न खड़ा हो गया है। अब यह तो वही हालत हुई कि "चौबे जी छब्बे बनने जा रहे थे, दुबे गांठ के भी न रहे"। कोढ़ में खाज हो गई। एक बीमारी से निबट नहीं पाये थे कि दूसरा रोग हमारे सिर पर आ गया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम सफल हो रहे हैं या असफल, यह देखने के लिये हमें अपने देश की स्थिति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम को लाभ नहीं हो रहा है तो संसार यदि वाह-वाही भी करे तो उस वाह वाही से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम को लाभ होना चाहिये। हमारे देश को लाभ होना चाहिये। अब हमारे देश को तो लाभ हो नहीं रहा है और हमारा देश शत्रुओं के जाल में फंसता जा रहा है। इतना ही नहीं पाकिस्तान से जो साधन, संधि इत्यादि कर रहे हैं उससे जो हमें हानि हो रही है सो अलग। हम यह नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान निरन्तर यहां जहर भर कर हमारे घर में भेजता जा रहा है। आसाम में नित्यप्रति अभी भी हजारों की संख्या में लोग चले आ रहे हैं। क्या हमारी सरकार और उसके जिम्मेदार अधिकारी इतना भी चैक नहीं कर सकते कि हमारे घर में कैसे बाहर से राष्ट्र विरोधी तत्व आ रहे हैं। इसमें हिन्दू-मुस्लिम के भेद का प्रश्न नहीं है लेकिन हो यह रहा है कि जो अराजक और राष्ट्र विरोधी तत्व पहले से हमारे देश में थे और अब धीरे धीरे शान्त होते जाते हैं या जिन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती जाती है, उन में यह बाहर से आने वाले लोग पुनः जहर भरने की चेष्ठा कर रहे हैं। पाकिस्तान से वह लोग

[पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश]

इसके वास्ते ट्रेंड हो कर आते हैं और वह यहां आ कर हमारे देश के वायुमंडल को विषाक्त बनाते हैं और हम उसे भी थाम नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं तब हम अपनी वैदेशिक नीति में सफल हुए हैं यह हम कैसे कह सकते हैं ? हमें गम्भीरतापूर्वक यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश को लाभ हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। आज संसार में जो अन्तर्राष्ट्रीय चक्र तीव्रता से घूम रहा है और संसार की दो बड़ी शक्तियां तीव्र गति से संघर्ष की ओर जा रही हैं, उनको रोकने के लिये नीतिमत्ता और बुद्धिमानी से काम करना चाहिये। इस में सन्देह नहीं कि बर्लिन का प्रश्न एक बर्निंग प्रश्न हो गया है, एक जलता हुआ प्रश्न बन गया है। हम ने उस प्रश्न के समाधान के लिये प्रयत्न करना है, किन्तु स्वयं उस में भस्मीभूत नहीं हो जाना है। संसार को लड़ने से बचाया जाये, इस के लिये प्रयत्न करना है, लेकिन उस में स्वयं हम ही न फंस जायें, इस के लिये हमें सावधान रहना चाहिये। संसार में हम को अपनी शान्ति की आवाज़ बुलन्द करनी चाहिये और साथ ही संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों से अपना सम्पर्क साधने की भी ज़रूरत है।

अफ़्रीका के जो देश स्वतंत्र हुए हैं, उन का जो ग्रुप बनने जा रहा है, उस की लीडरशिप लेने में हमें हिचकना नहीं चाहिये। यदि हमारे उद्देश्य पवित्र हैं, यदि हम ने संसार में सत्य का प्रतिपादन करना है, यदि हम ने संसार में शान्ति बनाये रखने के लिये प्रयत्न करना है, तो फिर हमारी ओर से कोई ग्रुप नहीं बनता है, तो कोई डर नहीं है और अगर बनता है, तो भी कोई डर नहीं है। यदि हमारी नीयत साफ़ है, हमारा स्वभाव और कृति शुद्ध है, तो फिर डर की कोई बात नहीं है। अगर हमारा हृदय और कृति शुद्ध न हो, अगर हमारे हृदय में विकार हो, तो हम कोई ग्रुप बनायें, या न बनायें, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिये संसार में तृतीय शक्ति का निर्माण उन दोनों शक्तियों को थामने के लिये आवश्यक है और इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिये।

इस के पश्चात् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक राष्ट्र के साथ एक तरह का व्यवहार करें और दूसरे के साथ दूसरी तरह का, यह उचित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब सरकार एक राष्ट्र के साथ अपने दौत्य सम्बन्ध स्थापित करती है, तो दूसरे के साथ क्यों नहीं करती है। जब सरकार एक कोरिया से सम्बन्ध स्थापित करती है, तो दूसरे ने क्या बिगाड़ा है कि उसके साथ दूसरा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी वीयतनाम, इन दोनों राष्ट्रों से हमारा सम्बन्ध होना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इजरायल के साथ, जब कि वह एक राज्य बन गया है, दौत्य सम्बन्ध क्यों स्थापित नहीं किया जाता है। इसरायल के साथ दौत्य सम्बन्ध और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में क्या हानि होती है, प्रधान मंत्री महोदय ने अभी तक इस सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला है। मैं समझता हूं कि इस विषय में हमारे हृदय में जो सन्देह हैं, उनको दूर किया जाना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि सब दिशाओं से हम को जो भी लाभ हो सके, वह उठाना चाहिये।

जो महान् सम्मेलन हो रहा है, और हमारे प्रधान मंत्री जी जो वहां पधार रहे हैं, वह एक स्वागतयोग्य बात है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने यह एक बड़ी सूझ-बूझ का काम किया है कि जो एशिया के प्रतिनिधि वहां जाने वाले हैं, उन सब को यहां निमंत्रित किया है कि वे जाते समय या लौटते समय यहां आयें। इस तरह अधिक से अधिक लोगों के साथ सम्पर्क साधना और अपने मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना बुद्धिमानी का कार्य है। इस तरह की बुद्धिमानी के कार्य अवश्य किये जाने चाहियें और संसार में अधिक से अधिक सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रधान मंत्री महोदय बड़ी सावधानी के साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन

से भारत वर्ष को क्या लाभ मिल रहा है, इस को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि संसार के लोग केवल झूठी प्रशंसा कर के अपना लाभ उठाने के लिये हमारा उपयोग न करें लें। हमें इस के लिये सतर्क और सावधान रहना चाहिए।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, वह तो "शठे शाठ्यम् समाचरेत्" की नीति को मानेगा। जिन की प्रकृति खराब हो जाती है, वे सज्जनता की बातों और सज्जनता के व्यवहार से नहीं मानते। न चीन मानेगा, न पाकिस्तान मानेगा। इस के लिये देश को सुदृढ़, सशक्त, और बलवान बनाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारी तटस्थता की नीति सतर्क तटस्थता की नीति होगी। सावधान तटस्थता की नीति होगी और इस में सतर्कता बरती जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट): मैं भारत की वैदेशिक नीति-संबंधी चर्चा में पहली बार भाग ले रही हूं। मैं भारत की निश्पक्षता की नीति का समर्थन करती हूं और मेरा विश्वास है कि इस नीति ने भारत की प्रतिष्ठा संसार की दृष्टि में ऊंची उठाई है। इसका ही यह फल है कि आज एशिया अफ्रीका और यूरोप तथा लेटिन अमेरिका में भी इस नीति के कई समर्थक देश दिखायी देते हैं। वस्तुत: भारत की भावी पीढ़ियों के लिये यह एक गौरव की बात होगी कि इस नीति के जन्मदाता हमारे ही प्रधान मंत्री हैं।

दक्षिण पूर्वी एशिया में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि भारत की निश्पक्षता की निति का विरोधी है। मुझे दुख है कि १९४७ के पूर्व भारत का ही एक अंग होने के बावजूद भी पाकिस्तान के नेताओं का इतना संकुचित दृष्टिकोण है।

प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति का एक और ठोस परिणाम यह निकला है कि आज संसार के छोटे राष्ट्र जिन्हें १५ वर्ष पहिले कोई पूछता नहीं था संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किये हुए हैं और संसार बड़े राष्ट्र उनका सहयोग प्राप्त करने में होड़ लगाते हैं। इसका श्रेय प्रधान मंत्री को ही है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने अमेरिका में जाकर जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया उस से एक अनुभव हीन राष्ट्र की प्रवृत्ति का पता चलता है। यह प्रसन्नता का विषय है कि अमेरिका ने एक अनुभवी राष्ट्र की तरह व्यवहार किया अमेरिका में प्रेसिडेंट ने बहुत ही उपहास प्रद बातें कहीं। वस्तुत: प्रेसिडेंट अयूब खां ने काश्मीर समस्या का हल भारत विरोधी प्रचार के द्वारा करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि यदि अमेरिका काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान की सहायता नहीं करेगा तो वह रूस से सहायता की अपेक्षा करेंगे। कुछ महीनों पूर्व पाकिस्तान ने चीन से सीमांत वार्ता करने का निश्चय किया था। वस्तुत: यह वार्ता उस भाग के संबंध में होने वाली थी जो वैध रूप से भारत का ही एक अंग है। मेरे विचार से पाकिस्तान को ऐसा करने का कोई अधिकार

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

नहीं है। सरकार को यह वार्ता करने का प्रयत्न करना चाहिये। पाकिस्तान के अध्यक्ष श्री अयूब खां ने अभी हाल रावलपिंडी में कहा था कि यदि उस के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया जायेगा तो वह अमेरिकी अधिकारों को गोदाम में रखने से उनका उपयोग करना अधिक अच्छा समझेगा। यद्यपि अमेरिकी सरकार ने कहा है कि इन शस्त्रों का उपयोग केवल साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध ही किया जायेगा। तथापि अमेरिकी सरकार को चाहिये कि वह भारत को यह स्पष्ट आश्वासन दे कि यदि पाकिस्तान अमेरिकी शस्त्रों का भारत के विरुद्ध उपयोग करता है तो वह हस्तक्षेप करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : मि० स्पीकर, मैं सब से पहले वजीर आजम को उस तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूं जो उन्होंने पिछले दिनों काश्मीर में की। उस तकरीर से उन्होंने साफ तौर से यह बतला दिया है और कह दिया है कि काश्मीर का आखिरी फैसला हो चुका है। अब काश्मीर के मामले पर और पाकिस्तान के साथ किसी मजीद बातचीत की गुंजाइश नहीं है। यकीनन काश्मीर और हिन्दुस्तान के इलहाक का फैसला आखिरी है और इस फैसले को हम ने ही नहीं, दुनियां के तमाम बड़े बड़े मुल्कों ने और खुद अकवाम मुत्तहदा ने तसलीम किया है। ४ फरवरी, १९४८ के दिन यू० एन० ओ० में जो बहस हुई उस में अमरीकी नुमाइन्दे ने हिन्दुस्तान के साथ काश्मीर के इलहाक को तसलीम किया है। यह है यूनाइटेड नेशन्स में अमरीकी नुमाइन्दे की राय काश्मीर के इलहाक के बारे में। इस के साथ ही जब खुद हुकुमत अमरीका के नुमाइन्दे की यह राय है, मैं यह जानना चाहता हूं हिन्दुस्तान के वजीर आजम से कि वह क्या बातें थीं, वह क्या नये हालात थे जिन के बिना पर पाकिस्तान के सद्र फील्ड मार्शल अय्यूब खां और अमरीका के सद्र ने या अमरीका के नायब सद्र ने यह यकीन दिलाया है कि जब हिन्दुस्तान का वजीर आजम उन से मिलने के लिये न्यू यार्क या वाशिंगटन जायेगा तो वह उस को मश्वरा देंगे कि वह फील्ड मार्शल अय्यूब खां के साथ एक दफा फिर कोशिश करे काश्मीर के मसले को सुलझाने की। मैं यह समझता हूं, और निहायत दयानतदारी से समझता हूं, कि यह अमरीका की हिन्दुस्तान के साथ दोस्ताना हरकत नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दरूनी और खारजी मामलात के साथ बेजा मदाखिलत है। मैं वजीर आजम से यह तवक्को रक्खूंगा कि जब वह मि० केनेडी से या उन के दोस्तों से बातचीत करेंगे दुनियां के मामलात पर तब वह इस मामले पर आखिरी फैसला बता देंगे कि वह काश्मीर के मामले में किसी बाहरी ताकत का कोई मश्वरा कबूल करने के लिये तैयार नहीं हैं। हां, अगर वाकई अमरीका के सयासतदां या वहां के प्रेजिडेंट यह चाहते हैं कि दुनियां अमन हो, अगर वह यह यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों तो वह अपने दोस्त पाकिस्तान को यह मश्वरा दे सकते हैं, और वही उनका सही मशवरा होगा, वही एख्लाकी मश्वरा होगा, वही कानूनी मश्वरा होगा, कि पाकिस्तान मकबूजा काश्मीर से अपनी फौजें हटा ले क्योंकि वह इलाका कानूनी तौर पर और एख्लाकी तौर पर हिन्दुस्तान का है।

मैं आप की तवज्जह उन चन्द हालात की तरफ दिलाना चाहता हूं जब मार्शल अय्यूब खां के दौराने कयाम हमारे सामने आये हैं। जब एक प्रेस कांफरेंस में फील्ड मार्शल अय्यूब खां ने पूछा गया कि काश्मीर के मामले पर वे क्या करेंगे तो उन्होंने फौरी तौर पर यह जबाब दिया कि फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और किसी वक्त कोई भी हालात समने आ सकते हैं। इन तमाम हालत के पेशे नजर, जो फील्ड मार्शल अय्यूब खां खुद अमरीका में कहते हैं उस के बावजूद अमरीका की हुकूमत नये नये हथियारात, नये नये सामाने जंग पाकिस्तान को मुहैया करे और साथ ही हम से यह कहे कि अगर पाकिस्तान ने आप पर हमला किया तो हम आप की मदद को आयेंगे, मैं समझता हूं कि यह दोस्ती नहीं है बल्कि हिन्दुस्ततान के साथ एक खास किस्म की दरपर्दा दुश्मनी है।

मैं इस के अलावा आप की तवज्जह उस स्टेटमेंट की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जो मि० जानसन ने दिया था जब फील्ड मार्शल अय्यूबखां अमरीका टेक्सास के इलाके में गये थे। मार्शल अय्यूब का हाथ पकड़ कर उन्होंने कहा था कि यह बहुत बड़े बहादुर आदमी हैं, जवान आदमी हैं और उन्होंने यह कहा कि "मैं आपकी जवां मर्दी पर आप को मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले १४ सालों में से जिस तरह आप ने तरक्की की है, और जिस तरह आप जिन्दा रहे हैं जब कि आप की सरहदों पर चीन, रूस और हिन्दुस्तान हैं।" इस से साफ जाहिर है कि मि० जानसन के जेहन में क्या चीज थी

जब उन्होंने यह कहा कि हम पाकिस्तान को सिर्फ इस लिये हथियार देते हैं कि वह कम्यूनिज्म के खिलाफ अगर कभी मौका आये तो उन को इस्तेमाल करे। लेकिन इन दो मुल्कों के साथ हिन्दुस्तान को ला देना इस बात को जाहिर करता है कि वह हिन्दुस्तान को भी पाकिस्तान का दुश्मन तसव्वुर करता है और एख्लाकी तौर पर पाकिस्तान को इसलिये मदद देता है कि वह इस तमाम चीज को जब चाहे काश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल करे। उस वक्त हुकूमत अमरीका को चलाने वाले कहां थे जब इन हाथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अफगानों पर किया, जब खुद पख्तूनिस्तान में रहने वाले मुजाहिदीन पर बम फेंके गये? उस वक्त हुकूमत अमरीका ने कोई मदाखिलत नहीं की और पाकिस्तान से बिल्कुल कुछ नहीं कहा।

जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि पाकिस्तान यह सब कुछ क्यों करता है, उस के बारे में सुबह वजीर आजम ने ठीक तरह से फरमाया कि यह बदकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों की कि वहां को मौजूदा हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ में है जिन का कभी पाकिस्तान की सियासी जिन्दगी से कोई ताल्लुक नहीं था। यह लोग आजादी से पहले साबिका अंग्रेजों के यार वफादार थे, उन के साथी थे और हिन्दुस्तान की आजादी को कुचलने में इन्हीं फौजी वर्दियों में उन का साथ देते थे। और आज अपने एख्तदार को बढ़ाने के लिये पाकिस्तान की आवाज़ को, पाकिस्तान के लोगों की आवाज को दबा कर, एक खास किस्म का नारा फैला कर और पाकिस्तान के लोगों के जजबात को मुश्तइल करके अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहते हैं। वाकई अगर वह लोग इस बात के ख्वाहा हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का फैसला हो तो उन को चाहिये वह मकबूजा काश्मीर को हिन्दुस्तान के हवाले करें और यही एक आखिरी सूरत होगी हमारे और उन के फैसले की।

मैं वजीर आजम की तवज्जह उस जमाने के अमरीकी अखबारों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं, जिन की बहुत सी कटिंग मेरे पास हैं, और जिन्होंने फिर से उस बात का रोना शुरू किया है कि साहब, क्यों न काश्मीर और पाकिस्तान का फैसला हो, आखिर काश्मीर में भी मुस्लिम अक्सीरियत है और पाकिस्तान में भी मुस्लिम अक्सीरियत है। मैं समझता हूं कि यह वहां के लोगों की इखलाकी और सियासी बददयान्ती है। वह जानते हैं कि काश्मीर और हिन्दुस्तान का इलहाक मुसलमानों की अक्सीरियत की वजह से नहीं हुआ बल्कि इस वजह से हुआ कि हम हिन्दुस्तान के उसूलों में यकीन रखते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि काश्मीर हमेशा हिन्दुस्तान के साथ रहा है, और हिन्दुस्तान के लोगों ने काश्मीर की जंग आजादी में हमेशा काश्मीर का साथ दिया, जब कि पाकिस्तान के लोगों ने, मुस्लिम लीग ने और मिस्टर जिन्ना ने उसकी मुखालफत की। यह सवाल अक्सीरियत का नहीं है, अक्सीरियत और अक्लियत की वजह से कौमों के फैसले नहीं होते।

मैं वजीर आजम से एक और दरखास्त करना चाहता हूं जिसकी तरफ मेरे दोस्त श्री नाथपाई ने उनकी तवज्जह दिलाई है। वह है अल्जीरिया का मसला। यकीनन हमें वहां के मुजाहिदों की कद्र करना चाहिए और वहां की आरिजी हुकूमत को वहां की जायज हुकूमत तसलीम करना चाहिए। इससे हम अरब मुल्कों में एक खास कस्म की मकबूलियत ही हासिल नहीं करेंगे बल्कि यह हमारा इखलाकी फर्ज भी है। पाकिस्तान ने उस हुकूमत को तसलीम किया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अरब मुल्क उससे खुश नहीं हैं। वे जानते हैं कि पाकिस्तान की यह सयासी चाल हिन्दुस्तान को अरब मुल्कों में बदनाम करने के लिये है वरना और तमाम मामलों में फ्रांस और पाकिस्तान दोनों साथ साथ रहे हैं। जहां तक अरब मुमालिक की आजादी और खुशहाली का ताल्लुक है पाकिस्तान ने कभी उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उसने सिर्फ हिन्दुस्तान को अरब मुमालिक में एक खास तरीके से बदनाम करने के लिये और एक खास तरीके से हिन्दुस्तान को एक्सप्लाइट

[श्री अ० ० तारिख]

करने के लिए अलजीरिया की आरजी हुकूमत को तसलीम किया है। हमें यह चाहिये और फौरी तौर पर यह चाहिये कि हम अलजीरिया की हुकूमत को तसलीम करें।

इसके साथ ही मैं सिर्फ एक मिनट में एक बात और कहना चाहता हूं। सेक्रेटरी जनरल की काफी नुक्ताचीनी की गयी उनके पीकिंग के दौरे के सिलसिले में। हिन्दुस्तान की यह हमेशा पालिसी रही है कि हम तमाम ऐसे अमूर को, तमाम ऐसे मसलों को, जिन पर हम किसी दूसरे मुल्क के साथ एक राय न हों, दोस्ताना तरीके से तै करें। यह कहना कि सेक्रेटरी जनरल पीकिंग में और चीन के दूसरे इलाकों में वहां की हुकूमत के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, दुरुस्त नहीं है, बल्कि इखलाकी तौर पर उनका यह फर्ज था कि जब वह चीन में थे, वह चीन के लोगों से मिलते, उनसे बातचीत करते और मालूम करते कि चीन ने क्या फैसला किया है उस रिपोर्ट के बारे में।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं वजीर आजम की खारिजा पालिसी की ताईद करता हूं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : हमारे प्रधान मंत्री पिछले पन्द्रह वर्ष से भारत की प्रतिष्ठा को बनाये रखने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। तथापि इस कार्य में हम सभी ने उनका सहयोग करना है।

भारत ने सदैव चीन का समर्थन किया किन्तु दुख की बात है कि चीन ने भारत के साथ धोका किया। उसने एक ओर तो हमारी भूमि पर अधिकार कर लिया है और दूसरी ओर उसके विमान हमारे वायु क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं।

वैदेशिक नीति का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये हमें ऐसे व्यक्ति चाहियें जो विदेशियों को प्रभावित कर सकें तथापि हम ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधि बना कर भेजते हैं जो कि अपने आगे या पीछे बैठने वाले सदस्य को भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हर्ष का विषय है कि श्री नाथपाई ने भी यह बात उठायी है। वस्तुतः हमें ऐसे व्यक्ति बाहर भेजने चाहियें जो कि अफ्रीकी और एशियाई देशों की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। हमें ऐसे व्यक्ति चाहियें जो कि अफ्रीकियों से बराबरी से बात-चीत कर सकें। उनके साथ जमीन पर भी बैठने को तैयार है, इसके अलावा हमारे राजदूतों की पत्नियां भले ही सिगरेट या शराब न पियें इस योग्य अवश्य होनी चाहियें कि वे अपने देश के संबंध में बातचीत कर सकें।

सच्चाई यह है कि यदि हम दस वर्षों के अन्दर अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम अफ्रीका से बाहर निकाल दिये जायेंगे। अंग्रेज जाति बहुत चतुर है वे केनिया के निवासियों को अपने साथ कर लेंगे इसका परिणाम भारतवासियों के लिये अच्छा नहीं होगा। अतः संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि मंडल में ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो प्रभावशाली हों और विदेशों में अपना प्रभाव डाल सकें।

जहां तक चीन का प्रश्न है वह सैनिक दृष्टि से पूरी तैयारियां कर रहा है। उसने हमारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं उसके विमान हमारे वायु क्षेत्र का अति-क्रमण कर रहे हैं। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि चीन के खतरे के प्रति हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये और इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ने भी ब्रिटेन की सरकार का अनुकरण करना आरम्भ कर दिया है। अमेरिका एक ओर तो पाकिस्तान को युद्धास्त्र दे रहा है दूसरी ओर से भारत को भी आर्थिक सहायता दे रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुहम्मद इमाम (चितल दुर्ग): पिछली बार भी वैदेशिक मामलों के विवाद में बोलने का अवसर मिला था। मैंने कहा था कि रूस भी अपना साम्राज्यवाद कायम करने की दिशा में द्रुत-गति से बढ़ रहा है। पूर्वी यूरोप में उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है। चीन भी दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य फैलाने की चिन्ता में है। और वह भारत को भी इस लपेट में लेना चाहता है। भारत की उत्तरी सीमा पर आज उसके द्वारा जो गड़बड़ हो रही है वह उसी अतिक्रमण करने की नीति का एक अंग है। इस देश के लोग, भारत सरकार और इस सदन का इस मामले से बहुत सम्बन्ध है। इस दिशा में आम धारणा यह है कि सरकार और विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री की नीति इस दिशा में काफी कमजोर रही है। वह अनुचित रूप में चीन को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते रहे हैं।

हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि चीन के इरादे बड़े खतरनाक हैं। वह भारत के सभी पड़ौसी देशों का एक साम्यवादी गुट बनाने के लिए प्रयत्नशील है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अब हमें इस दिशा में सक्रिय नीति अपनानी चाहिये। अब समय आ गया है कि भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का नेतृत्व करे। ये देश स्वयं भी यह चाहते हैं कि भारत मैदान में निकले और उनका नेतृत्व करे। यह खेद की बात है कि प्रधान मंत्री महोदय दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कोई रुचि प्रकट नहीं कर रहे। पश्चिमी देशों की ओर उनका ध्यान अधिक है। बिना किसी मतलब और निमंत्रण के उन्होंने क्यूबा के बारे में अपना मत प्रकट कर दिया। क्यूबा अमरीका से ५० मील दूर स्थित है और आजकल साम्यवादी यांउसे धमकि दे रहे हैं। इससे अमरीका में हलचल मची है। प्रधान मंत्री को क्यूबा में तो दिलचस्पी है परन्तुदक्षिण पूर्वी देशों में नहीं है। वहां भी शान्ति हो इसके बारे में बिलकुल चिन्तित दिखाई नहीं देते। यह बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि यदि हमने इस दिशा में अपनी नीति न बदली तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे, अन्ततोगत्वा यह बात भारत के भविष्य के लिये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगी और भारत की सुरक्षा को भी भारी खतरा हो गया है। यदि हम लोकतंत्रीय देशों का संगठन बनायें तो मेरे मत में हमारी तटस्थ नीति के विरुद्ध नहीं जाता।

आज जर्मनी और बर्लिन के प्रश्न की ओर सारे संसार की आखें लगी हुई हैं। अभी हाल ही में मैं जर्मनी में था और मैंने इस समस्या का भली प्रकार अध्ययन किया है। इस दिशा में मेरा मत यह है कि रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव बातें तो पंचशील की करते हैं परन्तु उनका व्यवहार इसके सर्वथा प्रतिकूल है। जहां तक जर्मनी का सम्बन्ध है, यह बिलकुल स्पष्ट हो चुका है कि रूस के प्रधान मंत्री महोदय का रवैया विश्व शांन्ति के लिये सहायक सिद्ध नहीं हो रहा। वह अपनी शक्ति से संसार पर अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। पश्चिमी बर्लिन में बड़ी संख्या में जो शरणार्थी आ रहे हैं वह इस बात का प्रमाण है कि पूर्वी जर्मनी और पूर्व बर्लिन में स्थिति सामान्य नहीं है वहां के लोग सुखी नहीं हैं। पश्चिमी देश पश्चिम जर्मनी का निर्माण करने में लगे रहे और रूस पूर्वी जर्मनी में अपना लोह आवरण दिन प्रतिदिन कड़ा करता गया।

मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है, मेरा मत यह है कि तटस्थ देशों को यह देखना चाहिये कि जर्मनी के लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त हो। जर्मनी का विभाजन अस्थायी रूप से किया गया था परन्तु फिर भी वह एक हो अथवा अलग रहे, इस बात का निर्णय करने का अधिकार उन्हीं पर छोड़ दिया जाय। हमारे प्रधान मंत्री उपनिवेशवाद के विरोधी हैं। वह नहीं चाहते कि एक देश दूसरे देश को दबाये। मेरा कहना है कि उन्हें साम्यवादी उपनिवेशवाद की भी वैसी ही निन्दा करनी चाहिय जैसी कि वह पश्चिमी देशों के उपनिवेशवाद की करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री को आगामी तटस्थ देशों के सम्मेलन में भी यही नीति अपनानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहम्मद इमाम]

अब मैं पाकिस्तान की ओर आता हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां के रवैय्ये पर सारे देश में लोगों को भारी क्षोभ हुआ है। यह स्वाभाविक भी है। मैं एक मुस्लिम होने के नाते भी पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि अमरीकी धन और शस्त्रों से कहीं अधिक भारत पाकिस्तान की रक्षा कर सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान की समृद्धि भारत के सहयोग पर निर्भर करती है। पाकिस्तान के हित की दृष्टि से श्री अय्यूब खां की नीति न तो व्यवहारिक ही है और न लाभदायक ही है। भारत से अच्छा मित्र पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। हमें भाइयों की तरह मिल कर अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए। मेरा यह निश्चित मत है कि यदि पाकिस्तान विदेशी शक्तियों का आश्रय लेने के स्थान पर यदि भारत से सीधी बातचीत करे तो हम दोनों ही की बहुत सी महत्वपूर्ण समस्यायें सरलता और शीघ्रता से हल हो सकती हैं। यदि पाकिस्तान विदेशी शक्तियों पर आश्रित रहा तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन कल के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

लोक सभा गुरुवार १७ अगस्त, १९६१/२६ श्रावण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, १६ अगस्त, १९६१
२५, श्रावण, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — १२०७—३१

तारांकित प्रश्न संख्या

५१२	बेरोजगारों की सहायता के लिए निधि .	१२०७—०८
५१३	राज्य के उद्योगों की पूंजी में जनता का सहयोग	१२०९
५१४	दिल्ली में बड़े बड़े प्लाटों को छोटे हिस्से में बांटने के लिए समिति	१२१०—११
५१६	कोयला खान कर्मचारियों के लिए मकान	१२१२
५१७	समाचार पत्र उद्योग .	१२१२—१३
५१८	सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए होस्टल	१२१३—१४
५१९	राज्य व्यापार निगम .	१२१४—१५
५२०	चीन-पाकिस्तान सीमा करार	१२१६—१७
५२१	विदेशी सहयोग	१२१८—२०
५२२	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन अस्पतालों का निर्माण	१२२०—२१
५२३	दमुआ कोयला खान जांच	१२२२
५२६	पाकिस्तान में कर्नल भट्टाचार्य का मुकदमा	१२२२—२७
५२९	कार्बनिक रसायन	१२२७—२८
५३०	काजू उद्योग .	१२२८—२९
५३३	उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में पदाधिकारी	१२२९
५३५	कांगो समस्या का हल	१२३०—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . १२३२—१३१२

तारांकित प्रश्न संख्या

५१५	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी .	१२३२
५२४	पीतल के बर्तनों का निर्यात	१२३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या

५२५	उद्योगों का संवर्धन .	१२३३
५२७	पंजाब में लिनन का उत्पादन .	१२३३
५२८	कैमरे और दर्शन यंत्रों का निर्माण	१२३४
५३१	उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में पदाधिकारी	१२३४–३५
५३२	दिल्ली में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां	१२३५
५३४	दिल्ली नगर निगम के लिये भवन	१२३५–३६
५३६	श्रमिकों की मृत्यु	१२३६
५३७	पटसन मिलों का बंद होना	१२३६
५३८	दिल्ली के रिहायशी इलाकों में डाक्टर	१२३७
५३९	टेक्सटाइल कमिश्नर का कार्यालय	१२३७
५४०	हाजियों का स्वदेश प्रत्यावर्तन .	१२३७–३८
५४१	जोर्डन से रॉक फास्फेट का आयात	१२३८
५४२	मेट्टूर में अल्युमिनियम कारखाना	१२३८–३९
५४३	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	१३३९
४४	हेवी इलैक्ट्रिक्लस् लिमिटेड, भोपाल	१२३९–४०
५४५	कार्मिक संघों को सुविधाएं	१२४०
५४६	ऐनकों आदि के शीशे का कारखाना	१२४१
५४७	हैदराबाद में शीशे की चादरों का संयंत्र	१२४१
५४८	बोनस आयोग .	१२४१–४२
५४९	पटसन मजूरी बोर्ड में अन्तरिम पंचाट का लागू किया जाना	१२४२
५५०	अणु शक्ति केन्द्र	१२४२–४३
५५१	सिलाई की मशीनें	१२४३
५५२	दिल्ली दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम का पूरी दिल्ली में विस्तार	१२४३–४४
५५३	पाकिस्तानी पुलिस द्वारा धावा .	१२४४
५५४	अलौह धातुओं का आयात	१२४४–४५
५५५	दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी	१२४५
५५६	राजधानी में निवास स्थानों के आवंटन संबंधी समिति का प्रतिवेदन	१२४५
५५७	कपड़े का उत्पादन	१२४५–४६
५५८	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेला	१२४६—४८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

५५९ गोआ की स्थिति . . १२४८

५६० नुक्स वाले रेलवे लंगर . १२४८

५६१ पूर्वी पाकिस्तान में दंगे १२४९

५६२ विस्थापित लोगों की संपत्तियों को नियमित करना १२५०

५६३ पटसन मिलों का एक साथ बन्द किया जाना १२५०

५६४ लंका द्वारा आयात निर्बन्धन . १२५०—५१

५६५ इंजीनियरी और प्रोद्योगिकीय कर्मचारी . १२५१

५६६ साइकिलों का उत्पादन और निर्यात . १२५१—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या

११०८ नारियल जटा उद्योग . . . १२५२

११०९ स्थानीय विषयों के प्रलेख चलचित्र . १२५२

१११० सांभर में सोडा एश का कारखाना . १२५२

११११ प्रेस परिषद् . . १२५३

१११२ हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली १२५३

१११३ घुड़ दौड़ के घोड़ों का आयात . . १२५३

१११४ पहाड़ गंज, दिल्ली में नजूल भूमि पर बने मकान १२५३

१११५ पेड़ का गिरना . . . १२५४

१११६ केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों कीसे वाओं का भंग होना १२५४

१११७ लौह अयस्क का निर्यात १२५४

१११८ ट्रेक्टरों का निर्माण . १२५५

१११९ महाराष्ट्र के लिए आवंटन . १२५५

११२० महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय विकास कार्य योजना १२५५

११२१ दिल्ली रेसकोर्स क्लब की भूमि १२५६

११२२ जनपथ में बाजार . १२५६

११२३ कागज की लुग्दी का निर्माण १२५६

११२४ दुर्गापुर रसायन संयंत्र १२५६—५७

११२५ संसद्-सदस्यों के बंगलों में मरम्मत का कार्य १२५७

११२६ संसद्-सदस्यों के बंगलों में मरम्मत का कार्य १२५७—५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११२७	तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास . . .	१२५८
११२८	क्वार्टर	१२५८–५९
११२९	हिन्दी टाइपराइटर	१२५९
११३०	गैर-सरकारी मकानों में सरकारी कार्यालय .	१२६०
११३१	हिन्दी में छपाई . . .	१२६०–६१
११३२	राष्ट्रीय भवन संगठन	१२६१
११३३	राष्ट्रीय भवन संगठन . . .	१२६१
११३४	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम . .	१२६१–६२
११३५	पंजाब में शिक्षित बेरोजगार . . .	१२६३
११३६	हस्तिनापुर में शरणार्थियों के लिये मकान .	१२६३
११३७	लौह अयस्क का निर्यात . .	१२६३
११३८	राजस्थान में बेरोजगार . .	१२६४
११३९	राजस्थान में कार्य एवं अनुपस्थित ज्ञान केन्द्र	१२६४
११४०	राजस्थान में श्रमिक शिक्षा केन्द्र	१२६४
११४१	राजस्थान के लिए व्यय . . .	१२६५
११४२	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा राजस्थान की घट्टा घट्टी वस्ती का त्याग . .	१२६५
११४३	राजस्थान में औद्योगिक बस्तिया	१२६५–६६
११४४	शरणार्थियों से ऋण की वसूली . .	१२६६
११४५	राजस्थान में शरणार्थियों की शिक्षा पर व्यय	१२६६
११४६	राजस्थान में अम्बर चर्खे	१२६६
११४७	योजना प्रचार .	१२६६–६७
११४८	आयात लाइसेंस	१२६७
११४९	राजस्थान में बिना बिका हथकरघे का कपड़ा .	१२६७
११५०	राजस्थान में छोटे पैमाने के हथकरघे उद्योग .	१२६७
११५१	उदयपुर में यूरेनियम .	१२६८
११५२	उर्वरकों का उत्पादन . . .	१२६८
११५३	व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण . . .	१२६९
११५४	द्वितीय भारतीय उद्योग मेला	१२६९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११५५	इटारसी में उर्वरक संयंत्र . .	१२७०
११५६	दक्षिण भारत में टसर रेशम बुनकर . .	१२७०
११५७	साबुन निर्माता	१२७०-७१
११५८	साबुन निर्माता .	१२७१
११५९	काफी की फसल . . .	१२७१-७२
११६०	रूसी सहायता से औद्योगिक परियोजनायें	१२७२
११६१	गैरसरकारी क्षेत्र में प्रभृत पूंजी .	१२७२
११६२	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत ग्रामीणों की वापसी	१२७३
११६३	आवास कार्यक्रम के लिये राज सहायता	१२७३
११६४	चीनी सम्बन्धी उत्पादिता दल . .	१२७३
११६५	"स्विंग क्रैडिट" सीमा .	१२७३
११६६	कारखाने की इमारत के निर्माण की विधि का अध्ययन	१२७४
११६७	हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल .	१२७४
११६८	अमृतसर में सूती कपड़े का स्टाक . .	१२७४-७५
११६९	पूर्व अफ्रीका को नकली सिल्क रेयन का निर्यात	१२७५
११७०	पंजाब के लिये आवास बोर्ड	१२७५
११७१	अहमदाबाद में रैन बसेरा .	१२७५-७६
११७२	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	१२७६
११७३	कोठागुडियम में रक्षा केन्द्र .	१२७६
११७४	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन मद्रास में अस्पताल .	१२७६-७७
११७५	कोयला क्षेत्रों में जल संभरण .	१२७७
११७६	सिंगरेनी कोयला खानों में अस्पताल .	१२७७
११७७	उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास .	१२७७-७८
११७८	ब्रह्माण्ड किरण अनुसंधान केन्द्र . . .	१२७८
११७९	पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास .	१२७८
११८०	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल .	१२७८-७९
११८१	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० भोपाल .	१२७९-८०
११८२	नेपाल को अर्थ सहायता .	१२८०
११८३	प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया	१२८०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११८४	अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात	१२८०-८१
११८५	राज्य उपक्रमों संबंधी कृष्ण मेनन समिति .	१२८१
११८६	समवाय (संशोधन) अधिनियम, १६६०	१२८१
११८७	बिहार में पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति	१२८१-८२
११८८	बान में राजदूतावास के अधिकारियों पर आरोप .	१२८२
११८९	हीरोमंगा योजना २ . . .	१२८२
११९०	कोयना परियोजना के पास अल्युमिनयम कारखाना .	१२८३
११९१	संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशालय में पंजीबद्ध फर्मे .	१२८३
११९२	कनाडा को निर्यात . . .	१२८४
११९३	अगरतला के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति .	१२८४
११९४	हंगरी की पार्टियों के साथ सहयोग करार .	१२८४-८५
११९५	त्रिवेन्द्रम में टिटेनियम कारखाना .	१२८५
११९६	रबड़ बोर्ड की सिफारिशें	१२८५
११९७	नये रबड़ बागान . .	१२८६
११९८	प्रधान मंत्री की मनाली यात्रा पर व्यय . .	१२८६
११९९	कर्मचारियों की शिक्षा संबंधी अधिछात्रवृत्ति	१२८६
१२००	अशोक होटल में गोमांस .	१२८७
१२०१	जम्मू में बम विस्फोट . . .	१२८७-८८
१२०२	चीन द्वारा हमारी सीमाओं पर आक्रमण संबंधी साहित्य .	१२८८
१२०३	पश्मींना ऊन का निर्यात .	१२८८
१२०४	वर्स्टेड ऊन के तकुए . . .	१२८९
१२०५	इंजिनियरिंग उद्योग की वस्तुओं का निर्यात .	१२८९
१२०६	पटसन उद्योग . .	१२८९-९०
१२०७	सिलाई की मशीनों का निर्माण . .	१२९०
१२०८	मध्य पूर्व देशों से मेवों का आयात	१२९०
१२०९	काफी तथा चाय का निर्यात .	१२९०
१२१०	पंजाब में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था . .	१२९०-९१
१२११	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में 'इकोनामिक डिवीजन' .	१२९१
१२१२	शंकर मार्केट, नई दिल्ली के अलाटी .	१२९१
१२१३	हथकरघा उद्योग	१२९२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२१४	कोयला खानों में दुर्घटनाएं . . .	१२९२–९३
१२१५	उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने के औद्योगिक कारखाने .	१२९३
१२१६	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग .	१२९३
१२१७	हिन्दी में संदेश	१२९३–९४
१२१८	सरोजिनी मार्केट दूकानों पर स्वामित्व के अधिकार .	१२९४
१२१९	सामुदायिक श्रवण क्लब .	१२९४–९५
१२२०	रेयन मिलें	१२९५
१२२१	निष्क्रांत सम्पत्ति	१२९६
१२२२	कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	१२९६
१२२३	घोड़ों का आयात	१२९७
१२२४	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रगति का मूल्यांकन . .	१२९७–९८
१२२५	चाय बोर्ड के कर्मचारी . . .	१२९८
१२२६	पंजाब में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट .	१२९८
१२२७	पंजाब में लघु सेवा संस्थाओं में व्यापार प्रबंध का प्रशिक्षण	१२९९
१२२८	चल सम्पत्ति के बारे में भारत-पाक वार्ता .	१२९९
१२२९	चाय बोर्ड के कर्मचारी . . .	१२९९–१३००
१२३०	रासायनिक रंग उद्योग	१३००
१२३१	पंजाब में बिजली के करघे	१३००
१२३२	फीरोजपुर में लघु उद्योग . .	१३००
१२३३	अलौह धातु	१३०१
१२३४	कांगड़ा और होशियारपुर में सरकारी उद्योग . .	१३०१
१२३५	पंजाब में भूमिका अनियमित आवंटन . . .	१३०२
१२३६	बनोरा कोयला खान	२३०२
१२३७	फोटो प्रासेस और फोटो एनग्रेविंग उपकरण कारखाना, बंगलौर .	१३०२–०३
१२३८	सिलाई की मशीनें	१३०३–०४
१२३९	अन्तर्विश्वविद्यालय आण्विक विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र .	१३०४
१२४०	कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की पास बुकें .	१३०४–०५
१२४१	कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की पास बुकें . .	१३०५
१२४२	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान . .	१३०५

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२४३ श्रीलंका में भारतीय . . . १३०६

१२४४ कार्यालय के भवन बनाना १३०६

१२४५ संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुमंजली इमारत . . १३०६–०७

१२४६ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता की सूची १३०७

१२४७ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौकीदार . . १३०७

१२४८ खाने वाले तेल १३०८

१२४९ सरोजनी नगर मार्केट, नयी दिल्ली में अनधिकृत मकान . १३०८

१२५० खादी ग्रामोद्योग भवन, नयी दिल्ली . . १३०८–०९

१२५१ महाराष्ट्र में लघु उद्योग . . . १३०९

१२५२ सीमेन्ट संयंत्र . . . १३०९–१०

१२५३ नेपा मिल्स १३१०

१२५४ मास्को में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह . . १३१०

१२५५ तृतीय योजना काल में व्यपगत हुई राशि . . १३११

१२५७ नमक के उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र . . . १३११

१२५८ आंध्र प्रदेश के लिए सीमेन्ट . . १३१२

स्थगन प्रस्ताव . . . . १३१२—१४

अध्यक्ष महोदय ने पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा दी गई यंत्रणा के फलस्वरूप गोआ के एक राष्ट्रीय नेता श्री यूसबिओ बीगास की कथित मृत्यु के बारे में दो स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना श्री हेम बरुआ और श्री ब्रजराज सिंह ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १३१४

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन द्वारा कच्चे पटसन की कमी के कारण सामूहिक रूप से मिलें बन्द किये जाने की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३१४–१५

(१) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की वर्ष १९६१ के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग १) की एक प्रति ।

(२) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की दसवीं अनुसूची में कुछ और परिवर्तन

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः)

करने वाली दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१३ की एक प्रति ।

(३) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१४ में प्रकाशित कम्पनीज़ (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति :–

(४) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२४२ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२४३ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (भर्ती) नियम, १९६१ ।

(५) निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक एक प्रति :—

(एक) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य का वर्ष १९५९–६० का प्रतिवेदन ।

(दो) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य का वर्ष १९६०–६१ का प्रतिवेदन ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १३१५

छियासिवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १३१६

एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पुरस्थापित १३१६

आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक, १९६१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . १३१६—५२

प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्संबंधी नीति पर विचार किया जाये । श्री नलदुर्ग कर ने एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार १७ अगस्त, १९६१/२६ श्रावण १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

वैदेशिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा । दादरा और नगर हवेली विधेयक, १९६१ तथा प्रत्यर्पण विधेयक, १९६१ पर विचार और पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1053 (Ai) LS—13-9-61—125